खण्ड-211, अंक-4
शुक्रवार, 28 फाल्गुन, शक संवत् 1881
(18 मार्च, 1960 ई0)

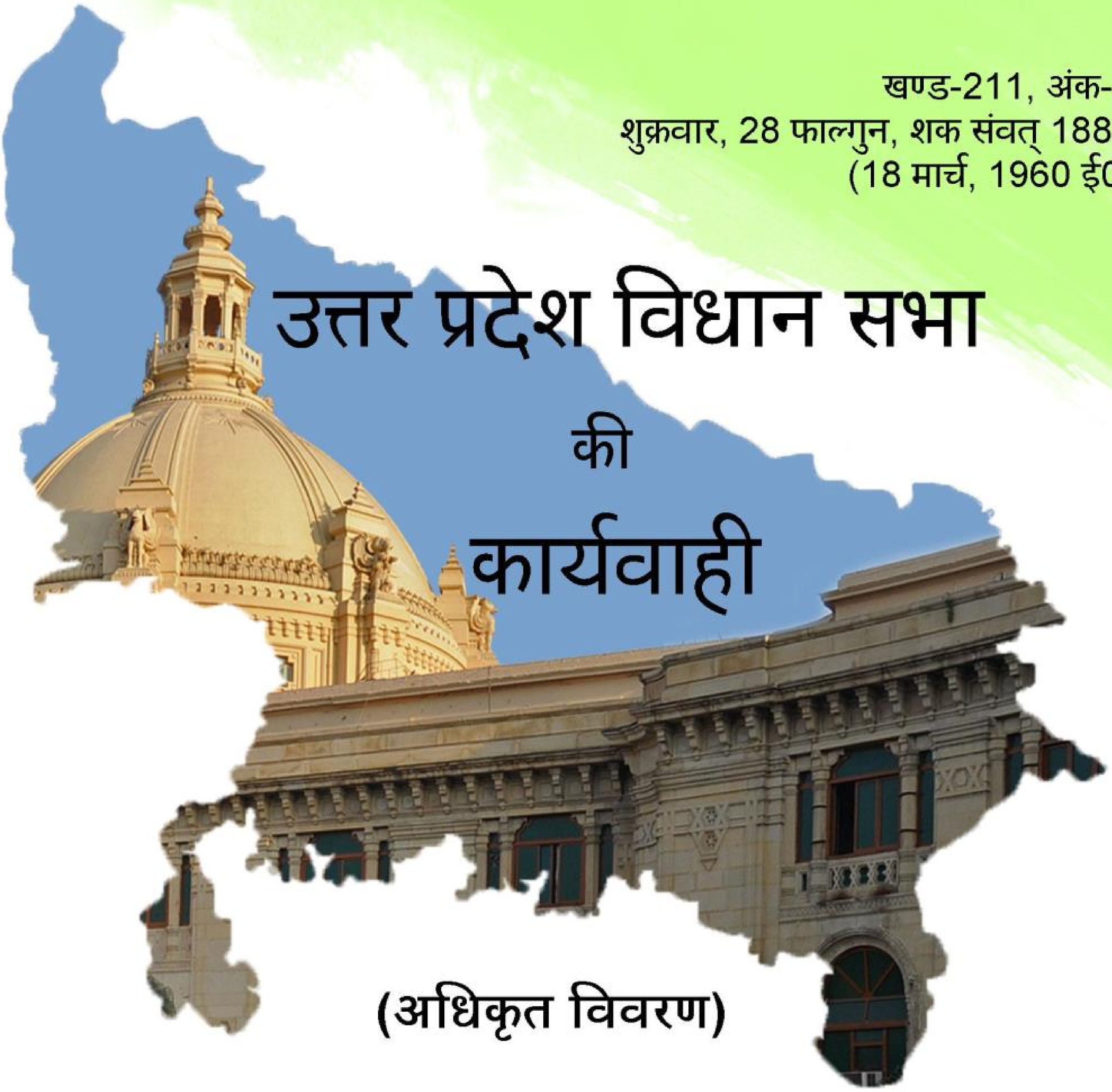

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 211 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १८ मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--३२९

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री

गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयवीरसिंह आर्य
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
टीकाराम, श्री (बदायूं)
तेजबहादुर, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवतीसूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती

बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेवनराम, श्री
बेवनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादवी, श्रीमती
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री

रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लखमी सिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
बसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतला प्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीरसिंह भी उपस्थित थे।

अमर पदुम्न संसदीय

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १८ मार्च, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

ललितपुर बांध पर उल्लुओं का कथित अड्डा

**१—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी डिवीजन के ललितपुर बांध पर कितने उल्लू पाले गये हैं तथा उनको किस विशेष कार्य के निमित्त पाला गया है और उन पर कितना व्यय किया जा रहा है ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री महावीरसिंह)—एक भी नहीं ।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अगर पाले नहीं गये हैं तो क्या उनके रहने की व्यवस्था की गई है उस जगह पर ?

श्री महावीरसिंह—जो व्यवस्था होनी चाहिये थी, वह कर दी गई है ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या यह सही है कि उस व्यवस्था के बावजूद भी उल्लू इसलिये नहीं गये क्योंकि लखनऊ के बड़े बंगलों में रहने के लिये अधिक उल्लू नहीं हैं ? (हंसी)

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—वह सब बलिया चले गये । (हंसी)

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि चूंकि होली के अवसर पर यह प्रश्न पूछा गया है इसलिये इसे नम्बर वन दिया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष—यह होली के अनुरूप ही था ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि बहराइच में इनकी जरूरत है, बलिया से बहराइच ट्रान्सफर करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—देवरिया से मंगा लेंगे । (हंसी)

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या सरकार ने उल्लूओं के बसेरों के लिये कोई स्थान बना रखा है ?

श्री उपाध्यक्ष—जो स्थिति हो स्पष्ट कर दें, शरमाने की क्या बात है। (हंसी),

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो अड्डे बना लिये गये हैं, जैसा कि सिंचाई के अनुदान के संबंध में भाषण के समय माननीय मंत्री जी ने कहा था, उन पर कितना व्यय हुआ है ?

श्री महावीरसिंह—दो रुपये से तीन रुपये तक ।

कुंवर श्रीपाल सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन अड्डों पर कितने उल्लू बैठे हैं । (हंसी)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

विधायकों को रोडवेज बसों के पास देने की योजना

**२—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या विधायकों को रोडवेज बसों के पास प्रदान किय जान के संबंध में Members Emolument Act में संशोधन होना आवश्यकीय है ? यदि हां, तो उसमें अभी तक न किये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—विधायकों को रोडवेज बसों के पास प्रदान करने के संबंध में पूरी योजना की रूपरेखा अभी तैयार नहीं हुई । जब तक यह योजना अन्तिम रूप से तैयार नहीं होती यह कहना संभव नहीं है कि इसके कारण U. P. Legislative Chambers (Members Emoluments Act) में संशोधन करने की आवश्यकता होगी या नहीं ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनको पता है कि पास जारी करने के लिये महामान्य राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में २७ जुलाई को यह घोषणा की थी और सरकार ने भी अपने एक परिपत्र द्वारा अगस्त, १९५९ में इस संबंध में माननीय सदस्यों से उनके फोटों भी मंगाये थे, तो फिर इस योजना में देरी होने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—खाली फोटो से ही काम नहीं चलता है और भी चीजें होती हैं जिनको देखना पड़ता है । चूंकि माननीय सदस्यों को इसमें जल्दी है, इसलिये इस संबंध में जितनी जल्दी हो सकेगी, उसको उतनी जल्दी किया जायगा ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि इससे लोगों में बहुत क्रीटीसिज्म बढ़ रहा है, इस स्कीम को वापस लेने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—अभी तो यह स्कीम जारी ही नहीं हुई है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, जनता में यह भ्रान्ति फैली हुई है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मेरे कान तक तो आज बात आयी, पहले एक बार भी नहीं कहा गया मुझ से ।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना में जो विलम्ब हो रहा है इसका कारण यह तो नहीं है कि कुछ विदेशों के एक्सपर्ट्स से राय मांगी जा रही है ?

(उत्तर नहीं दिया गया ।)

उत्तर प्रदेश तथा हिमांचल प्रदेश की हदबन्दी का मामला

**३—श्री गुलाबसिंह (जिला देहरादून)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार और हिमांचल प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों की देहरादून में बौंडरी डिस्पियूट के विषय में मीटिंग १८ मार्च, १९६० को होने वाली है ?

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीर प्रसाद शुक्ल)—जी नहीं ।

**४—श्री गुलाबसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उस मीटिंग में कौन-कौन से विवादग्रस्त क्षेत्रों के विषय में वार्ता होगी ?

**५—क्या सरकार देहरादून जिले के चकरौता तहसील के विवादग्रस्त क्षेत्र के विषय में भी वार्ता करेगी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गुलाबसिंह—क्या सरकार के पास ऐसी शिकायत देहरादून के जिलाधीश से आयी है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने चकरौता तहसील के कुछ गांव अपने रेकार्ड्स में दर्ज कर लिये हैं और उनसे रेवेन्यु वह ले रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—ऐसी शिकायत तो नहीं आयी है, लेकिन सरहद पर पिलर्स गिर गये हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए कारेस्पांडेंस हो रहीं है ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि हिमांचल प्रदेश ने उत्तर प्रदेश के सरहद के इलाके अपने कब्जे में कर लिये हैं और वहां रेवेन्यु उत्तर प्रदेश सरकार को न मिलकर हिमांचल प्रदेश को मिल रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कुछ ग्रेजिंग डिस्प्यूट्स थे, वे तय हो रहे हैं ।

श्री गुलाबसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो डिमार्केशन का मसला है इसका कब तक फैसला हो जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तारीख निश्चित नहीं की जा सकती, लेकिन जल्दी हो जायगा ।

आजमगढ़ जिले में टेस्ट वर्क्स चार्ज आफिसर्स कम होने की शिकायत

**६—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या न्याय मंत्री दिनांक ४ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १६० के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि सगड़ी, सदर और घोसी तहसील में टेस्ट वर्क कम खोलने का कारण क्या है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—उक्त तहसीलों में क्रमशः ४, ५ तथा ३ टेस्ट वर्क चल रहे थे जो कम नहीं कहे जा सकते ।

**७—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनकी ओर से अभी हाल में जिलाधीश, आजमगढ़ को टस्ट वर्क पर काम कराने वाले अधिकारियों को कम करने के लिये कोई आदेश गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—टेस्ट वर्क पर काम कराने वाले कर्मचारियों की संख्या घटाने का कोई सामान्य आदेश जारी नहीं हुआ है, केवल टेस्ट वर्क के चार्ज आफिसरों की जो संख्या जिलाधीश ने प्रस्तावित की थी वह मजदूरों की कामों पर उपस्थिति को ध्यान में रखते हुये अधिक थी, अत : उनकी मांग से कम इन पदों की स्वीकृति दी गई ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या न्याय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कितने टेस्ट-वर्क्स के चार्ज आफिसर उस वक्त थे और इस वक्त कितने हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—६ की ही नियुक्ति हुई, कम कौन किया गया ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिलाधीश ने कितनों की मांग की थी और सरकार ने कितनों की स्वीकृति दी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—१९ चार्ज आफिसरों की मांग की थी, ६ की सैंक्शन दी गई, क्योंकि ६ पर्याप्त थे, १९ बहुत ज्यादा थे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब जिले भर में १९ जगह काम हो रहे थे तो केवल ६ ही का आदेश देने का कारण क्या था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—एक अफसर एक तहसील में ४–५ टेस्ट वर्क्स की निगरानी कर सकता है, इसी वजह से ६ रखे गये ।

बाढ़ नियंत्रण बोर्ड

****८—श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)**—तारांकित प्रश्न संख्या १६, दिनांक ८–३–६० के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उसने राज्य की नदियों को बाढ़ से नियंत्रित करने के लिये क्या-क्या योजना बनाकर केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड या केन्द्रीय नियोजन आयोग को अपना सुझाव भेजा है ?

श्री महावीरसिंह—अभी तक कोई ऐसा सुझाव नहीं भेजा गया ।

****९—श्री केशव पांडेय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य की नदियों के बाढ़ नियंत्रण पर प्रदेशीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने कितने धन के खर्च का सुझाव दिया है ?

श्री महावीरसिंह—इस सम्बन्ध में राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड से अभी कोई अन्तिम सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड में कभी कोई बात उठाई गई थी या नहीं ?

श्री महावीरसिंह—स्थायी कार्यक्रम अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा बनाया गया था, वह पेश है बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के सामने ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुछ प्रमुख बाढ़ नियंत्रण की योजनाओं का सर्वेक्षण कराया जा चुका है और वह राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के विचाराधीन है ?

श्री महावीरसिंह—लिस्ट के लिये तो आवश्यकता होगी देखने की, ऐसी तो बहुत सी चीजें विचाराधीन हैं ।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने राप्ती, घाघरा और नारायणी नदियों की बाढ़ का नियंत्रण करने के लिये कुछ योजना ऐसी बनायी थी कि जिसमें कहा गया था कि इतने लाख एकड़ जमीन बाढ़ से बरबाद होती है और उसको बचाने के लिये जो उपाय होगा उससे कितना बचाव हो सकेगा ?

श्री महावीरसिंह—जैसा मैंने अभी अर्ज किया, जो स्थायी कार्यक्रम बनाया गया है उसमें बहुत सी योजनायें सम्मिलित की गई हैं ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि उसके पास कई बार ऐसे सुझाव आये हैं कि घाघरा और राप्ती के नियंत्रण के लिये वहां पर बहुधंधी नदी घाटी योजना चालू की जाय ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री महावीरसिंह—मैंने जैसा अर्ज किया कि सुझाव आये हैं, जिनके द्वारा आये हैं वह भी बता दिया गया और यह सब चीजें बाढ़-नियंत्रण बोर्ड के विचाराधीन हैं ।

लखनऊ में होली के अवसर पर धमकियों से भरे गुमनाम-पत्र

****१०—कुंवर श्रीपालसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि लखनऊ के कतिपय मोहल्लों में होली के अवसर पर उपद्रव की धमकियां देने का पत्र किसी संस्था की ओर से वितरित किया गया है ? यदि हां, तो ये लोग कौन हैं तथा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—इस प्रकार के गुमनाम पत्र, राजाबाजार तथा बाग मक्का के निवासी दो व्यक्तियों को मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी ।

जांच से मालूम हुआ कि ये गुमनाम-पत्र हिन्दू और मुसलमानों के बीच वैमनस्य फैलाने के लिये भेजे गये थे । पत्र भेजने वालों का निश्चित पता न लग सका । परन्तु पुलिस ने होली के अवसर पर काफी सतर्कता से काम लिया ।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो धमकियों वाले पत्र थे उनमें क्या-क्या धमकियां थीं और वह किन-किन के पास भेजे गये थे ?

श्री रामस्वरूप यादव—एक पत्र ब्रजबिहारीलाल रस्तोगी, राजाबाजार को लिखा गया था कि पिछले वर्ष आपकी बन्दूक से मेरा बहुत नुकसान हुआ है इसलिये इस वर्ष आपसे बदला लिया जायगा और दूसरा पत्र रामकिशोर, निवासी कोठी बाग मक्का को लिखा था कि आपके भाई और लड़के ने पिछले साल बहुत हिस्सा लिया जिससे मुझे बहुत नुकसान हुआ, इस साल उसका बदला लिया जायगा ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ३० (४) के अन्तर्गत]

नेता जी सुभाषचन्द्र बोस का जन्म-दिवस मनाने के लिए अपील

***१—श्री मदन पांडेय, श्री रामसिंह चौहान वैद्य** (जिला आगरा) **तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक्टर एस० पी० झा, एक्स-प्रेसीडेण्ट, फारवर्ड ब्लाक तथा श्रीमती राजकुमारी उपाध्याय, उपाध्यक्ष, भूतपूर्व फारवर्ड ब्लाक तथा उनके कुछ अन्य साथियों ने इस बात की अपील की है कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का जन्म दिवस २३ जनवरी, सरकार की तरफ से उसके महत्व को देखते हुये उपयुक्त ढंग पर मनाया जाना चाहिये ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां ।

***२—श्री मदन पांडेय, श्री रामसिंह चौहान वैद्य तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार को यह पता है कि पश्चिमी बंगाल तथा अन्य प्रदेशों में यह दिवस सरकारी ढंग पर सरकार की तरफ से मनाया जा रहा है ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किया ?

श्री रामस्वरूप यादव—उत्तर प्रदेश शासन को नेता जी श्री सुभाषचन्द्र बोस के प्रति श्रद्धा है, किन्तु राष्ट्रीय पर्वों की संख्या और बढ़ाना कठिन है ।

श्री मदन पांडेय—क्या सरकार को ज्ञात है कि अपने ही देश की बंगाल जैसी सरकार ने इसे राष्ट्रीय पर्व घोषित किया है, उसको ध्यान में रखते हुये यहां की सरकार को उसे राष्ट्रीय पर्व घोषित करने में क्या कठिनाई है ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—हमारे यहां तीन ही राष्ट्रीय पर्व मनाये जाते हैं, एक दो अक्तूबर को, एक स्वतंत्रता दिवस और एक गणतंत्र दिवस । अब इनमें कोई वृद्धि करने की अभी कोई इच्छा नहीं है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन तीन पर्वों के अलावा जो और बहुत से पर्व बहुत से नेताओं की जन्म तिथियों के अवसर पर मनाये जाते हैं उसी प्रकार से क्या नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की जन्म तिथि मनाने के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो इसके मनाये जाने में क्या आपत्ति है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आपत्ति कोई नहीं है । मनाई जानी चाहिये जैसे कि और नेताओं की मनाई जाती है ।

श्री गौरीशंकर राय—जिस तरह से अन्य नेताओं के जन्म दिवस आफिशियल तरीके से मनाये जाते हैं उसी तरीके से इसको मनाने में क्या आपत्ति है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आफिशियल तरीके से तो एक बाल दिसव मनाया जाता है और एक संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है । उनमें कोई छुट्टी नहीं होती, आफिशियल तरीके से ऐसे ही मना दिये जाते हैं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—बाल दिवस कौन सी बला है ? इसमें क्या होता है और क्या मनाया जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बाल दिवस १४ नवम्बर को मनाया जाता है । उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस भी है। और संयुक्त राष्ट्र दिवस २४ अक्तूबर को पड़ता है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार से अभी तीन राष्ट्रीय पर्व मनाये जा रहे हैं उनके साथ एक सुभाषचन्द्र बोस दिवस भी अगर मना लिया जाय तो इसमें सरकार को क्या बाधा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आपत्ति की कोई बात नहीं है । राष्ट्रीय पर्वों के रूप में अभी तक इन्हीं तीनों दिवसों को मनाने का निश्चय है ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि १४ नवम्बर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के रूप में क्यों न मनाया जाय और बाल दिवस क्यों उसका नाम रखा गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—केन्द्रीय सरकार की राय थी कि बाल दिवस मनाया जाय ।

*३-४—**श्री कैलाशप्रकाश** (जिला मेरठ)—[स्थगित किया गया ।]

[१८ मार्च, १९६० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—[७ अप्रैल, १९६० के लिए स्थगित किया गया ।]

रायल होटल के नवीन विधायक निवास में चीड़ के किवाड़

*२—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार को पता है कि रायल होटल के नये सदस्य निवासों के तीसरी मन्जिलों के कमरों में बीच में लकड़ी के Pressed बुरादे के ऊपर दोनों तरफ सरेस से चिपकाये हुये चीड़ की लकड़ी के शीटों के किवाड़ लगाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो सागौन अथवा अन्य मजबूत लकड़ी के किवाड़ों की अपेक्षा उक्त किवाड़ों के लगवाये जाने का क्या कारण है और सागौन के किवाड़ों के मुकाबले में उनका क्या मूल्य है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इन कमरों में लगाये जाने वाले दरवाजे Sitaboard Flush door कहलाते हैं जो कि अपनी सुन्दरता एवं मजबूती के कारण प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। इनके अन्दर बुरादा नहीं होता बल्कि ठोस लकड़ी के टुकड़े होते हैं इन दरवाजों को एक खास तरीके से बनाया जाता है। इन दरवाजों का दाम ४.० रुपये प्रति वर्ग फुट है तथा सागौन का ४.७५ रुपये प्रतिवर्ग फुट है ।

*३—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त प्रकार के किवाड़ों को दूसरी इमारतों में कहीं प्रयोग (experiment) किया गया है ? यदि हां, तो कहां-कहां, किन-किन इमारतों में तथा कब ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस प्रकार के दरवाजे लखनऊ में नीचे लिखी इमारतों में लगाये गये हैं:

१--स्पोर्ट स्टैडियम	१९५९
२--सचिवालय के क्वार्टर, महानगर	१९५९
३--अफसरों के मकान, दिलकुशा	१९५९
४--सचिवों के मकान, माल एवन्यू	१९५९

इसके अतिरिक्त इनका इस्तेमाल दिल्ली, कलकत्ता , बम्बई तथा अन्य शहरों की बड़ी-बड़ी इमारतों में हुआ है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--क्या मंत्री जी के पास ऐसे आंकड़े हैं कि साधारण लकड़ी लगाने से कितना कम खर्च होता ?

श्री रामस्वरूप यादव-- सागौन और शीशम की लकड़ी कीमती होती है।

श्री प्रतापसिंह--इन दरवाजों की कीमत क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष--उन्होंने ७५ रुपये फी दरवाजा कहा।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या सरकार ने कोई एक्सपर्ट राय ली है कि ये किवाड़ सागौन और शीशम के किवाड़ों से कितने कम चलेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ये कमरे एक्सपर्ट ही बनाते हैं और पी० डब्लू० डी० के अधीन बनते हैं। इमारत बनाने में वे विशेष ज्ञान रखते हैं, ऐसा मान कर ही उनको काम दिया जाता है।

बाछेमई निवासियों की सी० आई० डी० इन्स्पेक्टर, श्री अतरसिंह के विरुद्ध शिकायत

*४--**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बतायेगी कि वर्तमान सी० आई० डी० इन्स्पेक्टर, आई० बी० ब्रांच, आगरा एवं कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों, जो जिला मैनपुरी के निवासी हैं, के विरुद्ध ग्राम बाछेमई, थाना सिर्सागंज, जिला मैनपुरी के निवासियों की ओर से कोई शिकायती-पत्र दिनांक ५ अक्तूबर, १९५६ तथा ३१ दिसम्बर, १९५६ तथा उसके बाद दो या तीन रिमाइन्डर मुख्य मंत्री तथा आई० जी० पुलिस को प्राप्त हुये ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्री अतरसिंह, इन्सपेक्टर सी० आई० डी०, आई० बी० ब्रांच के विरुद्ध केवल दो शिकायती पत्र दिनांक ३१-१२-५६, ४-१२-५८ के प्राप्त हुए थे। दिनांक ५-१०-५६ के कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

*५--**श्री गनेशचन्द्र काछी**--यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त पत्रों में क्या-क्या शिकायतें थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव--शिकायतों की सूची संलग्न है:

इन आरोपों के संबंध में सी० आई० डी० के उच्च अधिकारियों द्वारा जांच की गई परन्तु आरोप सही नहीं पाये गये।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४२३ पर)

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जांच खत्म होने के बाद एक अखबार "देश-सेवा" मैनपुरी ने यह लिखा है कि यदि ये आरोप गलत हों तो मुझ पर मुकदमा चलाया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष--आप इसकी सूचना, अलग प्रश्न के रूप में, मंत्री जी को दे दें।

लड़कियों की शिक्षा के लिए केन्द्रीय योजना का कार्यान्वयन

*६—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लड़कियों की शिक्षा के प्रसार और महिला अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवर्तित किसी योजना पर, वित्तीय वर्ष १९५९-६० में राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)—प्रश्नगत योजना इस वर्ष कार्यान्वित की जा चुकी है

*७—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—यदि हां, तो क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त योजना के अन्तर्गत जिन उपयोजनाओं को वित्तीय वर्ष १९५९-६० में कार्यान्वित किया जायगा उन पर कितना रुपया खर्च होगा तथा इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—योजना पर कुल १४ लाख रुपये का व्यय स्वीकार किया जा चुका है ।

उप योजनाओं का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४२४ पर)

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या इस परिवर्तित योजना में ६ से १४ वर्ष के सभी बच्चों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है ? यदि हां, तो यह कब से कार्यान्वित की जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—निःशुल्क है, लेकिन अनिवार्य नहीं है । अनिवार्य करें या नहीं और अगर करें तो किस सीमा तक वह संभव है, यह प्रश्न तीसरी योजना में विचाराधीन है, जिसके विषय में बजट के अवसर पर कह चुका हूं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या अनिवार्य शिक्षा में लड़कियों के लिये कुछ परिवर्तन करने की सरकार सोच रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्राइमरी शिक्षा सारे प्रदेश में अनिवार्य नहीं है । अनिवार्य करने के मानी हैं कि ६ वर्ष से ११ वर्ष तक के सभी लड़के स्कूलों में जावें और जो न भेजें उन पर मुकद्दमा चले । यह बात लागू नहीं है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्कूलों और जूनियर हाई स्कूलों की अध्यापिकाओं के लिये बनवाये जा रहे ३५८ भवनों का, अध्यापिकाओं से रहने का, शुल्क तो नहीं लिया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं तफसील से इस समय नहीं बता सकता । लेकिन नियमों के अनुसार सम्भवतः कुछ लिया जाता है ।

श्री रामसूरत प्रसाद (जिला गोरखपुर)—जो योजना लागू की गयी है इसमें महिलाओं के प्रशिक्षण के लिये प्रत्येक जिले में नार्मल स्कूल और कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर जे० टी० सी० स्कूलों की व्यवस्था है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—योजना बजट में भी दी हुयी है। हर जिले में खोलने की व्यवस्था नहीं है । ४८ नये स्कूलों में ६ बालिकाओं के लिये हैं ।

*८-९—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २५ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।

कन्नौज के एक बालिका विद्यालय से संगीत अध्यापक को हटाना

*१०—**श्री मोतीलाल अवस्थी**—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कन्नौज के कुछ बालिकाओं के माध्यमिक विद्यालयों के संगीत अध्यापकों द्वारा उन्हें किसी राजाज्ञा के आधार पर इस कारण हटा दिये जाने के सम्बन्ध में कि वह पुरुष वर्ग के हैं, जिला इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स, फर्रुखाबाद के पास कोई रिप्रेजेन्टेशन भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—जी हां, केवल एक विद्यालय के एक अध्यापक को निकाला गया था परन्तु अध्यापक का कोई रिप्रेजन्टेशन जिला विद्यालय निरीक्षक, फर्रुखाबाद को नहीं मिला ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या कथित अध्यापक ने शिक्षा सचिव के पास इस तरह का आवेदन-पत्र भेजा है कि इंटरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट के अधीन २४ नवम्बर, १९५९ को जारी हुए विनियमों के २१ वें विनियम में टिप्पणी लिखी है कि ३१ मार्च, १९५७ के पूर्व लड़कियों के स्कूल में कार्य करनेवाले पुरुष संगीत शिक्षक किसी भी शिक्षा संस्था में संगीत शिक्षकों के पदों के पात्र समझे जावेंगे; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि नियुक्ति के समय उनमें बोर्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हतायें हों और.....

श्री उपाध्यक्ष—आप प्रश्न पूछें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—थोड़ा ही था। इस टिप्पणी को देखते हुए क्या सरकार ने उनके प्रार्थना-पत्र पर कोई कार्यवाही की है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—एक सज्जन श्री गादे पढ़ाते थे जिनकी सेवायें अस्थायी थीं । प्रबन्ध-कर्ता ने उन्हें हटा दिया।

श्री उपाध्यक्ष—उन्होंने पूछा है कि सचिव के पास शिकायत आई और क्या कार्यवाही की गयी ।

श्री दीनदयालु शास्त्री—हमने जवाब दे दिया कि हमको कोई अनौचित्य प्रतीत नहीं होता ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री जी उनकी सन् १९५७ से पहले की नियुक्ति को देखकर और यह देखते हुए कि ३ वर्ष सेवा में वह रह चुके हैं, इस पर फिर से विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्रीमन्, यह एक नीति का प्रश्न है और नीति ऐसी है कि जो बालिका विद्यालय है उनमें कोई पुरुष अध्यापक न रहे और यथासंभव स्त्री अध्यापिकाओं को रखा जाय और संगीत इत्यादि सिखाने के लिये भी यदि स्त्री अध्यापिकाएं मिलती हों तो उन्हीं को रखा जाय, ऐसा शासन का विचार था । श्री गादे जी संगीत के अस्थायी अध्यापक थे । वहां के प्रबन्धकों को प्रशिक्षित महिला अध्यापिका मिल गयी । इसलिए उन्होंने उनकी सेवाओं को नोटिस देकर समाप्त कर दिया और शासन को भी उनकी सेवाओं के समाप्त करने में कोई अनौचित्य दिखाई नहीं दिया ।

कानपुर जिले के परिवाद अधिकारी को दिये गये परिवाद-पत्र

*११—**श्री मोतीलाल अवस्थी**—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर में कितने परिवाद (Complaints) परिवाद अधिकारी [Dy. S. P.(Complaints)] के पास सन् १९५७-५८ व १९५८-५९ में दाखिल हुए और उनमें कितने में कार्यवाही हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव—जिला कानपुर में परिवाद अधिकारी के पास वित्तीय वर्ष १९५७–५८ तथा १९५८–५९ में क्रमशः २०७ तथा १५७ परिवाद-पत्र पहुंचे। उन सभी में जांच की गयी और उनमें से क्रमशः ५९ तथा ४० के आधार पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि १९५८-५९ में जो ५९ और ४० पर कार्यवाही की गयी, इन केसेज में पुलिस के संबंध में कितने हैं और उनके संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, ४३ दोषी कर्मचारी दंडित हुए, उनका विवरण इस प्रकार है—

सब-इंसपेक्टर	हेड-कानिस्टिबिल	कानिस्टिबिल	रिमार्क्स
०	१	३	बरखास्त किये गये।
१	५	८	तनज्जुल किये गये।
२	०	०	को इंचार्ज थाना से अफसर दोयम के स्थान पर तनज्जुल किया।
०	४	८	ईमानदारी का प्रमाण-पत्र रोका गया।
९	३	९	दुराचरण दिया गया।
८	२	०	चेतावनी दी गयी।

तेरह कानिस्टिबिलों को अर्दली के रूप में दलेल दी गयी। ५ कानिस्टिबिलों को, जिन जगहों पर उनकी शिकायत थी, उन स्थानों से उनका स्थानान्तरण किया गया। २ चौकीदार पुलिस को दलेल दी गयी।

यह तो सन् १९५८ का बताया। १९५९ में इसी तरह से भिन्न-भिन्न प्रकार की सजायें दी गयीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो कार्यवाही की गयी उनमें कोई ऐसा भी कर्मचारी है जो गजटेड आफीसर हो और जिसको डिसमिस किया गया हो या सस्पैंड किया गया हो ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—डी० एस०पी० कंपलेन्ट्स के पास गजटेड आफीसर्स की शिकायत नहीं जाती हैं। प्रश्नकर्ता ने डी० एस० पी० कंपलेन्ट्स के बारे में पूछा था लेकिन गजटेड आफीसर्स उनके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर हैं।

आजमगढ़ जिले के प्रधानाध्यापक श्री भागवतलाल व श्री सरजूसिंह के प्रार्थना-पत्र

*१२—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या गृह मंत्री बताने कि पा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के जूनियर हाई स्कूलों के कौन-कौन ज्येष्ठ प्रधान अध्यापक अगस्त, सन् १९४५ से १९५० के बीच सब-डिप्टी इन्स्पेक्टर के पद पर काम करते रहे ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—(१) श्री भागवतलाल।

(२) श्री सरजू सिंह।

*१३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त वर्षों में काम करने वाले ज्येष्ठ प्रधानाध्यापक जो सब-डिप्टी इन्स्पेक्टर के पद पर थे उनमें से किनको-किनको वार्षिक वृद्धि नहीं मिली है और क्यों ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—किसी को नहीं ।

*१४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उक्त पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों ने वार्षिक वृद्धि हेतु सन् १९४९ से आज तक कई बार जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़; उप शिक्षा संचालक, गोरखपुर एवं वाराणसी मण्डल को भेजे, पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—जी हां । प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और उन पर कार्यवाही हो रही है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि १५ साल तक वार्षिक बढ़ोत्तरी न होने का कारण क्या है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—उसका कारण यह है कि दोनों सज्जनों ने जो बिल भेजे वे सही नहीं भेजे और वे अभी तक भी सही नहीं बन सके हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या उन लोगों को यह बतलाया गया कि आपके बिल गलत हैं इसलिए उनको सुधार दीजिये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्रीमन्, मैं कृतज्ञ हूं प्रश्नकर्ता महोदय का कि उन्होंने इसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया । इस विषय में कहीं न कहीं भूल मालूम पड़ती है कि अभी तक उन को १५ वर्ष में प्रमोशन नहीं मिल पाया । मैं इसकी जांच कर रहा हूं ।

*१५-१६—श्री प्रताप सिंह—[७ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

इटावा जिले में चकों पर अधिकार

*१७—श्री भजनलाल (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील औरैया, जिला इटावा के अन्तर्गत १२ सितम्बर, १९५९ से २० दिसम्बर, १९५९ तक कुल कितने ग्रामों में चकों पर कब्जा दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस अवधि में जिला इटावा की तहसील औरैया के कुल ७ ग्रामों में चकों पर कब्जा दिलाया गया था ।

*१८—श्री भजनलाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त तहसील में और कितने ग्रामों में चकों पर कब्जा अब तक नहीं दिया गया है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—उपर्युक्त तहसील में दिनांक ३१ जनवरी, १९६० तक ८ ग्रामों में चकों पर कब्जा नहीं दिलाया गया था ।

*१९—श्री भजनलाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा के अन्तर्गत अब तक १२ सितम्बर, सन् १९५९ से कितने ग्रामों में चकों पर कब्जा दिया गया ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—१२ सितम्बर, १९५९ से ३१ जनवरी, १९६० तक जिला इटावा के कुल १३ ग्रामों में चकों पर कब्जा दिलाया गया था ।

उन्नाव जिले में स्वास्थ्य विभागान्तर्गत मैटरनिटी सेण्टर तथा अक्तूबर के वेतन-आदेश का पालन

*२०--श्री भीखालाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेटरनिटी सेन्टर, नवाबगंज, जैतीपुर, सोहरामऊ, चमरौली जिला उन्नाव में पिछली बार कब दवाइयों की सप्लाई की गयी थी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--

१--नवाबगंज ..	..	..	..	२२-१-१९६०
२--जैतीपुर ..	..	..	..	११-४-१९५९
३--सोहरामऊ ..	..	..	..	३-३-१९५९
४--चमरौली ..	..	..	..	१५-४-१९५९

*२१--श्री भीखालाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में जुलाई व अगस्त, १९५९ में कितनी मिडवाइफों के तबादले किस स्थान से किस स्थान को किये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कुल दो मिडवाइफों के तबादले किये गये थे--एक गोसांईगंज (लखनऊ) से नवाबगंज (उन्नाव) व दूसरी नवाबगंज (उन्नाव) से सोहरामऊ (उन्नाव)।

*२२--श्री भीखालाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने इस प्रकार का आदेश जारी किया था कि अक्तूबर, सन् १९५९ का वेतन नान-गजटेड कर्मचारियों को २८ अक्टूबर को बांट दिया जाय ? यदि हां, तो क्या उन्नाव जिले में सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने इस आदेश का पालन किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां, सरकार ने ऐसी आज्ञा जारी की थी। जहां तक उन्नाव जिले के जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, केवल थोड़े से कर्मचारियों को छोड़कर सब कर्मचारियों को उसी तिथि को वेतन मिल गया था।

इटावा जिले में भारतीय दण्ड विधान की धारा ११० के कथित मुकदमे

*२३--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में सन् १९५८ तथा सन् १९५९ में थानेवार कितने व्यक्तियों पर ताजीरात हिन्द की धारा ११० में मुकदमें चलाये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव--किसी पर भी नहीं।

*२४--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जो मुकदमें ताजीरात हिन्द की धारा ११० में सन् १९५८ तथा १९५९ में जिला इटावा की पुलिस ने चलाये उनमें कितने अभियुक्तों को अदालत से वारन्ट लेकर गिरफ्तार कर जेल भेजकर मुकदमा चलाया गया और कितने ऐसे अभियुक्त हैं जिन पर उपरोक्त धारा में मुकदमा चलाया गया पर वारन्ट लेकर गिरफ्तार नहीं किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव--प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस दौरान में जाब्ता फौजदारी की धारा ११० के मातहत कोई मुकदमा चलाया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, ताजीरात हिन्द के बारे में प्रश्न किया गया था, उसी का उत्तर भी दिया गया था।

जमींदारी उन्मूलन के फलस्वरूप शेष लगान की वसूली

*२५—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् उत्तर प्रदेश के किसानों से लगान वसूल किया गया है उसमें भूल से कुछ रुपये लगान के कम वसूल होते रहे और सन् १९५९ में किसानों को जो लगान अदा करने के सूचना-पत्र दिये गये उनमें वह बकाया रकम लगान की जोड़ दी गयी है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् भूमि-सम्बन्धी अभिलेखों में काफी परिवर्तन करने पड़े जिनके कारण कुछ अशुद्धियां रह गयीं और सम्बन्धित काश्तकारों से कम लगान वसूल होता रहा अथवा किसी भू-भाग का लगान वसूल होने से ही रह गया। इन अशुद्धियों को शुद्ध करने का प्रयत्न किया गया है और जिन लोगों पर मालगुजारी बकाया निकली, उन्हें सूचित कर दिया गया है व किया जा रहा है। इस बकाया को पूरा इसी साल वसूल नहीं किया जा रहा है, वसूली किस्तों में होगी और पहली किस्त में वर्तमान मांग के अलावा केवल एक साल का ही बक़ाया वसूल किये जाने के आदेश हैं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह जिन लोगों की मालगुजारी बकाया निकली, ऐसे कितने व्यक्ति उत्तर प्रदेश में हैं और ऐसी कितनी धनराशि है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बड़ी लम्बी तादाद है, बड़ी रकम है, उसका डिटेल हम इस वक्त नहीं बतला सकते।

*२६–२७—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—[१ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

सगड़ी तहसील में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की प्रार्थना

*२८—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ व १९५९ में आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में दिवारा आराजी अमानी व दिवाराजदीद (जोड़बाबर) में एक-एक आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी खोलने के निमित्त सरकार को आवेदन-पत्र दिया गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां।

*२९—श्री मुक्तिनाथ राय (अनुपस्थित)—यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस सम्बन्ध में आख्या मांगी गयी है।

बोर्ड की परीक्षा में विद्यार्थियों की असफलता में वृद्धि

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐण्ड इन्टरमीडिएट एजूकेशन, यू० पी०, इलाहाबाद द्वारा संचालित परीक्षाओं में पिछले पांच वर्षों में कितने विद्यार्थी (१) पंजीकृत हुए, (२) परीक्षाओं में प्रविष्ट हुए और (३) उत्तीर्ण हुए ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४२५ पर)

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् ५८ में हाई स्कूल परीक्षा में करीब १ लाख ९७ हजार विद्यार्थी पंजीकृत हुए, जिनमें से ९८ हजार उत्तीर्ण हुए और सन् ५९ में २ लाख से कुछ अधिक विद्यार्थी पंजीकृत हुए, जिनमें से केवल ८७ हजार विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हुए। इन दोनों सालों का मुकाबला किया जाय तो ५८ से ५९

में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या अधिक होते हुए भी उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कम है। ऐसी हालत में क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अधिक संख्या में विद्यार्थियों के अनुत्तीर्ण होने का कारण क्या यह नहीं है कि या तो पर्चे कठिन थे या वे उनके पाठ्यक्रम के बाहर के थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, अगर आपने कुछ समझा हो तो बतला दें।

श्री उपाध्यक्ष----उनका मतलब यह है कि सन् ५९ में विद्यार्थियों के ज्यादा फेल होने का कारण क्या यह है कि पर्चे कठिन थे या ऐसे क्वेश्चन्स थे जो पाठ्यक्रम से नहीं थे ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—जैसा अवस्थी जी का सवाल है, वैसे ही वे प्रश्न भी थे।

श्री उपाध्यक्ष----अगर गृह मंत्री जी को जानकारी हो तो बतला दें कि क्या ये कारण हैं जिनसे लड़के ज्यादा फेल हुए, नहीं तो कह दें कि यह गलत है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—विद्यार्थियों के फेल होने के कारण तो कई हो सकते हैं। अधिकतर विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित में फेल होते हैं। सम्भव है कि अंग्रेजी का स्टैन्डर्ड कुछ नीचे गिर रहा हो और लड़के इंटरमीडिएट स्टैन्डर्ड तक उसे पिक अप नहीं कर सकते हों, यह भी उसका एक कारण हो। गणित में भी काफी लड़के फेल होते हैं; फिर यह भी सम्भव है कि लड़कों की साधारण तादाद आज स्कूलों में बढ़ रही है और जो विद्यालय हैं, वे पूरी तरह से साधन सम्पन्न न हों, जिससे ठीक तरह से शिक्षण का काम चल सकता हो, यह भी एक कारण हो सकता है। हम इसकी छानबीन करने की चेष्टा कर रहे हैं। यह भी कारण दिखाई देते हैं कि विद्यार्थी साधनहीन हैं, संस्थाओं के पास भी साधनों की कमी है, अध्यापक भी ठीक नहीं हैं कि ठीक से पढ़ाई हो सके, इन सब बातों से जो स्तर गिरता है उसी कारण से वह फेल अधिक होते हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या इन कारणों में से एक कारण यह भी है कि जब चूंकि अध्यापकों के लिये विधान सभा भी खुल गयी है इसलिये वहां के जो अच्छे अध्यापक थे वे सब दलों में घुस गये और अब वहां ठीक प्रबन्ध शिक्षा का नहीं रहा ?

(हंसी—, उत्तर नहीं दिया गया)

श्री गौरीशंकर राय—परीक्षा फलों की इस उत्तरोत्तर अधोगति को रोकने के लिये सरकार क्या प्रयत्न करने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सहसा तो मैं अधिक नहीं बता सकता लेकिन यह बहुत बड़ा प्रश्न है और विद्यार्थियों की परीक्षा में असफल होने की संख्या इस तरह से बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है, उसको रोकने के विषय में बहुत से सुझाव हैं, उन पर यहां की सरकार और केन्द्रीय सरकार के एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा विचार हो रहा है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या यह सही है कि उत्तरोत्तर परीक्षार्थियों की असफलता में जो वृद्धि हो रही है वह खास तौर से अंग्रेजी में है जिसके पढ़ाने वाले अध्यापक काफी उपलब्ध हैं, तो क्या सरकार इसके कारणों पर विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने निवेदन किया है कि अंग्रेजी की जो पढ़ाई नीचे से होती है उसमें और इंटरमीडियेट में जो अंग्रेजी विद्यार्थियों को लेनी पड़ती है, उसमें कुछ सामंजस्य कम है; और यह बात सही है कि बच्चे जो असफल होते हैं उनमें अंग्रेजी में असफल होने वालों की तादाद सब से ज्यादा है। यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार के एडवाइजरी बोर्ड के सामने है कि इन्टरमीडिएट एजूकेशन में कैसे सुधार किया जाय, जिससे यह चीज रोकी जा सके।

श्री मोतीलाल अवस्थी--प्रश्न यह है कि सन् ५९ में ५८ के मुकाबले में जो विद्यार्थी प्रविष्ट हुए उनकी संख्या भी अधिक है और पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पिछले साल से कम है, यह उल्टा क्रम इसी साल होने का क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष--काफी स्पष्टीकरण हो चुका।

उर्दू शिक्षा के लिए पृथक अनुदान देने की प्रार्थना

*३१--**श्री अमरनाथ**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने उर्दू शिक्षा के लिये खुले स्कूलों को वित्तीय वर्ष १९५६-५७, १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में कुल कितना अनुदान दिया है, जिसमें शिक्षा तथा भवन निर्माण के सम्बन्ध में अलग-अलग कितनी रकम दी गयी है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--उर्दू शिक्षा के लिये शासन द्वारा कोई पृथक स्कूल नहीं खोले गये हैं, अतः अनुदान देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक निश्चित संख्या में उर्दू के विद्यार्थियों के किसी स्कूल में प्रविष्ट होने पर, वहां जो उनकी उर्दू की पढ़ाई होती है, उसके लिये राज्य सरकार की तरफ से क्या अनुदान दिया जाता है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--अन्तिरिम जिला परिषद् ऐसे स्कूलों की व्यवस्था करती हैं, जहां उर्दू के विद्यार्थी आना चाहते हैं और कहीं पर प्रबन्ध नहीं होता तो हम अन्तरिम जिला परिषद् को अनुदान देते हैं और वे स्कूलों को चलाती हैं।

श्री अमरनाथ--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उर्दू शिक्षा के लिये पृथक से स्कूल न खोलने का क्या कारण है और जो स्कूल निजी तौर से उर्दू शिक्षा के लिये खुले हैं उनको अनुदान न देने का क्या कारण है ? क्या भविष्य में प्रदेश की इस जरूरत को देखते हुए सरकार की तरफ से अनुदान दिये जायंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अलग से स्कूल खोलने का प्रश्न इसलिये नहीं उठता कि हमारे यहां शिक्षा का एक क्रम है, बेसिक पाठशालायें हमारे यहां खुलती हैं। अब उनमें यदि कहीं हमारे बच्चों की तादाद ऐसी है कि जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं, जिनकी मातृभाषा उर्दू हो, तो उनका प्रबन्ध हम उसमें कर देते हैं। इसके अलावा जो हमारे इस्लामिया स्कूल और मकतब चलते हैं वह तो मौजूद हैं और उन्हें सरकार की तरफ से कई लाख रुपया ग्रान्ट भी मिलती है।

श्री गौरीशंकर राय--क्या सरकार को मालूम है कि जिला परिषद् द्वारा संचालित स्कूलों में उर्दू पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिये अधिकांश जिलों में सुविधा नहीं हो सकी ?

श्री उपाध्यक्ष--आप कोई खास मामले की सूचना दें, तब कार्यवाही होगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस्लामिया स्कूल जो प्रदेश में हैं उनको कुल सरकारी ग्रान्ट पिछले दो सालों में अलग-अलग कितनी दी गयी है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--पिछले साल इस्लामिया स्कूलों को ५,४९,३१० रुपया और इस साल ५,९१,५१० रुपया दिया गया।

श्री रामायण राय--मकतबों को जो सहायता दी जाती है उसकी रकम में इस साल क्यों कमी हो गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सम्भव है कुछ मकतब टूटे हों, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--जैसी कि अभी सरकार ने उर्दू के बारे में अपनी नीति बतायी है उसको देखते हुए, जहां ४० बच्चे उर्दू पढ़ने वाले होंगे, क्या वहां सरकार अपनी तरफ से स्कूल खोलने पर विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--बेसिक पाठशालायें, जिला परिषद और नगरपालिकाएं खोलती हैं। सरकार की ओर से उनको अनुदान मिलता है। बेसिक पाठशालाओं में यदि कहीं बच्चे ऐसे हों जो उर्दू पढ़ना चाहते हों तो उसका प्रबन्ध किया जाय इस तरह के आदेश जा चुके हैं और बराबर इसी ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है।

*३२-३४--**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)--[७ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

श्री शिवप्रसाद गुप्त चिकित्सालय, बाराणसी में बहरापन दूर करने के कार्य

*३५--**श्री मुक्तिनाथ राय** (अनुपस्थित)--३१-७-५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८४ व ८५ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री शिवप्रसाद गुप्त चिकित्सालय, वाराणसी के कर्ण, कंठ एवं नासिका रोग के विशेषज्ञ चिकित्सक, डाक्टर शिवरतन सिंह, ने बहरापन दूर करने का जो सफल आपरेशन किया और तीन मरीज अच्छे हुए, इसके बाद इस कार्य को बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--बहरापन दूर करने के कार्य को बढ़ाने के लिये विशेष प्रकार के यंत्रों को तथा अंधेरे कमरे (dark room) को साउन्ड प्रूफ (sound proof) कमरे में बदलने की आवश्यकता है। इन दोनों का प्रबन्ध करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

बड़ागांव, पिंडरा तथा सिंधोरा अस्पतालों के लिए इमारतें न होना

*३६--**श्री ऊदल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बड़ागांव, परगना कोल असला, जिला वाराणसी में जो राजकीय अस्पताल खुला है उसकी इमारत के लिये कितना रुपया मंजूर हुआ है और इमारत के बनने का कार्य कब से शुरू होगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--बड़ागांव के राजकीय चिकित्सालय के भवन निर्माण के लिये कोई धनराशि अब तक स्वीकृत नहीं हुई है अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता है कि इमारत के बनने का कार्य कब से शुरू होगा।

*३७--**श्री ऊदल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिंडरा, परगना कोल असला, जिला वाराणसी में जो जच्चा-बच्चा अस्पताल बनने वाला है उसकी इमारत के लिये कितना रुपया मंजूर हुआ है और अस्पताल की इमारत कब से बनना शुरू होगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--पिण्डरा में जो अन्तरिम जिला परिषद् का एलोपैथिक चिकित्सालय है उसके भवन की प्राप्ति के लिये ७,००० रुपया स्वीकृत हुआ है। इसी धन में से अस्पताल के भवन में एक कमरा जच्चा-बच्चा केन्द्र के लिये बनवा दिये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

*३८--**श्री ऊदल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह सिंधोरा, परगना कोल असला, जिला वाराणसी में सरकारी अस्पताल खोलने पर विचार कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--एलोपैथिक चिकित्सालय, ब्लाक के हेड क्वार्टर्स पर प्राइमरी हैल्थ यूनिट के अन्तर्गत खोले जाते हैं। चूंकि सिन्धोरा किसी ब्लाक का हेडक्वार्टर नहीं है इसलिये वहां एलोपैथिक चिकित्सालय खोले जाने का प्रश्न अभी नहीं उठता है।

श्री ऊदल--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बड़ागांव में जो राजकीय औषधालय एक किराये के मकान में चल रहा है, जिसका सम्भवतः ५५ रुपया माहवार किराया है, इसको देखते हुए, वहां जल्दी से जल्दी औषधालय की इमारत बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इस पर मुन्हसिर है कि पैसा मिल जाय।

फरेंदा तहसील के श्रीनगर ताल का पानी निकालने की प्रार्थना

*३९--श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार के पास गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील के श्रीनगर ताल के समीप के सैकड़ों किसानों की शिकायत फसल के नष्ट होने तथा खेत पानी में डूबने के नाते न बोये जाने के बारे में इस महीने में प्राप्त हुई है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--जी हां। गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में श्रीनगर ताल के समीप फसल को नुकसान पहुंचने तथा खेत में पानी में डूबने के कारण न बोये जाने के बारे में, ग्राम रुद्रापुर शिवनाथ, पिपरा परसौनी, परसौनी, अचलगढ़, कटाईकोट उर्फ मदरहना, रामपुर पंडित तथा महुआरी के प्रधानों द्वारा भेजा गया एक प्रार्थना-पत्र जिलाधीश को प्राप्त हुआ था।

*४०--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या उपर्युक्त शिकायत की जांच S. D. O., फरेंदा ने १७-१८ दिसम्बर को की थी ? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय उस रिपोर्ट की एक नकल सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--उपर्युक्त प्रार्थना पत्र में की गई शिकायतों के बारे में एस० डी० ओ० फरेंदा ने १७-१८ दिसम्बर को कोई जांच नहीं की थी। अतः उनकी रिपोर्ट की नकल को सदन की मेज पर रखने का सवाल पैदा नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष--किसी और तारीख को जांच की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उन्होंने नहीं की है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--जब इतनी ग्राम सभाओं के सभापतियों ने इतनी बड़ी फ़सल के नुकसान होने और खेत पानी में डूबे रहने के कारण बोये न जा सकने के सम्बन्ध में दरख्वास्त दी थी तो जांच क्यों नहीं हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जांच हुई लेकिन एस० डी० ओ० ने नहीं की। आपने एस० डी० ओ० के बारे में प्रश्न पूछा था।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--तो फिर किस अधिकारी ने जांच की और उसका क्या नतीजा निकला ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने की थी।

श्री उपाध्यक्ष--नतीजा क्या हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--नतीजा यह है कि अभी कुछ हुआ नहीं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--जहां इतनी फसल बरबाद हो गई, और खेत पानी में डूबे रहने के कारण खेत परती रह गये, और वह पानी आसानी से नहर का बांध खोल कर निकाला जा सकता था, तो क्यों नहीं निकाला गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन-- जिलाधीश ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कांटैक्ट किया है। वे इसके बारे में सोच रहे हैं।

टेहरी-गढ़वाल जिले में नैलचामी, कीर्तिनगर, किलकिलेश्वर सम्बन्धित शिक्षा संस्थायें

*४१—**श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन** (जिला टेहरी-गढ़वाल) (अनुपस्थित)—गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह टेहरी-गढ़वाल के नैलचामी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का तुरन्त प्रदेशीयकरण करे ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

*४२—**श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन** (अनुपस्थित)—क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकार से अनुरोध किया गया है कि टेहरी-गढ़वाल में खुलने वाला प्रस्तावित दीक्षा विद्यालय इस जिले के सुदूर देहाती स्थान किलकिलेश्वर में खुले ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, इस आशय का प्रार्थना-पत्र हाल ही में प्राप्त हुआ है, जब कि नार्मल स्कूल जहां खुलने थे, खुल चुके थे। अतः इस प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया गया ।

*४३—**श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन** (अनुपस्थित)—क्या गृह मन्त्री कृपया टेहरी-गढ़वाल के कीर्तिनगर नामक स्थान में द्वितीय योजना के शेष काल के अन्दर एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं ।

कानपुर के एक मुस्लिम व्यापारी की खानातलाशी

*४४—**कुंवर श्रीपालसिंह तथा श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रदेश की सी० आई० डी० ने अक्तूबर, १९५९ में ऐसे किसी गिरोह का पता लगाया है जो पाकिस्तानी प्रचार करता था तथा देशद्रोही कार्यों के हेतु धन संग्रह के लिये डाके भी डालता था, तथा जिसका मुख्य कार्यालय कानपुर में किसी मुस्लिम व्यापारी के घर में था ? यदि हां, तो इस मामले में कितने व्यक्ति पकड़े गये तथा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि क्या यह सत्य है कि पिछले साल बाराबंकी-लखनऊ सड़क पर एक मोटर पकड़ी गयी थी और उस व्यापारी की थी जिसका जिक्र इस प्रश्न में किया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह सही है कि लखनऊ-बाराबंकी सड़क पर ३० अगस्त, ५९ को एक मोटर पकड़ी गयी थी जिसमें कुछ लोगों के पास कंट्री-मेड पिस्तौल थी। लेकिन जो मालिक था वह मोटर के अन्दर मौजूद नहीं था। उसके मकान की तलाशी भी ली गयी और कुछ सामान कब्जे में किया गया, लेकिन सिद्ध यही हुआ कि वह चोरी का सामान नहीं था।

कुंवर श्रीपाल सिंह—क्या यह सत्य है कि जब उस मोटर के मालिक के घर पर पुलिस ने छापा मारा और तलाशी ली तो वहां पर बहुत-सा लूट का सामान तथा पाकिस्तानी नोट मिले ?

श्री रामस्वरूप यादव—कुछ जेवरात और आयरन सेफ में कुछ कपड़ा मिला। लेकिन पाकिस्तानी नोट की मुझे सूचना नहीं है और जानकारी यह हुई कि यह चोरी से सम्बन्धित माल नहीं है ।

लखनऊ सेना क्षेत्र से चोरी की रिपोर्ट

*४५—**कुंवर श्रीपालसिंह तथा श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसे पता है कि जनवरी, १९६० में लखनऊ पुलिस में यह रिपोर्ट की गयी कि लखनऊ सेना क्षेत्र से दो तोपें चोरी चली गयी हैं ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव—कोई तोप चोरी होने की सूचना थाने में नहीं की गयी, परन्तु एक पीतल की बैरल तथा एक डैकोरेशन गन क चोरी होने की सूचनाएं थाने पर अवश्य दर्ज हुईं । पुलिस जांच कर रही है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—जैसा कि प्रश्न के उत्तर में बतलाया गया है क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह बैरल डी० डी० टी० रखने वाला या तारकोल रखने वाला था और अगर था, तो इसका वजन क्या था ?

श्री रामस्वरूप यादव—सेना के अधिकारी इसे ब्रास बैरल कहते थे, और ब्रास बैरल का वजन बहुत काफी होता है ।

जालौन जिले के अस्पतालों में डाक्टरों की कमी

*४६—**राजा वीरेन्द्रशाह** (जिला जालौन)—क्या न्याय मंत्री को मालूम है कि जिला जालौन के ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में अधिकतर डाक्टर नहीं हैं और केवल कम्पाउण्डर द्वारा काम हो रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां ।

*४७—**राजा वीरेन्द्रशाह**—क्या उक्त जिले में ऐसे भी अस्पताल हैं जहां, जब से अस्पताल खोला गया तब से अभी तक, डाक्टर नहीं पहुंचा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां ।

*४८—**राजा वीरेन्द्रशाह**—क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में जो डाक्टरों की कमी है उसको शहरों में तैनात डाक्टरों में से देहाती क्षेत्र में भेज कर पूरा करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जहां तक संभव है ऐसा ही किया जा रहा है ।

राजा वीरेन्द्रशाह—देहात में जब डाक्टर नहीं जाते तो क्या उनका एलाउन्स बढ़ाने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बढ़ा दिया है और १२० रुपये कर दिये हैं और सोच रहे हैं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—देहात में डाक्टर जायं, इसके लिये क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करेगी कि देहात के लड़के मेडिकल कालेज में भर्ती किये जायं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—अंडरटेकिंग ली जा रही है कि इतने वर्ष जरूर देहात में काम करना पड़ेगा; लेकिन ५ वर्ष मेडिकल कालेज के ग्लेमर में पढ़ कर वे भी देहात में नहीं जाना चाहते और पहाड़ के लोग, जो यहां पढ़ लेते हैं वह भी पहाड़ में नहीं जाना चाहते हैं ।

सी० एल० आर० डी० स्कीम से उन्नाव जिले के राजस्व में वृद्धि

*४९—**श्री भीखालाल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सी० एल० आर० डी० स्कीम द्वारा उत्तर प्रदेश के राजस्व में कितनी कमी या बेशी पायी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सी० एल० आर० डी० स्कीम के फलस्वरूप अब तक राज्य के राजस्व में ५७,४२,६४३ रुपये की वार्षिक वृद्धि हुई और १३,४७,५१५ रुपये की कमी हुई। इस प्रकार राजस्व की वार्षिक मांग में ४३,९५,१२८ रुपये की वास्तविक वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त बकाया राजस्व में ३,१६,४४,२२८ रुपये की वृद्धि और ७५,५२,४५८ रुपये की कमी का भी पता लगा। इस प्रकार बकाया में २,४०,९१,७७० रुपये की वास्तविक वृद्धि हुई।

*५०—**श्री भीखालाल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सी० एल० आर० डी० स्कीम द्वारा जिला उन्नाव के राजस्व में कितनी कमी या बेशी पाई गई और वह प्रत्येक तहसील में अलग-अलग क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सी०एल०आर० डी० स्कीम के फलस्वरूप अब तक राजस्व में १,६२,०५७.१२ रुपये की वार्षिक वृद्धि हुई और ३१,७४६.६० रुपये की कमी हुई। इस प्रकार राजस्व की वार्षिक मांग में कुल १,३०,३१०.५२ रुपये की वास्तविक वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त बकाया राजस्व में ८,१८,३७७.७३ रुपये की वृद्धि और १,६०,५४८.४४ रुपये की कमी का भी पता लगा। इस प्रकार बकाया में ६,५७,८२९.२९ रु० की वास्तविक वृद्धि हुई। जिले के राजस्व में वार्षिक वृद्धि या कमी तथा बकाया राजस्व में वृद्धि या कमी का तहसीलवार विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४२६ पर)

गोरखपुर जिले में विचित्र प्रकाश तथा भयानक धड़ाका

*५१—**श्री मदन पांडेय**—क्या यह सत्य है कि गत ७-१-६० की रात्रि में गोरखपुर जिले के उत्तरी भाग में भयानक धड़ाका, गड़गड़ाहट तथा विचित्र प्रकाश सैकड़ों वर्ग मील क्षेत्र में दिखाई पड़ा था जिसकी सूचना प्रश्नकर्त्ता ने माननीय मुख्य मंत्री को भी दी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह प्रकाश तथा गड़गड़ाहट कैसी थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस विषय पर प्रश्नकर्त्ता का एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ था। जांच पर ज्ञात हुआ कि इस प्रकार की एक अफवाह महाराजगंज तहसील में फैली थी परन्तु अफवाह के सही कारण का पता न लग सका।

श्री मदन पांडेय—क्या सरकार के पास इस आशय की सूचना वहां के पुलिस कप्तान और जिला अधिकारियों द्वारा आयी है कि धड़ाका, गड़गड़ाहट और प्रकाश, ये तीनों सही में हुये थे लेकिन उसके कारणों का पता अब तक नहीं लग सका है ?

श्री रामस्वरूप यादव—कुछ लोग तो यह कहते हैं कि प्रकाश भी था, कुछ कहते हैं कि अकेले गड़गड़ाहट हुई लेकिन यह पता नहीं चल सका कि कारण क्या था। अन्दाज यह किया जा रहा है कि नेपाल गवर्नमेंट अपने क्षेत्र में कोई नहर बनवा रही थी। यह अफवाह इस वजह से और भी फैली क्योंकि चीन और हिन्दुस्तान के बीच उन दिनों तनाव चल रहा था।

*५२-५३—**कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री** (जिला मेरठ)—[१ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

सरेनी थाने के अन्तर्गत घूसखोरी का मुकदमा

*५४—**श्री गुप्तारसिंह** (जिला रायबरेली)—क्या गृह मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, रायबरेली में थाना सरेनी के अन्तर्गत १ जनवरी, सन् १९५९ से १ जनवरी, सन् १९६० तक कम्प्लेन्ट आफीसर की रिपोर्ट पर रिश्वत सम्बन्धी कितने मुकदमे चल रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—एक।

*५५—**श्री गुप्तारसिंह**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिन पर मुकदमे चले वह मुअत्तल किये गये कि नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—संबंधित व्यक्ति मुअत्तल है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री गुप्तारसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो यह एक व्यक्ति है इसके ऊपर कब मुकदमा दायर हुआ और वह मुअत्तल किस तारीख को हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव—तारीख मुअत्तली के लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

सीतापुर में पुलिस द्वारा हाइडेल कर्मचारियों का पीटा जाना

*५६—**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को सूचना प्राप्त हुई है कि गत ५ फरवरी को सीतापुर शहर में पुलिस ने कतिपय हाइडेल-कर्मचारियों तथा अधिकारियों को बुरी तरह से पीटा, जिसके विरोध में सारे शहर में पूर्ण हड़ताल हो गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है।

*५७—**श्री झारखंडे राय** (अनुपस्थित)—यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—एक मजिस्ट्रेट इस मामले की जांच कर रहे हैं। दो सिपाहियों को मुअत्तल कर दिया गया है और सब-इन्सपेक्टर को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

खीरी जिले के सिविल सर्जन तथा इंचार्ज, लेपरासी सेंटर के विरुद्ध शिकायत

*५८—**श्री शिवप्रसाद नागर**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसे खीरी जिले के विधायकों के द्वारा दिनांक २-७-५९ को लेपरासी हास्पिटल और सदर हास्पिटल के संबंध में कुछ शिकायतें लिखित प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उनकी जांच हुई या नहीं और यदि हुई, तो परिणाम क्या हुआ ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—खीरी जिले के किसी विधायक द्वारा २-७-५९ को लेपरासी हास्पिटल और सदर हास्पिटल के संबंध में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई। श्री शिव प्रसाद नागर का पत्र दिनांक ९-७-५९ जिसमें उन्होंने सिविल सर्जन, खीरी तथा मेडिकल आफिसर इंचार्ज, लेपरासी सेन्टर, खीरी के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये थे, अवश्य प्राप्त हुआ। स्वास्थ्य सेवा संचालक ने मौके पर जाकर स्वयं मामले की जांच की जिसके फलस्वरूप कुछ सरकारी कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस शिकायत की जांच में जिन कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया है, वह अपराधी पाये गये या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह तो सब ऐडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउन्ड पर ट्रांसफर किये गये। कोई इनसबार्डिनेशन में या डायरी ठीक न रखने की वजह से, इस तरह की बातें थीं।

श्री शिवप्रसाद नागर—जो शिकायत मेरे द्वारा भेजी गयी थी और उसकी जांच हुई, जैसा कि जवाब में लिखा हुआ है, और जांच होने के फलस्वरूप उत्तर यह मिला कि उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है और अब जवाब मिला कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से स्थानान्तरण किया गया, तो क्या वे लोग अपराधी सिद्ध हुये या नहीं और अगर अपराधी सिद्ध हुये तो उनके साथ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिनके खिलाफ शिकायत की गयी थी, मेडिकल आफिसर, लेपरासी हास्पिटल और सिविल सर्जन, उनके खिलाफ शिकायत कतई साबित नहीं हुई।

श्री शिवप्रसाद नागर—सिविल सर्जन द्वारा एक दिन पहले जो मेडिकल सर्टिफिकेट दिया गया और दूसरे दिन फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया और उसके बाद वह व्यक्ति मर गया उसकी जो अटेस्टेड कापी डायरेक्टर महोदय लाये हैं, उसके बारे में अब तक मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सर्टिफिकेट देने के लगभग ५ महीने के बाद वह व्यक्ति मरा था और आपने शिकायत लिखी थी कि दो दिन के बाद मरा। तो यह शिकायत गलत पायी गयी।

डुमरियागंज तहसील में चकबन्दी सम्बन्धी निगरानियां

*५९—**श्री रामलखन सिंह** (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि कितने रिवीजन तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती के पिछले वर्ष में चकबन्दी कानून की धारा ४८ में डिप्टी डायरेक्टर व जिलाधीश के यहां दाखिल हुये तथा कितने स्वीकृत और कितने अस्वीकृत हुये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वर्ष १९५९ के आरम्भ में ११९ निगरानियां धारा ४८ के अन्तर्गत जिला बस्ती में विचाराधीन थीं। १ जनवरी, १९५९ से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक ६४८ निगरानियां दायर हुई थीं और इस प्रकार निर्णयार्थ निगरानियों की कुल संख्या ७६७ थी। इसमें से ६६४ निगरानियां निर्दिष्ट वर्ष के अन्दर निर्णीत हुईं, जिनमें २२७ स्वीकृत और ४३७ अस्वीकृत की गईं।

इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू अस्पताल की नई इमारत तथा आंख के अस्पताल को बढ़ाने की प्रार्थना

*६०—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले के मोतीलाल नेहरू अस्पताल की जो इमारत मलाका जेल की जमीन पर अस्पताल के लिये बन रही है, उस इमारत में अस्पताल कब तक चला जायेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—दिसम्बर, १९६० तक इमारत तैयार होने की आशा है। इसके पश्चात् अस्पताल नई इमारत में ले जाया जायगा।

*६१—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या इलाहाबाद के आंख के सरकारी अस्पताल की इमारत तथा बेड बढ़ाने की कोई योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो वह योजना कितने की है और कब तक चालू होगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—धनाभाव के कारण अभी तक तो ऐसी कोई योजना नहीं बनाई जा सकी है। हां, वर्तमान माली साल में इस अस्पताल को आवश्यक साज-सज्जा खरीदने के लिये ३०,००० रु० का अनावर्तक अनुदान दिया गया है।

देवरिया जिले में टेस्ट वर्क्स की मजदूरी के सम्बन्ध में शिकायत

*६२—**श्री उग्रसेन**—क्या न्याय मंत्री के पास फरवरी, ६० के प्रथम सप्ताह में देवरिया के एक विधायक द्वारा इस आशय की शिकायत आई है कि जिलाधीश, देवरिया ने जनपद में चल रहे ५ सड़कों पर टेस्ट वर्क के १०,००० से अधिक मजदूरों की मजदूरी कम कर दी है ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी हां, उक्त शिकायत के संबंध में जिलाधीश ने यह सूचना दी कि मजदूरी की दर नहीं घटाई गई थी, बल्कि मजदूरी देने का तरीका बदल दिया गया था, लेकिन जब यह मालूम हुआ कि बदला हुआ तरीका काम करने वालों के अनुकूल नहीं है, तो पुनः पुराने तरीके को लागू कर दिया गया।

*६३—**श्री उग्रसेन**—क्या न्याय मंत्री उक्त शिकायत की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—उक्त पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४२७ पर)

श्री उग्रसेन--क्या यह सही है कि पेमेन्ट का जो तरीका बदला गया है उससे मजदूरों पर ज्यादा व्यापक पैमाने पर जुर्माना हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष---वह तो समाप्त कर दिया गया।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि पहले के जो दर निर्धारित थे, उनमें जो बदला हुआ तरीका इस्तेमाल किया गया, उससे मजदूरों पर मास फाइन हो रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह तो काहिलों पर असर पड़ता है। जो मजदूर काम करते हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ता है।

श्री उग्रसेन---जैसा कि माननीय मंत्री जी ने लिखकर दिया है कि प्रति दिन की मजदूरी १० आने, ८ आने और ६ आने है तो माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मिट्टी की पैमाइश वह किस तरह से कराते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मौके पर जो लोग काम करते हैं, वही पैमाइश करते हैं।

देहरादून में मुस्लिम परिवारों की पुनर्वासन योजना

*६४---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में देहरादून में मुस्लिम परिवारों के लिये मकानों का निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो बनवाये जा रहे मकानों की संख्या क्या है और उन पर कुल कितना रुपया व्यय होगा ? क्या यह सारा धन भारत सरकार से सहायता के रूप में प्राप्त होगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां, देहरादून में मुस्लिम परिवारों के लिये १२० मकानों का निर्माण कराया जा रहा है जिन पर कुल ३,९६,००० रु० व्यय होगा और यह सारी धनराशि भारत सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त हुई है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन मुस्लिम परिवारों के लिये भवनों का निर्माण कराया जा रहा है ये देहरादून में नये बस रहे हैं ? यदि हां, तो ये पहले कहां रहते थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जब बलवा हुआ तब ये भाग गये थे। वही वापस आये हैं।

*६५---कुमारी श्रद्धा देवी शास्त्री (अनुपस्थित)---[स्थगित किया गया।]

लालगंज तहसील में हरिजन कल्याणार्थ कथित विशेष अनुदान

*६६---श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि आजमगढ़ जिले की लालगंज तहसील में हरिजन-कल्याण के हेतु १९५९-६० के लिये कोई विशेष अनुदान दिया गया था ? यदि हां, तो अब तक यह रकम हरिजन-कल्याण के हेतु किन-किन मदों में व्यय की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं।

अलीगढ़ नगरपालिका का प्रारम्भिक पाठशालायें खोलने के लिए प्रार्थना-पत्र

*६७---श्री अनन्तराम वर्मा (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या अलीगढ़ नगरपालिका ने कोई प्रार्थना-पत्र अपने बढ़े हुए क्षेत्र में प्रारम्भिक पाठशाला खोलने की अनुमति के लिये शिक्षा विभाग को दिया है ? यदि हां, तो कितनी पाठशालाओं के लिये दिया है ? उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, गत वर्ष दिया था १२ पाठशालाओं के लिये। आर्थिक कठिनाई के कारण स्वीकार न किया जा सका।

*६८—श्री अनन्तराम वर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या अलीगढ़ नगरपालिका ने अपने क्षेत्र में अपने खर्चे पर मान्टेसेरी स्कूल चलाने के लिये शिक्षा विभाग से कोई अनुमति मांगी है? यदि हां, तो सरकार कब तक अनुमति देगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

फर्रुखाबाद जिले में डकैतियां और कत्ल

*६९—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में जनवरी, सन् ५९ से अब तक कितने कत्ल और डकैतियां थानेवार हुई हैं और सन् ५८ में इनकी संख्या थानेवार कितनी थी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४२८ पर)

*७०—कुंवर श्रीपालसिंह—[१ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*७१-७२—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—[१ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

बस्ती जिले में डकैतियां तथा कत्ल

*७३—श्री रामलखन सिंह (अनुपस्थित)—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष में जिला बस्ती में किस थाने में कितनी हत्यायें और डकैतियां हुईं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४२९ पर)

*७४-७६—श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)—[७ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

लखनऊ में रायल होटल के विधायक निवास में खराब सामान लगाने की शिकायत

*७७—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या उनके पास रायल होटल में बने विधायक निवास में घटिया किस्म का सामान लगाने व प्लास्टर आदि खराब करने के सम्बन्ध में कोई शिकायत दिनांक २८ अक्तूबर, १९५९ के लगभग प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो इसपर क्या कार्यवाही की गई?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। शिकायत की जांच के लिये मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिखा गया था जिन्होंने इनकी जांच अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड एवं आरक्षण खण्ड द्वारा करायी।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस जांच के पश्चात क्या परिणाम निकला और जांच के समय किन-किन लोगों से पूछ ताछ की गई और सब सामान किन किन सज्जनों को दिखाया गया?

श्री रामस्वरूप यादव—किन किन सज्जनों से पूछ ताछ हुई इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी लेकिन जांच से मालूम हुआ कि काम में कोई खास खराबी नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष---आम खराबी क्या हुई वह बतला दें ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसका आशय यह समझा जाय कि कोई खराबी नहीं हुई।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या मन्त्री जी इसको देखते हुये कि रायल होटल विधायक निवास के बहुत ही निकट है और जो शिकायतें मैंने भेजी थीं उनके सम्बन्ध में मुझ से कोई पूछ-ताछ नहीं की गई तो क्या वह इस पर पुनः विचार करेंगे या स्वयं देखने का कष्ट करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---देखने का कष्ट तो श्रीमन, जब वह कहें तभी करलूं। लेकिन एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर से इसकी जांच करायी गयी और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक यह मालूम हुआ कि काम में किसी तरह की खराबी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष ---प्रश्नकर्त्ता का कहना यह है कि शिकायतें उनकी थीं और उनको जांच के समय बुलाया नहीं गया, तो क्या इसपर वह विचार करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---हर कम्प्लेंट में बुलाया ही जाय ऐसी बात नहीं होती है। विभागीय जांच होती है और जितनी शिकायतें थीं कि लकड़ी ठीक नहीं थी या बालू पर बना दी गयी या प्लास्टर ठीक नहीं हुआ, इन के सब के सम्बन्ध में जांच करा ली गयी और यह रिपोर्ट मिली कि सब ठीक है।

देवरिया में हरिजन बस्ती के विस्तार की आवश्यकता

*७८---श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या देवरिया में हरिजन बस्ती के विस्तार के लिए कुछ भूमि प्राप्त करने का निवेदन जिलाधीश देवरिया से दो वर्ष पूर्व किया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---जी हां। विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में भूमि प्राप्त करने एवं गृह निर्माण हेतु अनुदान देने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए अनुदान स्वीकृत नहीं किया जा सका।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---मान्यवर, यह उत्तर मुझे गृह मंत्री द्वारा मिला है और मैं हरिजन कल्याण मन्त्री से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि शहरी क्षेत्रों में हरिजन कल्याण के लिए कौन-सी योजना चालू है और उनका कल्याण कौन करता है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---श्रीमन्, गृह मन्त्री, हरिजन कल्याण मन्त्री भी हैं, इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूं। अब तक शहरी इलाके में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम इस योजना को चालू कर सकें।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---क्या मन्त्री जी नगरपालिका द्वारा विशेष अनुदान दिलाकर हरिजनों का उद्धार करेंगे या हरिजनों के लिए कोई कल्याण की योजना इस सरकार के विचाराधीन नहीं है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---मैंने जैसा बतलाया अभी तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हरिजनों के कल्याण के लिए केवल देहात में व्यवस्था है।

हरदोई जिले में विभिन्न अपराधों की घटनायें

*७९---श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)---क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५९-६० में जिला हरदोई में कितने और किन-किन शहरों की बाजारें लूटी गयीं, कितने और किन-किन स्थानों के अन्दर चोरियां हुयीं तथा कितने और कहां-कहां दिनदहाड़े बाजारों के अन्दर कत्ल हुये ?

नोट---तारांकित प्रश्न ७८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त अवधि में केवल कसबा बिलग्राम के बाजार में तारीख २८, २९ दिसम्बर, १९५९ की रात को एक डकैती पड़ी जिसमें एक मकान व चार दूकानों का माल लूटा गया।

कोतवाली, कासिमपुर तथा सांडी के थानों के अहाते में चोरियों की घटनायें हुयीं।

बाजार दत्थोनापुर, थाना पिहानी में दिन में एक कत्ल दिनांक १६-१२-५९ को हुआ।

जिला हरिजन कल्याण अधिकारी

*८०—**श्री खुशीराम** (जिला अल्मोड़ा)—क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने जिला हरिजन कल्याण अधिकारी कार्य कर रहे हैं? इन में से कितने हरिजन हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—५०। इनमें से १६ हरिजन हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य करने की योजना

*८१—**श्री जगदीशशरण अग्रवाल** (जिला बरेली), **श्री कोतवालसिंह भदौरिया, श्री ऊदल, श्री मुक्तिनाथ राय** तथा **श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या सारे उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

आदिलनगर ग्राम की डकैती

*८२—**श्री राजनारायण**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या गत ३१ अक्तूबर दीवाली की रात ग्राम आदिलनगर, थाना मड़ियाहूं, जिला लखनऊ में कोई डकैती पड़ी थी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

*८३—**श्री राजनारायण**—यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट थाने में कब लिखी गयी और अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—रिपोर्ट थाने में १-११-५९ की सुबह लिखी गयी। पुलिस द्वारा जांच की गयी किन्तु अपराधियों का पता न चलने के कारण मामले में अन्तिम रिपोर्ट भेज दी गयी।

*८४—**श्री राजनारायण**—क्या यह सही है कि इस घटना की रिपोर्ट पहले चोरी की लिखी गयी थी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। वादी ने थाने में लिखित रिपोर्ट दी जिस के आधार पर अपराध धारा ४५७ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत लिखा गया। बाद में घटनास्थल का निरीक्षण करने पर मामला डकैती का प्रतीत हुआ और डकैती में परिवर्तित कर दिया गया।

गोरखपुर तथा देवरिया जिलों में टेस्ट वर्क की मजदूरी की शरह

*८५—**श्री उग्रसेन**—क्या न्याय मन्त्री कृपया दिनांक २-२-६० के प्रश्न संख्या ६४ तथा ६५ के उत्तर के क्रम में बतायेंगे कि गोरखपुर तथा देवरिया में चल रहे टेस्ट वर्क पर मजदूरों की मजदूरी इस समय किस रेट से दी जाती है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त जिलों में टेस्ट वर्क पर मजदूरी इस समय इस प्रकार दी जा रही है :—

नाम जिला	मजदूरी की दर
१—गोरखपुर ..	.. प्रति १ हजार घनफुट मिट्टी के काम पर ७ रुपया।
२—देवरिया ..	.. (क) मिट्टी खोदने वाले को—१० आना प्रति दिन। (ख) मिट्टी ढोने वाले को—८ आना प्रति दिन। (ग) काम करने वाले बच्चे को—६ आना प्रति दिन।

विधायक निवासों का बिजली का बिल

*८६—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि लखनऊ में विधायक निवासों में १९५९-६० में बिजली का बिल कितना देना पड़ा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कुल ७८,८६७ रुपये ९९ नये पैसे।

स्वतन्त्रता समारोहों पर व्यय

*८७—**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)—क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत ३ वर्षों में २६ जनवरी, और १५ अगस्त के स्वतन्त्रता समारोहों के सम्बन्ध में कितनी धनराशि व्यय की गयी और वह किस प्रकार व्यय हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—२६ जनवरी, १९५७, ५८ तथा ५९ को गणतन्त्र दिवस समारोहों पर क्रमशः ६३, ४२२ रु०, ६५,६३४ रु० २६ न० पै० तथा ६२,०२६ रु० ६१ न० पै० और १५ अगस्त, १९५६, ५७ तथा ५८ को स्वतंत्रता दिवस समारोहों पर क्रमशः १०,१०६ रु० ११ आ० ३ पा०, ४३,१०० रु० १२ न०पै०, तथा ९,८४९ रु० ३९ न० पै० की धनराशियां व्यय की गयी थीं। यह धनराशियां सम्बन्धित समारोहों के लिए निर्धारित कार्यक्रमों को सभी जिलों में तथा मुख्यालय पर आयोजित करने पर व्यय की गयी थीं जिन में लोकनृत्य, टेब्लू, लोकगीत इत्यादि समारोह शामिल हैं।

शहपऊ थाने से थानेदारों के तबादले

*८८—**श्री टीकाराम पुजारी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मथुरा, थाना शहपऊ में पिछले एक साल में कितने थानेदारों का तबादला हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—चार।

गोरखपुर जिले के थानों में टेलीफोन लगाने की योजना

*८९—**श्री गौरीराम गुप्त** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह गोरखपुर जिले के किन-किन थानों में टेलीफोन लगाने जा रही है और कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गोरखपुर जिले में चौरा तथा सहजनवा थानों में टेलीफोन लगाने का प्रस्ताव १९६०, ६१ की नयी मांगों की अनुसूची के द्वारा सरकार के विचाराधीन है और प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर आगामी वित्तीय वर्ष में ये टेलीफोन लगाये जा सकेंगे।

बीरीपुर ग्राम के लेखपाल के विरुद्ध शिकायत

*९०—**श्री रामबली** (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम बीरीपुर, जिला सुल्तानपुर के लेखपाल के ऊपर जो रिश्वत लेने की एक अर्जी हाकिम परगना तथा जिलाधीश के पास कई महीने पूर्व दी गयी थी, उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जांच के पश्चात् रिश्वत की शिकायत निराधार पायी गयी।

मलासा में मवेशी बेचने का रसीदी फार्म न होना

*९१--श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में मलासा में मवेशी बेचने की रसीद से सम्बन्धित फार्म का अभाव है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, इसका कारण गवर्नमेंट प्रेस से आवश्यकतानुसार समय से फार्मों का न पहुंचना था। इसके लिये आवश्यक आदेश अधीक्षक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री को जारी कर दिये गये हैं।

*९२--श्री उल्फतसिंह--क्या यह सच है कि पहले जब कभी उपरोक्त फार्म नहीं मिलते थे तो सादा कागज पर फौजदारी की मुहर लगा देने से इन फार्मों के अभाव की पूर्ति हो जाती थी परन्तु अब मुहर लगाने की सुविधा बन्द कर दी गई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां।

परसेड़ी ग्रामसभा के हरे-भरे पेड़ काटने की शिकायत

*९३--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि सीतापुर जिले के ग्राम सभा परसेड़ी में हरे-भरे बाग काटे जा रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं। केवल ऐसे पेड़ कटे हैं जिन में फल नहीं आते थे या बहुत कम आते थे और जो सूखना शुरू हो गये थे।

गांव समाज के पृथक, अस्तित्व को समाप्त करने पर विचार

*९४--श्री गौरीराम गुप्त--क्या सरकार ११-३-५९ के प्रश्न १०१ के उत्तर के क्रम में कृपया बतायेगी कि अब तक ग्राम समाज तथा ग्राम सभाओं को एक में मिलाने में क्या प्रगति हुई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जिला परिषद विधेयक, १९५९ की अनुसूची ४ में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० के संशोधनों के फलस्वरूप उक्त विधेयक के अधिनियम बन जाने के पश्चात् गांव समाज का कोई पृथक अस्तित्व नहीं रह जायगा।

जिला सूचना अधिकारियों का चुनाव

*९५--श्री शिवराम (जिला बिजनौर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अक्तूबर सन् १९५९ के लगभग जो जिला सूचना अधिकारियों का चुनाव लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया है इस में किस-किस योग्यता के व्यक्ति लिये गये हैं, कुल संख्या कितनी है, और कितने हरिजन हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--आयोग की सिफारिशें अभी शासन के विचाराधीन हैं। चुनाव के नतीजे के अनुसार ५१ पद जिला सूचना अधिकारियों के भरे जाने का विचार है।

बड़ौत-बागपत सड़क पर मोटर दुर्घटनायें

*९६--आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि १ मई, १९५९ से दिसम्बर, १९५९ तक बड़ौत से बागपत तक दिल्ली-सहारनपुर रोड पर बसों और ट्रकों द्वारा कितनी दुर्घटनायें हुयीं, कितने व्यक्ति जान से मरे और कितने घायल हुये?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१० दुर्घटनायें हुईं, जिनमें ७ व्यक्ति मरे और ३ घायल हुये।

*९७--आचार्य दीपंकर--क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वोक्त दुर्घटनाओं में कितने ड्राइवरों और मोटर वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--३ ड्राइवरों का चालान किया गया।

शाहजहांपुर जिले के उच्च पुलिस अधिकारियों को विधान सभा सदस्य द्वारा दी गयी सूचना

*९८--श्री हरदयाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार को ज्ञात है कि शाहजहांपुर के उच्च जिला पुलिस अधिकारियों को कुछ कुख्यात गुंडों द्वारा नाजायज हथियार रखने तथा उनके द्वारा घृणित अपराध होने के सम्बन्ध में गत वर्ष सूचना दी गई थी ? क्या यह सूचना स्थानीय सदस्य विधान सभा द्वारा लिखित दी गई थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां।

*९९--श्री हरदयालसिंह--क्या यह सही है कि उन्हीं बदमाशों से पुलिस गवाही का कार्य अन्य केस में लेकर पनाह दे रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह सही है कि इन लोगों ने अभियोग पक्ष में गवाही दी परन्तु पुलिस द्वारा पनाह दिये जाने की बात सही नहीं है।

लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में स्थायी दन्त डाक्टर न होना

*१००--श्री तेजबहादुर (जिला आजमगढ़) तथा श्री चान्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ के दन्त विभाग में कोई स्थायी डाक्टर है कि नहीं ? यदि हैं, तो कितने, और नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--नहीं हैं। वहां दो अवैतनिक दन्त शल्यक कार्य कर रहे हैं।

*१०१-१०२--श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)--[१ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

फर्रुखाबाद जिले में डकैती व कत्ल के अभियोग

*१०३--श्री द्वारिका प्रसाद (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद में प्रत्येक थाने में अगस्त, १९५९ से ६ फरवरी, १९६० तक कितनी डकैतियां व कत्ल हुये और उनमें क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

हर कत्ल व डकैती की घटना की जांच की गई और फलस्वरूप ९ डकैतियां तथा १६ कत्ल के मामलों में अभियुक्तों का चालान किया गया। ९ डकैतियां और ५ कत्ल के मामलों में जांच हो रही है। ४ कत्ल के मामले लापता रहे।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४३० पर)

बखिरा राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल के भवन का कथित किराया

*१०४--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, बखिरा (बस्ती) के भवन का अबतक कितना रुपया किराया मकान, सरकार की तरफ से दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--चूंकि यह अस्पताल निःशुल्क भवन में स्थापित है, अतः किराया मकान का प्रश्न नहीं उठता।

एच० टी० सी० प्रशिक्षण में हरिजनों व पिछड़ी जातियों का मनोनयन

*१०५--श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)--क्या गृह मंत्री दिनांक १२ फरवरी, १९६० ई० के प्रश्न संख्या १३१ के उत्तर के सम्बन्ध में कृपया बतायेंगे कि ५९-६० वर्ष में एच० टी० सी० प्रशिक्षण के लिये शासन द्वारा नामजद ५०३ अभ्यर्थियों में से हरिजनों और पिछड़ी जातियों की संख्या क्रमशः ४० या ५७ से अधिक न होने के क्या कारण हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--केवल इतने ही छात्रों का मनोनयन उचित समझा गया।

*१०६--श्री मूलचन्द (जिला सीतापुर)--[१ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*१०७-१०८--श्री गनेशीलाल चौधरी--[१ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

बरेली कालेज के बोर्ड आफ कंट्रोल के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए नामावली

*१०९--श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या बरेली कालेज के बोर्ड आफ कंट्रोल के सदस्यों ने बोर्ड के रिक्त स्थान पूरा करने के लिये कोई नामावली (लिस्ट) सरकार की स्वीकृति के लिये भेजी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां।

*११०--श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह बरेली कालेज के बोर्ड आफ कंट्रोल के बहुत काल से रिक्त स्थानों को वांछित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा पूरा कराने के बारे में कोई विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां।

सीतापुर जिले की हरिजन कल्याण अनुदान वितरण समिति

*१११--श्री मूलचन्द--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या हरिजन कल्याण विभाग, सीतापुर में २८-११-५९ की बैठक में निश्चय किया गया था कि स्वीकृत अनुदान के वितरण न होने के कारण को देखने के लिये चार आदमियों की एक कमेटी बनायी जावे और जांच के बाद अनुदान वितरण की समुचित व्यवस्था की जाय ? यदि हां, तो इस कमेटी में कौन-कौन सदस्य निर्वाचित हुये और कमेटी किन-किन तारीखों में बैठी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां। उप-समिति में निम्नलिखित सदस्य निर्वाचित हुये-

१--श्री डल्लाराम।
२--श्री मूलचन्द्र।
३--श्री दामोदरसिंह।
४--पं० श्यामबिहारी।

उप-समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

*११२--११४--श्री उग्रसेन--[७ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

बस्ती जिले में महुआपार और गंगापुर ग्रामों की सीमा का मामला तथा निवासियों का पुनर्वासन

*११५--श्री रामलाल (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के अन्तर्गत तहसील बस्ती के माझा के ग्राम महुआपार और गंगापुर गत वर्ष घाघरा नदी से कट गये और उक्त दोनों ग्रामों के बहुत से निवासी बे घर-बार हो गये ? यदि हां, तो सरकार ने उनके बसाने के लिये अब तक क्या प्रबन्ध किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां, उक्त ग्रामों के १५० घर सन १३६६ तथा १३६७ फसली में घाघरा नदी से कट गये थे। इनमें से ५४ जरूरत मंद परिवारों को ऊंची भूमि पर बसने के लिये ग्राम पिपरा तथा पेरवेला में गांव समाज की १,०१३ एकड़ भूमि दी गयी। शेष परिवारों ने अपने अपने खेतों में बसने का प्रबन्ध स्वयं कर लिया।

*११६--श्री रामलाल--क्या यह सही है कि जिला व तहसील बस्ती के माझा के ग्राम महुआपार गंगापुर तथा अन्य ग्रामों के घाघरा नदी की जिस धारा ने गत वर्ष काटा था वह अब असली धारा में परिवर्तित हो रही है, जिसके कारण इन सभी ग्रामों के अब जिला फैजाबाद में जाने का डर है। यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच-पड़ताल की है, और यदि की है, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--परगनाधीश बस्ती ने उक्त गांवों का निरीक्षण ४-२-६० को किया था। उन्होंने रिपोर्ट दी है कि इन गांवों के पास घाघरा की पुरानी धारा का बहाव कम हो गया है तथा पहले जो धारा सोती के रूप में थी उसका बहाव तेज हो गया है लेकिन जहां से धारायें विभक्त होती हैं वहां से उनकी पूरी लम्बाई तक सर्वेक्षण के लिये फैजाबाद तथा बस्ती जिले के राजस्व अधिकारी सम्मिलित रूप से पुनः निरीक्षण करेंगे, जिससे सीमा निर्धारक धारा को निश्चित किया जा सके।

*११७--श्री रामलाल--क्या यह सही है कि बस्ती जिले के जो किसान बहुत दिन से इन ग्रामों में खेती करते हैं उसपर अब फैजाबाद के कुछ किसान जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और फैजाबाद के सरकारी कर्मचारी उनकी मदद भी कर रहे हैं ? सरकार, इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं, लेकिन कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध इन ग्राम वालों व फैजाबाद जिले के भी कुछ ग्राम वालों को परेशान करने की शिकायत आई है, जिसपर जिलाधीश, फैजाबाद से उचित कार्यवाही करने को कहा गया है।

प्रयाग में सीनियर साइकालोजिस्ट का रिक्त स्थान

*११८--श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--क्या गृहमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि Bureau of Psychology प्रयाग में Senior Psychologist का स्थान रिक्त है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां। जनवरी, १९५९ से।

स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक तथा सरकार की ओर से पुस्तकों का प्रकाशन

*११९--श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों से सम्बन्धित कहानी, चरित्र, चित्र, घटनाओं के वर्णन पर सरकार से कोई रोक लगाई गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं।

*१२०--श्री बंशीधर शुक्ल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो पुस्तिका, सरकार, स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की, निकालने जा रही है, उनमें किन-किन सैनिकों को सैनिक माना गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सरकार स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के विषय में कोई पुस्तक नहीं निकालने जा रही है। अतः इस बात का, कि उसमें किन सैनिकों को सैनिक माना गया है, कोई प्रश्न नहीं उठता ।

*१२१--श्री बंशीधर शुक्ल--क्या सरकार बतायेगी कि सन् १९५९ ई० में सरकार की ओर से कितनी पुस्तकें किन-किन लेखकों की प्रकाशित की गईं और कितने लेखकों की पुस्तकें छपवाने में कितना-कितना रुपया दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सूचना संलग्न तालिकाओं (क) तथा (ख) में दी गई हैं।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ४३१-४३३ पर ।)

*१२२-१२३--श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री राजनारायण --[१ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

खेरीघाट थाने के स्टेशन आफिसर, श्री लखपतसिंह के विरुद्ध कार्यवाही

*१२४--श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल (जिला गोंडा)--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वर्गीय श्री भगवती प्रसाद शुक्ल भूतपूर्व एम० एल० ए० के हत्यारे अभयराज सिंह को फर्जी मुकदमे में फर्जी नाम से चालान का जेल भेजवाने के अपराध में थाना खेरीघाट (बहराइच) के तत्कालीन स्टेशन आफिसर श्री लखपत सिंह के विरुद्ध जो कार्यवाही शासन के विचाराधीन थी, वह की गई या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मामला अभी शासन के विचाराधीन है।

*१२५--श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त मामले में क्या दण्ड दिया गया या दिया जाने वाला है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी जिले में लेखपाल को जेल भेजने से पूर्व चार्ज न ले सकना

*१२६--श्री द्वारिकाप्रसाद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ दिसम्बर, १९५९ से १५ फरवरी सन् ६० तक कितने लेखपालों को दफा २१८ ताजीरात हिन्द के अन्तर्गत जिला वाराणसी में सजा हुई ? क्या जेलखाना भेजते समय उनसे चार्ज नहीं लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--एक लेखपाल को सजा हुई। सजा की सूचना अधिकारियों को विलम्ब से प्राप्त होने के कारण जेलखाना भेजते समय उससे चार्ज नहीं लिया गया। सूचना प्राप्त होने पर उससे चार्ज ले लिया गया।

*१२७--१२९--श्री छेदीलाल (जिला खीरी)--[७ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में लगान में छूट

*१३०--श्री विश्रामराय --क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में तहसीलवार इस वर्ष सूखा के कारण खरीफ की फसल की मालगुजारी में कितनी छूट किसानों को दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---तहसीलवार मालगुजारी लगान में छूट देने की जो प्रस्तावित धनराशियां हैं वे निम्नांकित तालिका में अंकित हैं:---

तहसील का नाम		प्रस्तावित छूट की धनराशि	
		मालगुजारी	लगान
		रु० न० पै०	रु० न० पै०
१---सदर	..	२,५७,८३०.२९	८६६.७०
२---फूलपुर	..	४,५०,३२१.८०	२०९.२१
३---लालगंज	..	२,७७,९२६.३५	..
४---मुहमदाबाद	..	१,६५,२०६.३४	..
५---घोसी	..	१,३५,४१४.३४	११५.८९
६---सगड़ी	..	१,२८,८२६.१३	..
योग	..	१४,१५,५२५.२५	१,१९१.८०

पसगवां में अस्पताल की दवाइयां, दाइयां तथा सेनेटरी इन्स्पेक्टर

*१३१---श्री मन्नालाल (जिला खीरी)---क्या यह सत्य है कि ग्राम पसगवां के अस्पताल के लिए दवाइयां हेल्थ आफिसर के कार्यालय में पड़ा खराब हो रही हैं? यदि हां, तो उनका उत्तरदायी कौन है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---पसगवां विकास खण्ड (डेवेलपमेंट ब्लाक) में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्राइमरी हेल्थ यूनिट) के अन्तर्गत खोले जाने वाले अस्पताल के लिए खरीदी गई दवा यां वहां अस्पताल न खुल सकने के कारण जिला स्वास्थ्य अधिकारी खीरी के कार्यालय में सुरक्षित रखी हैं और उनकी भली-भांति देख-रेख हो रही है। अतः यह दवाइयां खराब नहीं हुई हैं।

*१३२---श्री मन्नालाल---क्या यह सत्य है कि पसगवां में दाई तथा सेनेटरी इन्सपेक्टर पहुंच गये हैं? यदि हां, तो कब?

श्री हुकुमसिंह विसेन---३ दाइयां मई, १९५९ में और १ सेनेटरी इन्सपेक्टर मार्च, १९५९ को पसगवां विकास खण्ड में पहुंच गये थे और वे वहां कार्य कर रहे हैं।

जौनपुर जिले में हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के सम्बन्ध में शिकायत

*१३३---श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जौनपुर जिले में हरिजन कल्याण विभाग की ओर से १० वीं कक्षा तक सन ५९-६० के लिये जो छात्रवृत्ति दी गई है, उसमें कुछ छात्र, जो प्रथम श्रेणी के और गरीब हैं, उनको न देकर उनसे कम नम्बर प्राप्त करने वाले छात्रों को दी गई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सूचना एकत्र की जा रही है।

*१३४---श्री रामसमझावन---क्या इसकी शिकायत डी० आई० ओ० एस०, जौनपुर से की गयी है? यदि हां, तो इसमें उन्होंने क्या किया?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सूचना एकत्र की जा रही है।

*१३५-१३६---श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)---[७ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*१३७---श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---[१ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

लहरपुर परगने में भूमिधर काश्तकारों के दाखिल खारिज की कार्यवाही

*१३८---श्री प्रताप भान प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला सीतापुर के लहरपुर परगना में ऐसे कितने काश्तकार हैं जिनके नाम, भूमिधरी दाखिल करने के बाद एक वर्ष के अन्दर और कितनों के इससे अधिक समय में दाखिल खारिज हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सीतापुर के लहरपुर परगना में गत वर्ष १,०५७ काश्तकारों ने भूमिधरी का रुपया दाखिल करने के पश्चात् सनद प्राप्त की और सनद प्राप्त करने के पश्चात् उसी दिन रजिस्टर दाखिल खारिज में उसका अमलदरामद कर दिया गया ।

*१३९---श्री प्रतापभानप्रकाश सिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अवधि (दाखिल खारिज) के सम्बन्ध में विभागीय आदेश क्या हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---निजाई वैरासत, बैनामा व अन्य हस्तान्तरण के दाखिल खारिज के लिये सम्बन्धित व्यक्तियों को ३ माह के भीतर तहसीलदार को प्रार्थना-पत्र देना चाहिये, इसके अतिरिक्त लेखपाल का भी कर्तव्य है कि हर माह में ऐसे दाखिल खारिज की सूचना तहसीलदार को दे ।

*१४०---श्री प्रतापभानप्रकाश सिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दाखिल खारिज होने में क्या-क्या सुविधा देने का आदेश है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---भूमिधारी को सनद के दाखिल खारिज के लिये काश्तकार को कोई प्रार्थना-पत्र देने की आवश्यकता नहीं है । सनद प्राप्त करने के पश्चात् दाखिल खारिज रजिस्टर में इसका अमलदरामद शीघ्र कर दिया जाता है और जब लेखपाल माह में अपना वेतन लेने तहसील में आता है तो उसको खतौनी में भी अमलदरामद करा दिया जाता है । उत्तराधिकार के विवाद रहित मामलों को कानूनगो मौके पर जाकर खुद करता है और जो हस्तान्तरण के विवादग्रस्त मामले हैं उनके लिये यह आदेश है कि खंड मंडलाधीश सप्ताह में दो दिन तहसील में जाकर निपटायें ।

*१४१---१४३---श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला फर्रुखाबाद)---[१ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

देवकली विकास खण्ड में प्रारम्भिक स्वास्थ्य इकाई खोलने के आदेश

*१४४---श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में कहां-कहां एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी औषधालय वित्तीय वर्ष १९५९-६० में खोले जा रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिला गाजीपुर के विकास खंड देवकली में एक प्रारम्भिक स्वास्थ्य इकाई, जिसमें एक एलोपैथिक चिकित्सालय भी सम्मिलित है, स्थापित किये जाने के आदेश नियोजन विभाग द्वारा दे दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त और कोई चिकित्सालय स्थापित नहीं हो रहा है ।

नार्मल स्कूल्स

*१४५---श्री यमुनासिंह---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश के किन-किन जिलों में पहले ही से नार्मल स्कूल मौजूद थे, तथा किन-किन जिलों में नये-नये नार्मल स्कूल हाल ही में खोले गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सूचना संलग्न तालिका में प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४३४-४३५ पर ।)

जौनपुर जिले में बेलवार व सोनहिता में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की प्रार्थना तथा सुजानगंज अस्पताल का भवन निर्माण

*१४६---श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये स्वीकृत बेलवार और सोनहिता (जिला जौनपुर) के आयुर्वेदिक औषधालय कब खुलने जा रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिला जौनपुर के ग्राम बेलवार और सोनहिता के लिये आयुर्वेदिक औषधालय स्वीकृत तो नहीं हैं पर इन प्रस्तावों पर अगले वित्तीय वर्ष में विचार किया जायगा ।

*१४७---श्री नागेश्वरप्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले का एलोपैथिक अस्पताल सुजानगंज का भवन कब से बन रहा है, उस पर कब से काम करना रुका हुआ है ? भवन कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---एलोपैथिक चिकित्सालय सुजानगांव का भवन जनवरी, १९५९ से बन रहा है । निर्माण कार्य ईंटों की कमी के कारण सितम्बर, १९५८ से रुका हुआ था । ३१ मार्च, १९६० तक पूर्ण हो जाने की संभावना है ।

*१४८---श्री मूलचन्द---[७ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

वाराणसी जिले के कुछ औषधालयों के भवनों के सम्बन्ध में जानकारी

*१४९---श्री लोकनाथसिंह (जिला वाराणसी)---क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम व परगना जालहूपुर, जिला वाराणसी में चल रहे राजकीय दवाखाने के लिये भवन कब तक बनवायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसा कोई प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

*१५०---श्री लोकनाथसिंह---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चौबेपुर, परगना कटेहर, जिला वाराणसी में राजकीय दवाखाना के लिये जो भवन खरीदा गया क्या उसमें दवाखाना चल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं ? क्रय किया हुआ भवन अभी प्रयोग के लिये उपयुक्त नहीं है ।

*१५१---श्री लोकनाथ सिंह---क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि परगना कठेहर, ग्राम नियार में चल रहे राजकीय दवाखाने के लिये कब तक भवन बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---क्योंकि ग्राम नियार, जिला वाराणसी में कोई राजकीय दवाखाना नहीं है, भवन बनवाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

*१५२-१५३---श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)---[७ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

बस्ती जिले में परिवार नियोजन केन्द्र

*१५४---श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले में फेमिली प्लानिंग के कितने सेन्टर हैं और कहां-कहां ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---दो सेन्टर हैं, जो निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित हैं :---

१---धनवापुर,

२---नगरबहादुरपुर ।

*१५५---श्री सोहनलाल धुसिया---अभी तक इन सेन्टरों से कितने लोगों ने फायदा उठाने की चेष्टा की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसे व्यक्तियों की संख्या १७५ है ।

*१५६---श्री राजाराम शर्मा---[२१ मार्च, १९६० के लिये प्रश्न १०७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

खीरी जिले में ला ऐण्ड आर्डर सम्बन्धी मीटिंगें

*१५७---श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १२-२-६० के प्रश्न नं० २१० के उत्तर के संदर्भ में आई० जी० के सर्कुलर १९५३ में जारी होने के बाद से दिनांक ३१-१-६० तक जिला खीरी में जो ६ बैठकें शान्ति और व्यवस्था के सम्बन्ध में हुई हैं वह कब-कब किन-किन तारीखों में हुई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---आवश्यक सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ४३६ पर)

*१५८---श्री रणबहादुर सिंह (जिला बस्ती)---[७ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*१५९---श्री शिवप्रसाद नागर---[१ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

सेहरामऊर जनूबी थाना के अन्तर्गत विभिन्न अपराध सम्बन्धी अभियोग

*१६०---श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर के अन्तर्गत थाना सेहरामऊर जनूबी में सन् ५८ और ५९ में पृथक-पृथक कितनी डकैतियां, राहजनी, चोरी और कत्ल की वारदातें हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ४३७ पर)

*१६१---श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त वारदातों में से पृथक-पृथक कितनी घटनाओं का पता लगा और कितने मुकदमे चले और कितने अभियुक्तों को सजा हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ४३८ पर)

*१६२---श्री देवनारायण भारतीय---उन अभियुक्तों में कितने जिला शाहजहांपुर के निवासी थे और कितने पड़ोसी अन्य जिलों के ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---३४ शाहजहांपुर और ४ अन्य जिलों के ।

*१६३---श्री गज्जूराम (जिला झांसी)---[स्थगित किया गया ।]

*१६४---श्री बाबूराम (जिला बरेली)---[१ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

पट्टी और रामगंज में इण्टर व साइंस कक्षा खोलने की प्रार्थना

*१६५—श्री हरकेशबहादुर (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या पट्टी और रामगंज, जिला प्रतापगढ़ में इण्टर और साइन्स कक्षा खोलने के लिये कोई मांगे शिक्षा मंत्री के समक्ष एक साल के अन्दर की गई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पास दोनों विद्यालयों से मान्यता हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ।

नगरों के हरिजनों को सहायता न मिलना

*१६६—श्री रामदीन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने कोई ऐसा आदेश जारी किया है कि जो हरिजनों को अनुदान—मकान, कुआं और उद्योग के लिये, मिलता है, वह अनुदान टाउन एरिया तथा म्युनिसिपैलिटियों के हरिजनों को न दिया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह अनुदान ग्रामीण जनता के लिये है । आदेश जारी करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*१६७-१६८—श्री सुखलाल (जिला इटावा)—[१ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

मुरादाबाद जिले में शिक्षा विभाग के एस० डी० आई०

*१६९—श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद जिले में कितने एस० डी० आई० शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे हैं ? उनमें कितने ऐसे हैं जो ३ वर्ष से अधिक समय से इस जिले में कार्य कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुरादाबाद जिले में १२ विद्यालय प्रति-उप-निरीक्षक कार्य कर रहे हैं । उनमें से ५ ऐसे हैं जो इस जिले में ३ वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ।

*१७०-१७१—श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—[१ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*१७२-१७३—श्री गुप्तार सिंह—[७ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*१७४—श्री रामस्वरूप वर्मा—[७ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

अठेहा परगने में चकबन्दी का कार्य रोकना

*१७५—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या अठेहा (प्रतापगढ़) परगने में चकबन्दी करने का निश्चय किया गया था और अब बदल दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला प्रतापगढ़ की सदर तहसील में, जिसमें एक परगना अठेहा भी है, चकबन्दी करने का निश्चय कुछ समय पूर्व किया गया था, जो अब बदल दिया गया है ।

*१७६—श्री रामस्वरूप वर्मा—इस सम्बन्ध में अब तक तैयारी करने में कितना व्यय हुआ और चकबन्दी कराने का इरादा क्यों बदला गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रत्येक परगने में चकबन्दी के खर्चे का अलग-अलग हिसाब नहीं रखा जाता । इसलिये परगना अठेहा में हुए व्यय की धनराशि निश्चित रूप से बताना सम्भव नहीं है ।

उपरोक्त परगने में चकबन्दी का कार्य प्रशासकीय कारणों से रोका गया था ।

जिला अस्पताल, उन्नाव को बढ़ाने की प्रार्थना

*१७७—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव से जनता तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा जिला अस्पताल के स्थान परिवर्तन करने तथा उसके बढ़ाये जाने की मांग सरकार के पास आयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां । सरकारी अधिकारियों से उन्नाव जिला अस्पताल के बढ़ाये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

*१७८—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को ज्ञात है कि उन्नाव जिले के, जिला अस्पताल के महिला विभाग में कर्मचारियों की कमी है और उनकी पूर्ति के लिये अस्पताल के उच्च अधिकारियों ने मांग की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां । सिविल सर्जन, उन्नाव ने वहां के जिला अस्पताल के महिला विभाग में एक अतिरिक्त आया तथा एक अतिरिक्त पद मेहतरानी के सृजन का प्रस्ताव भेजा है ।

*१७९—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिला अस्पताल में दवा-दारू पर वित्तीय वर्ष १९४५–४६ और १९५९–६० में कितना धन व्यय हेतु स्वीकार हुआ था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उन्नाव जिला अस्पताल में दवा-दारू पर वित्तीय वर्ष १९४५–४६ और १९५९–६० में निम्नलिखित धन व्यय हेतु स्वीकार हुआ था :

१९४५–४६

		रु०	
आवर्तक	.. ..	३,३२५	(मूल अनुदान)
अनावर्तक	.. ..	५,५००	(पूरक अनुदान)
योग	..	८,८२५	रु०

१९५९–६०

आवर्तक	.. ..	६,३७०	(मूल अनुदान)
अनावर्तक	.. ..	१७,५००	(पूरक अनुदान)
योग	..	२३,८७०	रु०

मुर्दा अजायबघर व प्रोग्रेस म्युजियम, लखनऊ के भवनों का निर्माण व्यय

*१८०—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुर्दा अजायबघर, लखनऊ व प्रोग्रेस म्युजियम, लखनऊ की नई इमारतों के निर्माण में अनुमानित व्यय क्या था और उसमें कितना भाग कितने व्यय से पूर्ण हो चुका है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुर्दा अजायबघर, लखनऊ व प्रोग्रेस म्युजियम की नई इमारतों के निर्माण पर क्रमशः १३.५० लाख और ४,३४,३०० रुपयों के व्यय का अनुमान था । मुर्दा अजायबघर की इमारत १०,५२,७५३ रु० में बन गयी है, परन्तु इसमें कुछ काम शेष है । प्रोग्रेस म्युजियम इमारत का एक दो मंजिला और एक एक मंजिला खंड तैयार हो गया है । उस पर अब तक ३,९९,५३२ रु० व्यय हो चुके हैं ।

त्याग-पत्र देने वाले अध्यापकों का शेष वेतन

*१८१—श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने व्यक्तियों ने शिक्षा विभाग के अध्यापक वर्ग से १९५७–५८ तथा १९५८–५९ में त्याग-पत्र दिये तथा उनमें से कितने व्यक्तियों की तनख्वाह के शेष धन अभी तक अदा नहीं किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१८२—श्री वीरसेन—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अदायगी में देरी के क्या कारण हैं तथा कौन अधिकारी उक्त देरी के लिये उत्तरदायी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१८३—श्री वीरसेन—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भविष्य में ऐसी देरी को रोकने के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्रित की जा रही है।

बुलन्दशहर कलेक्टरी में हरिजन व पिछड़े वर्ग के चपरासी

*१८४—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में कलेक्टरी कचेहरी में कुल कितने चपरासी हैं और उनमें से कितने हरिजन अथवा पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—५६५, जिसमें ४९ हरिजन तथा ११० पिछड़े वर्ग के हैं।

मोहम्मदाबाद–गोहना का नार्मल स्कूल

*१८५—श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मोहम्मदाबाद-गोहना-आजमगढ़ में जो नार्मल स्कूल खुला है क्या वह उसे वहां से हटा कर कहीं अन्यत्र ले जाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सम्प्रति नहीं। प्रश्न नहीं उठता है।

जौनपुर जिले में हरिजन कल्याण विभाग को कूप निर्माणार्थ अनुदान

*१८६—श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेशीय हरिजन कल्याण विभाग द्वारा आयोजित १४–१०–५९ को वाराणसी में वाराणसी जोनल हरिजन कल्याण अधिकारियों की मीटिंग में जौनपुर जिले के हरिजन कल्याण विभाग को पानी पीने के कूप निर्माण हेतु ८० हजार रुपये अनुदान देने की मांग की गयी थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

*१८७—श्री माताप्रसाद—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या हरिजन कल्याण विभाग द्वारा दिये जाने वाले कूप एवं गृह निर्माण हेतु अनुदानों की पहली किस्त, निर्माण-कार्य शुरू होने के पूर्व ही देने के आदेश विभाग द्वारा जिलों में भेजे गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कूप निर्माण हेतु अनुदान की पहली किस्त को विशेष परिस्थितियों में अग्रिम देने के सुझाव जिलों को भेजे गये हैं।

*१८८—श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)—[१ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*१८९—श्री रामदीन—[७ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*१९०--श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--[७ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

बाराबंकी जिले में पुराने डाक्टर व कम्पाउण्डर

*१९१--श्री जंग बहादुर वर्मा--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत कितने ऐसे डाक्टर व कम्पाउण्डर हैं जो एक ही स्थान पर तीन वर्ष से अधिक से कार्य कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--दो पी० एम० एस० द्वितीय (पुरुष) डाक्टर और चार कम्पाउन्डर।

*१९२--श्री हरकेश बहादुर--[७ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटी, जिला रायबरेली की सुरक्षा व्यवस्था

*१९३--श्री रामप्रसाद (जिला रायबरेली)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला रायबरेली में किन-किन अधिकारियों की रक्षा हेतु विशेष पुलिस की व्यवस्था की गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटी के लिये सुरक्षा की व्यवस्था की गयी है।

*१९४--श्री रामप्रसाद--उक्त अधिकारियों की इस व्यवस्था पर सरकार को कितना व्यय करना पड़ रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस व्यवस्था के लिये कोई व्यय नहीं करना पड़ रहा है।

*१९५-१९७--श्री रामप्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)--[१ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*१९८-१९९--श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)--[१ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*२००-२०१--श्री रूमसिंह--[१ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

पिसनहरी गांव की झील का पानी निकालने का सुझाव

*२०२--श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)--क्या सरकार को ग्राम पिसनहरी (तहसील बिसौली, जिला बदायूं) की झील का पानी निकट की नदी "सोत" में नाला खोद कर बहा देने और इस प्रकार रिक्त भूमि में खेती करने का कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां।

*२०३--श्री शिवराजसिंह यादव--यदि हां, तो कब और अब तक उसमें क्या कार्यवाही की जा सकी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उक्त सुझाव गत मार्च, १९५९ में प्राप्त हुआ था। सुझाव को कार्यान्वित करने के लिये जिला तथा सिंचाई अधिकारियों को आवश्यक आदेश तत्काल ही दे दिये गये थे। नाले की खुदाई ग्राम मुंडिया तक पहुंचने पर इस भय के कारण कि कहीं झील का पानी मुंडिया ग्राम की ओर बहने पर उनके खेत बरबाद न हो जायें, मुंडिया ग्रामवासियों ने काफी विरोध किया, फिर नलकूप विभाग ने दो बार सर्वेक्षण भी किया, परन्तु स्थानीय विरोध के कारण मामला हल न हुआ।

जिलाधीश, बदायूं इस प्रश्न को सुलझाने का अब भी प्रयत्न कर रहे हैं।

*२०४--श्री खुशीराम--[७ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

दादरी चुनाव क्षेत्र में महिला चिकित्सालय न होना

*२०५--श्रीमती सत्यवतीदेवी रावल (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार दादरी चुनाव क्षेत्र में तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में एक महिला अस्पताल खोलने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं।

*२०६--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--[१ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

फर्रुखाबाद जिले में कागजात दुरुस्ती के मुकदमे तथा अपने निवास क्षेत्र में काम करने वाले लेखपाल

*२०७--श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद, तहसील कायमगंज व सदर तहसील के परगनाधीशों की अदालत में कितने मुकदमा कागजात दुरुस्ती के सन् १९५८-५९ में दायर हुए ? उनमें कितनों का फैसला हो गया और कितने अब भी शेष हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--६८२ दायर हुए, जिनमें से ६६८ का फैसला हो गया और १४ शेष हैं।

*२०८--श्री राजेन्द्रसिंह यादव--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में ऐसे कितने लेखपाल हैं जो अपने निवास स्थान के क्षेत्र में ही कार्य करते हैं ? क्या इन लेखपालों को निवास स्थान क्षेत्र से स्थानान्तरित करने पर वह विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ऐसे १७ लेखपाल हैं। उनका स्थानान्तरण शासन के विचारणीय नहीं है।

बार एसोसिएशन, बदायूं के लिए जमीन की स्वीकृति

*२०९--श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कलेक्टरी कचेहरी, बदायूं की सरकारी जमीन बार एसोसियेशन सरकारी शर्तों के अधीन पट्टे पर चाहता था ? यदि हां, तो क्या जमीन पट्टे पर दी गयी या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां। पट्टे की स्वीकृति सरकार द्वारा दी जा चुकी है परन्तु पट्टे का निष्पादन (Execution) अभी नहीं हुआ है, क्योंकि पट्टे में कुछ गलतियां थीं और उन्हें दुरुस्त कराया जा रहा है।

हरिजन ए० डी० ओ०

*२१०--श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में हरिजन कल्याण विभाग की ओर से हरिजन ए० डी० ओ० रक्खे गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--निम्नलिखित जिलों में--

१--आजमगढ़,
२--बाराबंकी,
३--मेरठ,
४--हरदोई,
५--गोरखपुर,
६--जौनपुर,
७--सीतापुर,
८--इलाहाबाद,
९--बस्ती,
१०--देवरिया,
११--नैनीताल,
१२--बहराइच।

विश्वविद्यालय पुनस्संघटन योजना

*२११--श्री देवकीनन्दन विभव--क्या गृह मंत्री आगरा विश्वविद्यालय को पुनर्संगठित करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी-- जी हां।

*२१२--श्री देवकीनन्दन विभव--क्या गृह मंत्री प्रदेश के इंटरमीडिएट और डिग्री कक्षाओं के कालेजों को पृथक् करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं।

अफजलगढ़ परगना निवासी लाला राजाराम की हत्या

*२१३--श्री शिवराम (जिला बिजनौर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या श्री लाला राजाराम को दिन दहाड़े गोली मार कर गत वर्ष परगना अफजलगढ़, जिला बिजनौर में दुकान पर बैठे कत्ल किया गया है ? सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, यह हत्या २० मार्च, १९५९ को शाम के ७.३० बजे गोली मार कर की गयी थी।

उपर्युक्त अपराध का मुकदमा धारा ३०२ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत कायम किया गया। इस मामले में सी० आई० डी० द्वारा जांच करायी गयी। कार्यवाही शिनाक्त के पश्चात् अभियुक्तों का चालान किया जायेगा।

चकबन्दी वाले जिले

*२१४--श्री शीतलाप्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के कितने जिलों में चकबन्दी का काम प्रारम्भ किया जा चुका है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--फरवरी, १९६० के अन्त तक प्रदेश के ३४ जिलों में चकबन्दी का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

चकबन्दी रोकने के कथित आदेश

*२१५--श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५९ में कुछ समय के लिये चकबन्दी योजना को रोकने के लिये जिलाधीशों को आदेश भेजे गये थे ? यदि हां, तो वे क्या थे और इसकी आवश्यकता क्या थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इस प्रकार के कोई आदेश शासन द्वारा नहीं जारी किये गये।

*२१६--श्री सजीवनलाल--क्या उक्त आदेशों को निरस्त करके फिर चकबन्दी योजना को चालू कर दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी

*२१७--श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि देशी चिकित्सा पद्धति के विकास के लिये १९५९-६० के बजट में जो ३६,२०० रु० स्वीकृत हुआ था, उसका व्यय किस प्रकार किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अभी कुछ भी व्यय नहीं हुआ है।

*२१८--श्री मदनगोपाल वैद्य--क्या यह सही है कि इस समय डिप्टी डाइरेक्टर आयुर्वेद, प्रिंसिपल स्टेट आयुर्वेद कालेज तथा सुपरिन्टेन्डेन्ट स्टेट आयुर्वेदिक फार्मेसी के पद पर एलोपैथिक डाक्टर काम कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--डिप्टी डाइरेक्टर (आयुर्वेद) के पद के लिये कमीशन द्वारा चुनाव हो चुका है। कमीशन द्वारा चुने हुए व्यक्ति के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। जब तक वह चार्ज नहीं लेते हैं आयुर्वेदिक विभाग के कार्य की देखभाल अतिरिक्त स्वास्थ्य संचालक कर रहे हैं।

स्टेट आयुर्वेदिक कालेज के प्रिंसिपल के पद पर इस समय कोई एलोपैथिक डाक्टर काम नहीं कर रहे हैं। अब इस पद पर आयुर्वेदिक के स्नातक काम कर रहे हैं।

स्टेट आयुर्वेदिक फार्मेसी के Superintentdent के पद पर असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर काम कर रहे हैं।

*२१९--श्री टीकाराम पुजारी--[७ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

जिला बदायूं की सदर तहसील में चकबन्दी के अन्तर्गत लिए जाने वाले गांव

*२२०--श्री टीकाराम पुजारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं की तहसील बदायूं में कितने गांवों को चकबन्दी में बढ़ाने की रिपोर्ट चकबन्दी अफसर ने की है और उनके बढ़ाने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जिला बदायूं की सदर तहसील के ६२ और गांवों को चकबन्दी के अन्तर्गत लिए जाने की सिफारिश जिले से प्राप्त हुई है क्योंकि ये चकबन्दी के लिये उपयुक्त पाये गये हैं।

मेघराजपुरा में दरयावसिंह डाकू को मारने वालों को इनाम

*२२१--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जिला सहारनपुर में देवबन्द थाना के ग्राम मेघराजपुरा में कुख्यात डाकू दरयाव सिंह मारा गया है ? यदि हां, तो उसके मारने वाले कौन हैं और इस सम्बन्ध में क्या कोई शिकायत जनता द्वारा माननीय गृह मंत्री को दिसम्बर के चतुर्थ सप्ताह के प्रारम्भ में प्राप्त हुई है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, डाकू दरयाव सिंह उक्त ग्राम में ४/५-१२-५९ की रात्रि में पुलिस और गांव वालों की सम्मिलित पार्टी से हुई एक मुठभेड़ में मारा गया। इस मुठभेड़ में पुलिस के सदस्य, सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस, सहारनपुर, देवबन्द के थानाध्यक्ष तथा कान्स्टेबिल रूमाल सिंह थे। गांव वालों में मेघराजपुरा गांव के सर्वश्री गंगाराम, चौहल, भज्जल और बुद्धूराम थे। इस सम्बन्ध में श्री सत्यनारायण अग्रवाल, निवासी गूजर बाड़ा देवबन्द की एक शिकायत जनवरी, १९६० के चतुर्थ सप्ताह में प्राप्त हुई है।

*२२२--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या उस डाकू के पकड़ने या मुर्दा लाने के लिये सरकार ने ५,००० रुपया इनाम घोषित किया था ? यदि हां, तो वह इनाम किसे दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--दरयाव सिंह को पकड़ने या मुर्दा लाने के लिये सिर्फ १,००० रु० का इनाम घोषित था। यह इनाम सर्वश्री गंगाराम, चौहल, भज्जल और बुद्धू राम के बीच २५० रु० प्रत्येक के हिसाब से वितरित किया गया।

पीलीभीत जिले में विभिन्न अपराधों में क्षति

*२२३--श्री प्रताप सिंह--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला पीलीभीत व नैनीताल में १ जनवरी, १९५८ से सन् १९५९ तक कितनी डकैतियां व कत्ल हुए और उनमें कितने धन, जन व सम्पत्ति का नुकसान हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सूचना का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ४३९ पर)

इटावा जिले में टेलीफोन तारों का काटा जाना

*२२४--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में १ जनवरी, १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक टेलीफोन के तार कितनी बार काटे गये और तार काटने के जुर्म में कितने व्यक्ति पकड़े गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१० बार। कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा गया।

कन्धरापुर थाने के अन्तर्गत विभिन्न अपराध

*२२५--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के कन्धरापुर थाने में १ जुलाई, १९५९ से ३१ अक्तूबर, १९५९ तक कितनी डकैतियां पड़ीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--दो।

*२२६--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त जिले के उक्त थाने में १ फरवरी, १९५९ से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक कुल कितने कत्ल, डकैतियां, चोरी, राहजनी तथा फसल कटाई की घटनायें हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१ कत्ल, २ डकैती, २० चोरी, तथा २ फसल कटाई की घटनाएं हुईं ; राहजनी की कोई घटना नहीं हुई।

गणेशशंकर विद्यार्थी मेमोरियल इण्टरमीडिएट कालेज, महाराजगंज के हिसाब की जांच

*२२७--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के महाराजगंज स्थित गणेशशंकर विद्यार्थी मेमोरियल इण्टरमीडिएट कालेज में गबन अथवा आर्थिक गड़बड़ियों की जांच हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त गबन की सूचना कब प्राप्त हुई थी तथा उसकी जांच कब तक समाप्त होगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, विद्यालय में गबन की सूचना १२-९-५६ को मिली तथा पुलिस उस पर जांच कर रही है।

प्रतापगढ़ जिले में मोटर दुर्घटनायें

*२२८--श्री हरकेशबहादुर--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५९ में तथा १९६० में १५-१-६० तक प्रतापगढ़ जिले में कितनी ट्रक भिड़न्त की घटनाएं हुई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१९५९ में एक घटना हुई व १९६० में (१५-१-६०) तक कोई घटना नहीं हुई।

*२२९--श्री हरकेशबहादुर--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५९ में प्रतापगढ़ जिले में कितनी बसें अथवा सरकारी मोटरों द्वारा दुर्घटनाएं (accidents) हुई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सरकारी मोटरों द्वारा दो दुर्घटनाएं हुईं; बसों द्वारा कोई दुर्घटना नहीं हुई।

टेहरी-गढ़वाल जिले में वैद्यों को सहायता

*२३०—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत पंचांग वर्ष के अन्दर सरकार ने टेहरी-गढ़वाल के किन-किन वैद्यों को आर्थिक सहायता दी है और कितनी-कितनी दी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्री विश्वेश्वर प्रसाद, वैद्य, ग्राम व पोस्ट नगनी को २४० रु० की तथा श्री स्वामी लक्ष्मण दास, वैद्य, शान्तिपुर, तेखला, उत्तरकाशी को ५०० रु० की आर्थिक सहायता दी गई है ।

जुडीशियल सर्विस के अन्तर्गत परिगणित व पिछड़े वर्ग के लोग

*२३१—श्री गयाप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार के नीचे लिखे पद पर कितने-कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं और उनमें से कितने परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के हैं ?

(१) डिस्ट्रिक्ट सेशन जज,
(२) एडीशनल सेशन जज,
(३) सिविल एण्ड सेशन जज,
(४) जज, स्माल काज कोर्ट,
(५) सिविल जज फर्स्ट क्लास,
(६) सिविल जज सेकेण्ड क्लास,
(७) मुन्सिफ (सिटी),
(८) मुन्सिफ (एडीशनल),
(९) जुडिशियल आफिसर ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रदेश में जुडीशियल सर्विस के अन्तर्गत पदों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। उनमें से प्रत्येक पर जितने अफसर इस समय कार्य कर रहे हैं और उनमें से जितने परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के हैं उनकी संख्या उस पद के सामने अंकित है :

	अफसरों की संख्या	परिगणित जाति	पिछड़े वर्ग
यू० पी० हायर जुडीशियल सर्विस—			
डिस्ट्रिक्ट सेशन जज	४८	शून्य	१
अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ..	७	,,	शून्य
सिविल एण्ड सेशन जज	७६	,,	१
यू० पी० सिविल सर्विस (जुडीशियल ब्रांच)—			
सिविल जज	७८	शून्य	१
मुन्सिफ	१५५	७	२
जुडीशियल अफसर	२२१	१	३

*२३२-२३४—श्री गज्जूराम—[स्थगित किये गये ।]

*२३५—कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री—[स्थगित किया गया ।]

इंग्लिश स्कूलों में भर्ती के लिए सुझाव

*२३६—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार को जनवरी, १९६० में इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाने वाले हाई स्कूलों में भर्ती का आधार न प्रार्थना-पत्रों की प्राप्ति के क्रमानुसार रखा गया है और न छात्रों की योग्यता के अनुसार ही, वरन् उनमें भर्ती का आधार संप्रदाय होता है अर्थात् रोमन कैथोलिक स्कूल में रोमन कैथोलिक छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है और प्रोटेस्टेंट स्कूलों में प्रोटेस्टेंट छात्रों को ? यदि हां, तो क्या सरकार यह आदेश जारी करने की कृपा करेगी कि ऐसे प्रत्येक स्कूलों में एक रजिस्टर रखा जाय जिसमें प्रत्येक प्रवेशार्थी का प्राप्ति क्रमानुसार नाम दर्ज किया जाय और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले इण्टर कालेजों में भर्ती का आधार हाई स्कूल तथा सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षाओं में प्राप्तांकों के अनुसार रखा जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना अब भी एकत्रित की जा रही है। उपलब्ध होने पर उत्तर दिया जा सकेगा।

अन्तरिम जिला परिषद्, खीरी से पृथक किये गये अध्यापकों का शेष वेतन

*२३७—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी के कुछ अध्यापकों ने सरकार के पास कोई शिकायत भेजी है जिसमें कहा गया है कि अप्रैल, सन् १९५६ और जनवरी, सन् १९५८ के वेतन अन्तरिम जिला परिषद् से निकाले जाने के बाद भी आज तक अध्यापकों को प्राप्त नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही सरकार की ओर से की गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

कलेक्टरियों के आउट साइडर क्लर्क्स

*२३८—श्री देवी प्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि राज्य में कुल कितने कलेक्ट्री के ऐसे क्लर्क हैं जो १० साल या अधिक से आउट साइडर के रूप में कार्य कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—दो सौ उनहत्तर (२६९)।

*२३९—श्री देवीप्रसाद मिश्र—क्या सरकार इनमें से कुल या कुछ के स्थायीकरण पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—स्थान रिक्त होने पर तीन का स्थायीकरण हो जायेगा, एक का मामला विचाराधीन है।

*२४०—श्री देवीप्रसाद मिश्र—क्या सरकार इन लोगों को बिना इम्तहान, पेड अपरेन्टिस बनाने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं।

टेहरी-गढ़वाल जिले में शिक्षा विभाग के विलय राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

*२४१—श्री सूरतचन्द्र रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि टेहरी-गढ़वाल के शिक्षा विभाग के मर्ज्ड स्टेट इम्प्लाइज को सौ रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जो पांच रुपये पिछले साल के बजट में व ढाई रुपया चालू वर्ष के बजट में वृद्धि हुई है क्यों नहीं दी जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इन कर्मचारियों में से जो उत्तर प्रदेश राज्य की सेवा में विलीन कर लिए गए हैं उन्हें प्रश्नगत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। जो कर्मचारी अभी तक राज्य सेवा में विलीन नहीं किए गए हैं उन्हें उक्त महंगाई भत्ता दिये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

लखनऊ में बेसिक एल० टी० की परीक्षा

*२४२—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अप्रैल, १९५९ में शिक्षा विभाग की तरफ से बेसिक एल० टी० की परीक्षा लखनऊ में हुई थी ? यदि हां, तो उसमें कितने विद्यार्थी बैठे और कितने पास हुए ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, ६४ संस्थागत तथा ८ आंशिक परीक्षार्थी थे, जिनमें ५२ संस्थागत तथा ८ आंशिक परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए ।

*२४३—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उनको जगह दे दी गई है ? यदि हां, तो कहां ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उत्तीर्ण परीक्षार्थियों में से सात (७) को विभाग में नियुक्तियां प्राप्त हो गयी हैं जो उनके सम्मुख अंकित हैं :

नाम		नियुक्ति
१—श्री ईश्वर दयाल	..	रा० उ० मा० वि०, मंसूरी ।
२—श्री मोहन दत्त शर्मा	..	रा० उ० मा० वि०, पीलीभीत ।
३—कुमारी मधु भटनागर	..	रा० बा० दी० वी०, फैजाबाद ।
४—कुमारी कुसुमलता	..	रा० बा० उ० मा० वि०, नैनीताल ।
५—श्रीमती शकुन्तला	..	रा० बा० दी० वी०, बलिया ।
६—कुमारी सरोज कुमारी मिश्रा	..	रा० बा० उ० मा० वि०, ललितपुर (झांसी) ।
७—कुमारी पुष्पा शर्मा	..	रा० बा० उ० मा० वि०, रामपुर ।

अतारांकित प्रश्न

१–४—कुंवर श्रीपालसिंह—[७ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

बदायूं जिले का दहगवां तालाब

५—श्री उल्फतसिंह—क्या सरकार को मालूम है कि जिला बदायूं में तालाब दहगवां, जो सरकार ने खुद बनवाया था, अब उथला हो गया है और इस कारण उसके द्वारा फसल बरबाद होती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—(१) जी हां ।

(२) किन्तु उसके उथला होने से फसल बरबाद नहीं होती ।

६—श्री उल्फतसिंह—क्या इस तालाब से कोई नहर निकालने की योजना उसके विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—(१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

दहगवां प्राइमरी स्कूल, जिला बदायूं

७—श्री उल्फतसिंह—दहगवां प्राइमरी स्कूल, जिला बदायूं के सम्बन्ध में १३–२–५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जिस स्कूल के लिये कहा गया कि स्थान निश्चित नहीं हुआ उसका भवन निर्माण हो चुका है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां ।

८–९—श्री उल्फतसिंह—[७ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के उत्तर न मिलने तथा कार्य-सूची में अधिक प्रश्न रखने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---मेरा निवेदन यह है कि ८ मार्च को मैंने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया और अविलम्बनीय प्रश्न के द्वारा भी कुछ सूचना जानने की कोशिश की। श्रीमन् ने आज्ञा दी कि इस सम्बन्ध में अल्प सूचित तारांकित प्रश्न दे दो। मैंने उसी दिन प्रश्न दिये। आज १८ तारीख हो गयी, दस दिन हो गये .....

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्यों से मैंने कहा था कि ऐसी स्थिति में वह अध्यक्ष को लिखें कि उनके प्रश्न के महत्व पर ध्यान नहीं दिया गया तो मैं यह मामला माननीय मंत्रियों के पास भेज दूंगा। ऐसे प्रश्न सदन में उठाने से काम नहीं चल सकता। मैं सदन के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि इस किस्म की शिकायत वह मेरे पास लिख कर भेजें; माननीय मंत्रिगण से परामर्श करके उचित व्यवस्था की जायगी।

श्री देवनारायण भारतीय---मेरा निवेदन यह है...

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---जहां तक इस विशेष प्रश्न का सम्बन्ध है उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि ११ तारीख को भारतीय जी की तबियत खराब थी। हमने स्वतः इस प्रश्न को उठाया था। आप के कार्यालय से मेरे पास लिख कर आया था कि चूंकि उपाध्यक्ष महोदय बाहर गये थे इसलिए उनके दस्तखत नहीं हो पाये। इसलिए १८ को आ जायगा, हमें आश्वासन दिया गया था कि १८ को आ जायगा।

श्री उपाध्यक्ष---आप लिख कर भेजें। हम देखेंगे।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिन प्रश्नों का उत्तर गृह मंत्री जी को देना होता है उस दिन प्रश्न इतने अधिक हो जाते हैं कि आप चाहे जितनी तीव्र गति से चलें, उन सब का उत्तर नहीं मिल सकता। उत्तर न मिलने से आधी समस्याएं उलझी रहती हैं। इसमें मेरा निवेदन यह है कि चूंकि उनके पास ज्यादा विभाग इकट्ठे हो गये हैं.....

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझ गया। आप बैठिये।

आचार्य दीपंकर---मैंने अभी प्रश्न ही नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---आपने कहा कि ज्यादा विभाग इकट्ठे हो गये हैं, उसका जवाब यह है कि आदेश जारी कर दिये गये हैं और व्यवस्था की जा रही है कि एक दिन ज्यादा प्रश्न न हों। यह नई व्यवस्था पहली अप्रैल से लागू हो जायगी।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---मुझे इजाजत दीजिये। मेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---आप पहले बैठ जायं।

माननीय सदस्यों को काफी असंतोष प्रश्नों के बारे में मालूम होता है। मैं अगर एक-एक सदस्य को समय दूं तो काफी वक्त लगेगा। मुझे इस बात का दुख है कि माननीय सदस्य लिख कर कोई शिकायत मेरे पास नहीं भेजते। जिनको शिकायत है उनको चाहिये कि वह लिखित शिकायत भेजें। इस सम्बन्ध में मैं कोई प्रश्नावली की यहां आज्ञा नहीं दे सकता।

श्री शिवप्रसाद नागर---इस प्रक्रिया का अनुसरण कर चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष---जब तक आपका नाम न पुकारा जाय तब तक आप नहीं बोल सकते।

जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ के अधीन प्रख्यापित संशोधन*

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)—मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या २५८७-आर-एस०/१-क---३५१५-५९, दिनांक २७ जनवरी, १९६० तथा संख्या यू- ओ- ४३--आर-जेड १-क, दिनांक २७ जनवरी, १९६० के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

लखनऊ विश्वविद्यालय के उप-कुलपति पद पर श्री कालीप्रसाद की नियुक्ति के सम्बन्ध में याचिका*

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम २४३/२३५ के अन्तर्गत आदरणीय सदन की सेवा में निम्नलिखित याचिका उपस्थित करना चाहता हूं: ---

मैं प्रोफेसर कालीप्रसाद जी की लखनऊ विश्वविद्यालय के उप-कुलपति पद पर हुई नियुक्ति के सम्बन्ध में याचिका, जिस पर विधान सभा के २५ सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, उपस्थित करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---मैंने इस याचिका की जांच कर ली है और वह नियमानुकूल है । मैं इस याचिका को पेटीशन समिति के पास भेज दूंगा ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---मैं एक जानकारी करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---कोई जानकारी इस समय नियमानुकूल नहीं हो सकती । पेटीशन समिति के सामने आप लोग अपनी राय दीजियेगा ।

लखनऊ विश्वविद्यालय के उप-कुलपति पद पर श्री कालीप्रसाद की नियुक्ति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष---इसी सम्बन्ध में माननीय राजनारायण जी ने एक कामरोको प्रस्ताव दिया था । क्योंकि यह मामला पेटीशन समिति के सामने है इसलिये अब इसकी आवश्यकता नहीं रही और मैं इसको अस्वीकृत करता हूं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या यह भी वहां भेज दिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष---माननीय राजनारायण जी अगर चाहेंगे तो स्वयं पेटीशन समिति के सामने हाजिर हो सकेंगे । जो माननीय सदस्य इसमें दिलचस्पी लेना चाहते हैं, जैसे माननीय गौरीशंकर राय जी ने किया है, वह भी कर सकते हैं ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, अभी क्या मालूम मुझी को आप उस समिति में रखें. . .

श्री उपाध्यक्ष---समिति बनी हुई है, अगर आपका नाम उसमें है तो आप होंगे ।

---

*छापे नहीं गये ।

प्रश्नों का उत्तर न मिलने पर आपत्ति

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमान् जी, किसान भी कुछ जानकारी कर सकता है. . . . . .

श्री उपाध्यक्ष---माननीय पुजारी जी, आप कृपा करके बैठिये, मैं अभी और कार्यवाही कर रहा हूं ।

श्री टीकाराम पुजारी---मेरा प्रश्न श्रीमन्, आज भी रह गया । दिसम्बर से मेरे प्रश्नों का श्रीमन्, उत्तर नहीं मिल रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है । आप अपने सवालों के बारे में जो शिकायतें हों, वह लिखकर के दीजिये । अब आप कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री टीकाराम पुजारी---अर्ज कर रहा हूं श्रीमन्, आपके द्वारा मुझे कोई उत्तर मिले तब. . . . . .

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है । मैंने सुन लिया । आप कृपा करके बैठें . . . . .

(श्री टीकाराम पुजारी बोलते रहे)

माननीय पुजारी जी, आप स्थान ग्रहण करेंगे कि नहीं ? मैंने आपसे कहा कि आप लिखकर दीजिये । कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करिये ।

बाराबंकी जिले में डकैतियों से उत्पन्न परिस्थिति पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष---मेरे पास माननीय जंगबहादुर जी ने बाराबंकी जिले में डकैतियों की भीषण परिस्थिति के बारे में एक कामरोको प्रस्ताव भेजा है । लेकिन यह कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिसको कामरोको प्रस्ताव की शक्ल में स्वीकार किया जाय । मैं माननीय सदस्य को सलाह दूंगा कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न वह इस सम्बन्ध में करें और उसके बारे में मैं गृह मंत्री जी से व्यवस्था करूंगा कि जल्द से जल्द उसका उत्तर मिल जाय ।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष---मेरे पास नियम ५२ में भी दो तीन प्रश्न उपस्थित किये गये हैं । उनके सम्बन्ध में मेरी राय यह है कि वह दफा ५२ में स्ट्रिक्टली नहीं आते । इसके लिये मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि ऐसे प्रश्नों के बारे में मैंने माननीय सदस्यों को सलाह दी है कि वह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न करें और चूंकि माननीय मंत्रिगण को इस बात की सूचना हो जाती है, इसलिये मैं यह चाहूंगा कि उनके अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के उत्तर, जो तारीख मैं निश्चित करूं, उस तारीख तक अवश्य दे दिये जायं । यह मैं इसलिये ऐसा कर रहा हूं कि इस नियम ५२ के अन्दर तो एक दिन में सूचना एकत्रित करनी पड़ती है और उस तरह से तीन चार दिन का मौका मिल जाता है । माननीय सदस्यों ने मुझसे इस बात की शिकायत की कि उचित ध्यान इस बात पर नहीं दिया जा रहा है, इसलिये मैं आशा करूंगा कि माननीय मंत्रिगण भी इस सम्बन्ध में चेयर को कोआपरेट करेंगे ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---मैं एक निवेदन करना चाहूंगा. . . . . .

श्री उपाध्यक्ष---अभी मैंने आपका नाम नहीं लिया है । आप बैठ जायं अभी ।

समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष--सदन को मैं निम्नलिखित सूचना देना चाहता हूं कि निम्नलिखित समितियों में चूंकि जितने सदस्यों की जगह थी उतने ही सदस्यों का नाम रह गया नाम वापसी के बाद, इसलिये ये समितियां निर्वाचित समझी जायंगी ।

यातायात स्थायी समिति, शिक्षा स्थायी समिति, रसद स्थायी समिति, सूचना स्थायी समिति, चिकित्सा स्थायी समिति, माल स्थायी समिति, उद्योग स्थायी समिति, पुलिस स्थायी समिति, विद्युत स्थायी समिति, कृषि तथा पशुपालन स्थायी समिति, हरिजन स्थायी समिति, शरणार्थी स्थायी समिति, स्वशासन स्थायी समिति, राष्ट्रीय एम्प्लायमेंट स्थायी समिति, सार्वजनिक निर्माण स्थायी समिति, सहकारी स्थायी समिति, श्रम स्थायी समिति, सिंचाई स्थायी समिति, न्याय स्थायी समिति, जेल स्थायी समिति, आबकारी स्थायी समिति, समाज कल्याण स्थायी समिति, वन स्थायी समिति, सामान्य प्रशासन स्थायी समिति । कौन-कौन माननीय सदस्य हैं, इसकी सूचना माननीय सदस्यों को दे दी जायगी ।

उपर्युक्त क्रम संख्या १–२४ की स्थायी समितियां विधिवत् निर्वाचित हो गयी हैं । विकास तथा नियोजन स्थायी समिति, लोक-लेखा समिति और प्राक्कलन समिति में सदस्यों के नाम अतिरिक्त हैं । अतः उससे सम्बन्धित मतदान पूर्व स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार दिनांक २२–३–६० को विधान वाचनालय में १२ बजे से ५ बजे तक होगा ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--श्रीमन्, मैंने भी अपना एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न आपकी आज्ञानुसार किया था । मुझे आज तक उसका जवाब नहीं मिला है । वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के संबंध में था क्योंकि ४५२ गांवों में ओला पड़ा है । उससे तबाही मची हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष--मैं इस संबंध में अभी कह चुका हूं कि इस संबंध में सदन के बाहर मेरा ध्यान आकर्षित करें या फिर अल्पसूचित तारांकित प्रश्न यहां पर पूछें ।

१९६०–६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-- अनुदान संख्या ७--लेखा शीर्षक १२--मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय, अनुदान संख्या ३१--लेखाशीर्षक ४७--प्रकीर्ण विभाग और ४४--उड्डयन, अनुदान संख्या ५२--लेखा शीर्षक ७०--जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधार पर पूंजी की लागत तथा ८२-- राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा

*परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)--मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७--मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय--लेखा शीर्षक १२--मोटर गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत १,५४,७८,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[डाक्टर सीताराम]

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१---परिवहन विभाग---लेखा शीर्षक ४७---प्रकीर्ण विभाग (Miscellaneous Department) और ४४---उड्डयन (Aviation) के अन्तर्गत १३,५८,६८,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५२---कृषि अभियन्त्रण, सरकारी बस सेवाओं, सहायता तथा पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत-लेखा शीर्षक ७०---जन-स्वास्थ्य संबंधी सुधार पर पूंजी की लागत तथा ८२---राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत २,११,८४,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बजट के संबंध में अधिक इस वक्त नहीं कहना है क्योंकि मैं समझता हूं कि इस माननीय सदन के सदस्यगण वाल्यूम २, ३, ४ और इस विभाग की ओर से जो प्रोग्रेस रिपोर्ट छपी है उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे तो नई मदों के अन्तर्गत उनको मालूम होगा कि इस विभाग ने क्या प्रगति की है । फिर भी मैं आपकी आज्ञा से विभाग की खास-खास बातों पर एक विहंगम दृष्टि डालना उचित समझता हूं ।

ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट के संचालन हेतु ५,९८,००० रुपये की व्यवस्था है । इस प्रदेश में एक इन्फोर्समेंट स्क्वैड है जो गाड़ियों की चेकिंग करता है । उसके कर्मचारियों के वेतन आदि पर ३,६२,४०० रुपये खर्च की व्यवस्था है । एक विभागीय टेक्नीकल इन्सपेक्टर होता है जो गाड़ियों की फिटनेस देखता है, चाहे वह सरकारी गाड़ी हो या प्राइवेट गाड़ियां हों, वह सब की फिटनेस देखता है; उस हेड में २,१८,७०० रुपये की व्यवस्था है । रीजिनल ट्रान्सपोर्ट के लिये भी ६,६८,६०० रुपये की व्यवस्था है । बस सर्विसेज के आपरेशन के लिये ७,८६,७९,१०० रुपय की व्यवस्था ह । इसी तरीके से सेन्ट्रल वर्क शाप, कानपुर के लिये ७,४३,५०० रुपये की व्यवस्था है । सेन्ट्रल वर्कशाप में हर साल जो लोगों को ट्रेनिंग मिलती है उसमें ट्रेनिंग पाने वाले अभ्यर्थियों को स्टाइपेण्ड दिया जाता है, उस संबंध में २८,६०० रुपये की व्यवस्था है । साथ ही ससपेन्स एकाउन्ट के अन्दर ५,३६,००,००० रुपये की व्यवस्था है । इसके बाद सिविल अवियेशन के लिये ४,५०,००० रुपये प्राविंशियल हिन्द पलाइंग क्लब को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है ।

श्रीमन् देखें की रोडवेज विभाग की स्थापना १९४७ के मई में हुई थी । सन् १९४७ में लखनऊ से बाराबंकी तक की १८ मील लम्बी सड़क पर ६ बसें चलाई गई थीं, लेकिन आज १९६० में बसों की संख्या २,८०३ हो गई है और इस साल के बजट में २४ नये रूट्स लिये जाने का प्राविजन है । इनको लिये जाने का कारण यह है कि सरकार ने राष्ट्रीयकरण की योजना को अपनाया है । ज्यों-ज्यों हमें साधन उपलब्ध होते जायेंगे त्यों-त्यों सरकार सड़कों का राष्ट्रीयकरण करेगी और इसके अनुसार ही २४ नये रूट्स लिये जाने वाले हैं जिन पर ४४ लाख ६० हजार ३०० रुपया १९६०-६१ के बजट में खर्च करने का प्राविजन किया गया है । इसमें करीब ५० लाख २९ हजार ७०० रुपये की ग्रास इनकम होगी और इस तरह से ५ लाख ६९ हजार ४०० रुपया प्राफिट होगा; साथ ही साथ इससे ४७ लाख ४५ हजार मील कवर होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से नेशनलाइजेशन के संबंध में इस साल ४०० नई बसों के चैसिस खरीदने की व्यवस्था है और उस पर १ करोड़ ७४ लाख रुपया खर्च होगा, जिसमें १ करोड़ १० लाख रुपया तो कैपिटल एकाउन्ट से और ६४ लाख रुपया डिप्रीसियेशन एकाउन्ट से हासिल किया जायगा । रोडवेज विभाग की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है । १९५८-५९ में जहां माइलेज ६०,४१७,४१९ मील के लगभग था, वहां अप्रैल से दिसम्बर, १९५९ तक वह ५ करोड़ ८९ लाख ३१ हजार ९३५ मील हो गया है और मार्च, १९६० तक आशा है कि वह करीब ८ करोड़ मील के लगभग हो जायगा, सारे प्रदेश में इतना माइलेज हमारी रोडवेज की बसें कवर कर लेंगी । इसी तरह से पैसेंजर्स जहां १९५८-५९ में करीब ८ करोड़ ५९ लाख ९ हजार

७२१ थे, वहां और अप्रैल दिसम्बर, १९५९ तक ९ महीनों में उनकी संख्या ८ करोड़ ४० लाख ५२ हजार ५९१ हो गई है और ३१ मार्च, १९६० तक मैं आशा करता हूं कि सारे प्रदेश में साढ़े १० या ११ करोड़ आदमी हमारी बसों पर सफर करेंगे। इसी तरह से सब कट करने के पश्चात् इन्कम इस प्रदेश में रोडवेज से १९५८–५९ में १ करोड़ ४८ लाख २ हजार ९०० रुपये की हुई, वह ३१ दिसम्बर, १९५९ तक १ करोड़ ५८ लाख ९५ हजार ९३४ रुपया थी और मैं आशा करता हूं कि ३१ मार्च, १९६० तक वह करीब २ करोड़ से ज्यादा हो जायगी। इसी तरह से नेशनलाइजेशन की स्कीम में सरकार की ओर से भी बहुत से कार्य किये जायेंगे। इस बजट में ४४ नये आइटम्स हैं और अगर उनको माननीय सदस्यों ने अच्छी तरह से देखा होगा तो उन्हें सही निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिलेगी और वे जानेंगे कि हर साल की अपेक्षा इस वर्ष अधिक प्राविजन किया गया है।

इसके साथ ही थोड़ी और बात कहना भी मैं उचित समझता हूं। १९५० से १९५५ तक इस विभाग में असिस्टेंट बुकिंग क्लर्क्स की नियुक्ति होती थी और उनका वेतन ४० रुपये से ८० रुपये तक का था। उनकी कार्य-प्रणाली में बुकिंग क्लर्क्स की कार्य-प्रणाली से कुछ विषमता अवश्य थी लेकिन १९५५ के पश्चात् यह देखा गया कि असिस्टेंट बुकिंग क्लर्क्स और बुकिंग क्लर्क्स की कार्य-प्रणाली में कोई विशेष अंतर नहीं रह गया है। टिकटों का हिसाब रखना, उनको बेचना, हिसाब-किताब रखना और विवरण-पत्र आदि तैयार करना, जो काम थे और उनको जिस तरह से बुकिंग क्लर्क्स किया करते थे, उसी तरह से असिस्टेंट बुकिंग क्लर्क भी किया करते थे; इसलिये इन कर्मचारियों में जो एक प्रकार की भ्रामक भावना फैल गई है उसको दूर करना सरकार ने उचित समझा है और इस तरह से करीब ५०२ कर्मचारी ऐसे होंगे जिनको इससे फायदा होगा। वेतनवृद्धि अब हमने उनकी जो ४०–८० रुपये थी, बढ़ा कर ६० से १०० रुपये कर दी है। इस तरह से जो ट्रान्सपोर्ट विभाग में असिस्टेंट बुकिंग क्वर्स थे वे भी अब बुकिंग क्लर्क्स की तरह से ही रहेंगे और इसके लिये हमको सन् १९६०–६१ के बजट में करीब ५२ हजार रुपयों की व्यवस्था करनी पड़ी है और इसके अलावा अतिरिक्त व्यय भी करीब १ लाख २० हजार ५ सौ रुपये के होगा।

इसके अलावा इस सदन में भी और इसके बाहर भी यह कहा गया कि यहां इस विभाग में टेम्पोरेरी कर्मचारियों की संख्या अधिक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस सदन के समक्ष यह कहना उचित समझता हूं कि हमने कर्मचारियों की इस समस्या पर अच्छी तरह से विचार किया है कि और हमने यह व्यवस्था की है जो भी कर्मचारी ऐसे हैं, चाहे वह गजेटेड हों या नान-गजेटेड हों, उनकी ३ साल की सर्विस होने पर, ३३ परसेन्ट को स्थायी कर दिया जाय। इससे जिनकी ३ साल से अधिक सर्विस होगी उनको स्थायी किया जा सकेगा। इस तरह से काफी कर्मचारियों को स्थायी करने की व्यवस्था है।

इसके अलावा मैं एक चीज और सदन की सूचना के लिये आपकी आज्ञा से कह देना उचित समझता हूं कि इसके पहले भी ३३.८ परसेन्ट कर्मचारी परमानेंट हो चुके हैं। उसके अलावा जो और कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनमें से ३३ परसेन्ट और परमानेन्ट किये जायेंगे इनको परमानेन्ट करने में सरकार ने करीब १० लाख २९ हजार १०० रुपये की इस बजट में व्यवस्था की है जिससे उन कर्मचारियों की काफी परेशानी दूर होगी।

इसके अलावा जूनियर स्टेशन इंचार्ज के वेतन स्केल में भी वृद्धि की गयी है। अब उनका वेतन स्केल १००—१५० रुपये करके जो एक तरह की एनामली थी उसको दूर करने का बजट में प्राविधान है। १००—१५० रुपये के पे-स्केल में अब उनकी सालाना वृद्धि भी बढ़ा कर ५ रुपये कर दी गई है।

[डाक्टर सीताराम]

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में बहुत से स्टेशन्स ऐसे हैं जिनकी आमदनी ३ हजार से अधिक है। बड़े-बड़े शहरों में जो सरकारी कर्मचारी हैं वे भी अच्छे स्तर के हैं। वहां पर सीनियर स्टेशन इंचार्ज होते थे जिनकी पे १५० रुपये से शुरू होती थी लेकिन वहां की आमदनी ३,००० से ज्यादा थी। इसलिये इस बजट में यह व्यवस्था की गयी है कि जिस तरह से रेलवे में बड़े-बड़े स्टेशनों पर स्टेशन सुपरिन्टेन्डेन्ट रखे जाते हैं उसी तरह से परिवहन विभाग में भी स्टेशन सुपरिन्टेन्डेन्ट हों। इस तरह से बजट में १३ सुपरिन्टेन्डेन्ट की पोस्ट्स क्रिएट की गयी हैं जिनका वेतन-क्रम २००–३५० होगा और १५ रुपये साल की वृद्धि होगी। इस तरह से इस बजट में करीब २९ हजार रुपये की व्यवस्था की गयी है। यह इस आधार पर किया जायेगा कि जहां की आमदनी ३,००० से ज्यादा होगी और जहां उसके साथ ही साथ करीब १५० गाड़ी प्रत्येक दिन या तो पहुंचेंगी या रवाना होंगी, वहां पर ऐसी व्यवस्था की जायेगी।

इसके अलावा जो सीनियर स्टेशन इंचार्ज और जूनियर स्टेशन इंचार्ज हैं और जिनका कार्य अच्छा होगा, जो अपने कार्य को अच्छी तरह से करेंगे, और कार्यकुशलता के लिये उनका कार्य परिचायक होगा, उनके लिये भी एक पुरस्कार की व्यवस्था की गयी है। इस तरह से १९६०–६१ के बजट में १६,८०० रुपये की आवर्तक धनराशि रखी गयी है जिससे जूनियर स्टेशन इंचार्ज और सीनियर स्टेशन इंचार्ज अपने कार्य को अच्छी तरह से संपादित करेंगे, जिससे उनका भी उत्साह बढ़ेगा और सरकार को और डिपार्टमेंट को भी फायदा होगा, क्योंकि जब उनको पुरस्कार मिलेगा तो उनके कैरेक्टर रोल अच्छे लिखे जायंगे और डिपार्टमेंट को भी फायदा होगा। इस तरह से गजटेड आफिसर्स को छोड़ करके और एक आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट जो कि सबार्डिनेट पोस्ट होती है, और जितने सबार्डिनेट कर्मचारी हैं, जो अच्छे कर्मचारी हैं उनको आनरेरियम और रिवार्ड की इस तरह से व्यवस्था कर दी गयी है।

इसके अलावा आप देखते हैं कि रोडवेज विभाग में या प्राइवेट आपरेटर्स के जरिये भी सड़कों पर प्रायः इस तरह के ऐक्सिडेंट हो जाया करते हैं। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने एक कमेटी बनायी जिसकी मीटिंग इन्दौर में जनवरी, १९५९ में हुई और उसकी संस्तुति पर केन्द्रीय सरकार ने एक एजूकेशन फिल्म के बनाने की योजना बनायी जिस पर १ लाख रुपये खर्च होंगे। इस प्रदेश का उसमें शेयर क्या होगा उसके लिए १०० रुपये की टोकेन ग्रांट की व्यवस्था की गयी है जिससे आवश्यकता पड़ने पर उन फिल्मों को खरीदा जा सके। उन फिल्मों के अन्दर दिखाया जायगा कि किस प्रकार सुरक्षा के साथ किस तरफ गाड़ियां चलायी जायं और पथ-परिवहन में शिष्ट व्यवहार करने के लिए और उसके राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में जनता में और खास कर ग्रामीण जनता में रोड सेंस डेवलप करना होगा कि जिस तरह से हम सड़क पर किस ओर चलें और डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को और खास कर ड्राइवर्स को फायदा होगा कि हम गाड़ियों को किस तरह से चलावें जिससे हम ऐक्सिडेंट्स को एवायड कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, रोडवेज विभाग ने इलेक्ट्रिक फैन्स के लिए करीब ३०,००० रुपये की व्यवस्था की है जो कि स्टेशनों पर लगाये जायंगे। उससे कर्मचारियों को भी फायदा होगा और गर्मी के दिनों में मुसाफिर जो जाकर वहां बैठते हैं उनको भी फायदा होगा। इसके लिए भी बजट में प्रावीजन किया गया है।

अभी तक रोडवेज विभाग का प्राफिट ऐंड लास एकाउन्ट जो तैयार किया जाता था वह सिंगिल एंटरी सिस्टम के बेसिस पर किया जाता था, लेकिन हाउस की जो पी० ए० सी० कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन पर और एकाउन्टेन्ट जनरल के कहने पर अब डबल एंटरी सिस्टम से बैलेंस शीट तैयार करायी जायगी जिसके लिए इस बजट में ११,४५,३०० रुपये की व्यवस्था है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को, खास करके वर्कशाप में जो काम करते हैं उनको गर्मी के दिनों में काफी परेशानी पानी के लिए हुआ करती थी। इसलिए

७ रीजनल वर्कशाप्स में ठंडे पानी के लिए कूलर्स लगाये जायंगे, जिसके लिए २०,००० रुपये की व्यवस्था है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक इस डिपार्टमेंट की ऐक्टिविटीज के बारे में कोई जरनल नहीं निकलता था, लेकिन यह महसूस किया गया कि जरनल अगर कोई निकलता है तो उससे जनता का ही फायदा नहीं है, बल्कि डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का भी फायदा होगा, क्योंकि उसमें अच्छे लेख हुआ करेंगे। किस तरह के लेख हों, वह परिवहन आयुक्त तय करेंगे, क्योंकि यह काम उन्हीं को तय करना है। इसलिए इसके लिए भी व्यवस्था की गयी है।

बिल्डिंग्स पर करीब २५ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है, जिसमें बस स्टेशन बनेंगे और साथ ही साथ उसमें रनिंग रूम्स की भी व्यवस्था होगी। उसके लिए २५ लाख रुपये की व्यवस्था है। कुम्भ मेले में इस डिपार्टमेंट ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। कुम्भ मेले में करीब ४३० बसें चलीं। इन बसों ने करीब ६,८२,८९६ मील की दूरी कवर की। इन बसों से करीब ६,९०,८०१ रु० की ग्रास रिसीट्स हुईं। इस सम्बन्ध में एक्सपेन्डीचर करीब ४,८१,८५६ रु० हुआ। इस तरह से डेप्रीसिएशन वगैरह निकाल कर २,८०,९७० रु० का लाभ हुआ। इसके साथ-साथ इन बसों में करीब २,०३४ आदमियों को इतने टाइम के अन्दर नौकरियां मिलीं। इसके अलावा नेशनलाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत और सड़कों को लेने पर पांच सात-सौ लोगों को और इम्पलायमेन्ट मिलेगा।

अब मैं सदन का और समय नहीं लेना चाहता। यहां पर माननीय सदस्य जो सुझाव देंगे उन पर हम विचार करेंगे और उनसे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इस मांग को पेश करते हुये मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर विचार करके इसको स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री उग्रसेन से) आप तीनों मांगों पर कटौती के प्रस्ताव एक साथ पेश करें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७ में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है। विभाग में अपव्यय तथा अव्यवस्था पर चर्चा तथा इसके विषय में सुझाव देना।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१ में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—नीति का ब्यौरा, जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है—परिवहन विभाग में 'रोडवेज ऐक्ट' की मांग करना तथा हाई कोर्ट स्तर के जज की अध्यक्षता में एक पे कमीशन बैठाने का सुझाव देना।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५२ में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है—मोटर-गाड़ियों की खरीदारी में भ्रष्टाचार तथा अधिकारियों को अनावश्यक गाड़ियों का दे देना।

श्रीमन्, अभी मंत्री जी ने अपना अनुदान पेश करते हुये अपने भाषण में रोडवेज की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उससे सदन के सभी माननीय सदस्य अवगत हुये होंगे। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि मुझे कम से कम इतना समय तो मिलना ही चाहिये कि मैं इन ग्रान्ट्स पर कुछ प्रकाश डाल सकूं ...

श्री उपाध्यक्ष---आपके लिये २० मिनट हैं।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, औरों को २५ मिनट मिले हैं।

श्री उपाध्यक्ष---२५ मिनट मिल जायंगे लेकिन इसके बाद और समय न मांगियेगा।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, उत्तर प्रदेश सरकार के अन्तर्गत यही एक विभाग है जो बिना कायदे कानून के चलता है। मई, १९४७ में रोडवेज की सबसे पहली गाड़ी चली और पहले पहले इस विभाग ने रेलवेज से २०० गाड़ियां खरीद लीं और सड़कों का तथाकथित राष्ट्रीयकरण करके गाड़ियां चलाई गईं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, वह अपने उत्तर में बतायें कि इन १२ वर्षों के अन्दर अभी तक रोडवेज ऐक्ट क्यों नहीं बनाया गया। मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार के अन्तर्गत कोई दूसरा भी विभाग है जिसके लिये कोई कायदे कानून नहीं बनाये गये हैं। श्रीमन्, जनतन्त्र में जिस विभाग के संचालन के लिये कोई कायदे कानून न हों वह कैसे चलता है, खुदा हाफिज़ ! श्रीमन्, सिर्फ यही नहीं कि ऐक्ट ही नहीं है बल्कि रोडवेज मैनुअल भी नहीं है। आज जेल मैनुअल बनी हुई है। आज जब हम जेल जाते हैं तो सारे कायदे कानून के अन्तर्गत रहना पड़ता है। रेवेन्यू मैनुअल बना हुआ है, म्युनिसिपल बोर्ड मैनुअल बना हुआ है, सभी विभागों के मैनुअल बने हुये हैं। मंत्री जी ने इसी सदन में कहा था कि 'रोडवेज मैनुअल' का निर्माण विचाराधीन है। जब वह विचाराधीन था तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इतने दिनों के भीतर रोडवेज मैनुअल बनाने के लिये कौन सी कमेटी बिठाई ? उस काम में कितनी प्रगति हुई और उस पर प्रदेश के राजस्व का कितना व्यय हुआ ? इतना बड़ा तथा कथित राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। दो करोड़ की शुद्ध लाभ करने वाली सरकार की यह इन्डस्ट्री है लेकिन वह रोडवेज ऐक्ट के बिना और रोडवेज मैन्युअल के बिना चल रही है। पता नहीं जो लोग उसमें काम करते हैं, जो लोग उन गाड़ियों पर चलते हैं, उनको कौन-कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। जिसका सबसे छोटा कर्मचारी ५ रुपया पाता हो, उस विभाग में वहां के कर्मचारियों को कहां तक न्याय मिलेगा, उसको इस प्रदेश की जनता और आदरणीय सदन के माननीय सदस्य स्वयं जान सकते हैं। उनके वेतन-क्रम के ३ ग्रेड्स बताये गये हैं। एक ए० बी० सी० है उसका ग्रेड बढ़ा कर बी० सी० का कर दिया गया है। बहुत दिनों की चिल्लपों के बाद यह हुआ है और हाई स्कूल पास लोगों के ऐट-पार लाया गया है। अभी तक जो हाई स्कूल पास ए० बी० सी० थे उनको ज्यादा तनख्वाह मिलती थी। अब उन ए० बी० सी० को बी० सी० कर दिया गया है। जे० एस० आई० को अब तक ढाई रुपया तरक्की मिलती थी अब उसको बढ़ा कर ५ रुपया कर दिया गया। बहुत बढ़िया काम सरकार ने यह किया। माननीय मंत्री जी ने बताया कि जे० एस० आई० और ए० एस० आई० में से स्टेशन सुपरिन्टेन्डेंट बनाये जायंगे। ये माननीय मंत्री जी ने छोटी-मोटी उपलब्धियां बतायीं। अब आगे सुनिये--

छोटे ड्राइवर का ग्रेड है: ४५---२---६० ।

बड़े ड्राइवर का ग्रेड है: ६०---३---८० ।

लेकिन गाड़ी दोनों चलाते हैं। छोटे कंडक्टर को मिलता है ४०---३---७०, बड़े कंडक्टर को ६०---४---८०, क्लीनर कंडक्टर को ३५---३---६० मिलता है। इसके अलावा एक मजदूर कंडक्टर और है। ये सभी लोग एक ही काम करते हैं, सभी टिकट काटते हैं। संविधान में यह लिखा हुआ है कि अगर नेचर आफ वर्क एक हो तो पेमेन्ट भी उन सभी को एक प्रकार का होना चाहिये। क्या माननीय मंत्री जी उन सब कंडक्टरों के ग्रेड एक करने की कृपा करेंगे ? अगर नहीं करेंगे तो इसके बारे में हाईकोर्ट में रिट दायर हो सकती है और उनको संवैधानिक रिलीफ मिल सकता है।

इसके अलावा एक ए० टी० आई० का ग्रेड है ७५---५---१०० का। आगे उसकी कोई तरक्की नहीं है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब कोई टी० आई० नहीं है तो यह ए० टी० आई० किसका असिस्टेंट है। यह केवल उसको जलील करने के लिये किया गया है। १०० रु० पर सब ट्रेफिक इंस्पेक्टर पहुंच गये हैं लेकिन आगे को उनकी कोई तरक्की होने वाली

नहीं है। एक ट्रेफिक सुपरिन्टेन्डेन्ट बीच में ही आ गया। इसके अलावा सब से कम ग्रेड पाने वाला है चौकीदार जो २२--आठ आना--२७ के ग्रेड में है। इसके अलावा एक मेहतर का भी स्थान है जो अस्थायी है पार्ट-टाइम, और उसको ५ रुपया मिलता है और वह भी ६ महीने के बाद।

अब बड़ी तनख्वाहों को लीजिये। ७ रीजन्स के ७ जनरल मैनेजर्स हैं। ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर के आफिस को छोड़ दीजिये। गोरखपुर के जनरल मैनेजर साहब का ग्रेड ६०० से १,०००--१,५०० रुपया है, लखनऊ और कानपुर के जनरल मैनेजर्स का ग्रेड १,०००--१,५०० रुपया है। इसी प्रकार से सातों जनरल मैनेजर्स कोई उस ग्रेड में हैं और कोई स ग्रेड में। उनकी योग्यता क्या है, इसको प्रदेश की जनता जानती है। ये जनरल मैनेजर जो ७ रीजन में बैठे हुए हैं वे तो इतनी लम्बी तनख्वाह लेते हैं जबकि नीचे मेहतर ५ रुपये पाता है और चौकीदार की तरक्की ८ आने साल है। यानी चौकीदार का वेतन-क्रम २२ रु०--८ आना--२७ रु० है। इस तरह से तो उनके वेतन-क्रम में विरोधाभास है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब उनके वेतन-क्रम में इतना विरोधाभास है तो आपको एक पे कमेटी या एक पे कमीशन उसके लिये जरूर बना देना चाहिये ताकि वह पे कमेटी या पे कमीशन बैठे। मेरी तो मांग है कि हाई कोर्ट जज के स्तर का जो व्यक्ति हो उसकी अध्यक्षता में एक पे कमेटी या पे कमीशन बैठे जिसे लेबर प्राबलम का विशेष ज्ञान हो और जो रोडवेज में क्रिएट की गयी तमाम एनोमलीज को देखे। माननीय मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि पे कमीशन बैठाने की जरूरत नहीं है, वह तो सन् ४७ में जो पे कमेटी बैठी थी उसके आधार पर ही हमने सबको ग्रेड दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब सन् ४७ में पे कमेटी बैठी थी उस वक्त रोडवेज का जन्म ही कहां हुआ था। जब उसका जन्म ही बाद में हुआ तो वह निर्णय उसके ऊपर कैसे लागू हो सकता है? माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि क्लर्कों को हमने वही ग्रेड दिया है, जो कि कंडक्टरों का ग्रेड है। ड्राइवर्स जो रोडवेज विभाग की रीढ़ हैं उनका ग्रेड भी ज्यादा नहीं है, इसलिये इसमें कोई औचित्य नहीं है कि आप पे कमेटी न बैठावें। इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने मिनिस्टिरियल एसोसिएशन द्वारा सेकेंड पे कमीशन बैठाने की मांग पर कहा था कि इस सम्बन्ध में कोई ठोस चीज लेकर हम सदन के सामने आवेंगे। इसके औचित्य को देख कर माननीय मंत्री जी को चाहिये कि एक हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में पे कमेटी बैठा कर जो इस विभाग के अन्दर एनोमलीज हैं उनको दूर कर दें।

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव यह है कि ७ रीजन में जो ७ जेनरल मैनेजर हैं उनके पोस्ट्स को एबालिश करके उनको हटा देना चाहिये। उनकी कोई जरूरत नहीं है, इनकी पोस्ट उसी तरह से सुपरफ्लुअस हैं जैसे जिलाधीश का पोस्ट जिले के अन्दर सुपरफ्लुअस है। खसरा खतौनी का काम तहसीलदार देखता है, नायब तहसीलदार देखता है और जिलाधीश भी गांवों में दौरों में जाता है। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है सिवा इसके कि वह मंत्रियों का स्वागत सत्कार करे और जिले में जाने पर उनके पीछे-पीछे घूमता फिरे। उसी तरह का काम इन जनरल मैनेजर्स का भी है। सिवा इसके कि वे बड़े-बड़े जलसों का उद्घाटन करें, सिवा इसके कि वे बड़ी-बड़ी दावतों में जायं और सिवा इसके कि वे दौड़-धूप कर लखनऊ जायं, और कोई काम नहीं है। जहां तक इनकी तनख्वाहों की बात है, करीब १ लाख रुपया वार्षिक उन जनरल मैनेजर्स की तनख्वाह पर खर्च होता है। मुझे ये आंकड़े नहीं मिल सके कि उनके पेट्रोल पर कितना खर्च होता है या उनके भत्ते पर कितना खर्च होता है। ७ जनरल मैनेजर थे ही, फिर उनके नीचे ए० जी० एम० बनाये गये हैं, समझ में नहीं आया कि उनकी क्या जरूरत है। गोरखपुर रीजन में फिर ए० जी० एम०, बस्ती बनाये गये हैं और रायबरेली में भी

[श्री उग्रसेन]

ए० जी० एम०, ट्रांसपोर्ट अभी बनाये गये हैं। जब ए० जी० एम० हैं ही तो फिर ए० जी० एम० टी० की क्या जरूरत है? फिर ट्रांसपोर्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट की भी १३ पोस्ट बनायी गयी हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी फाइनेंस डिपार्टमेंट से असेस करावें कि इन जेनरल मैनेजर को हटा देने से रोडवेज का कितना रुपया बच जायगा। ये बिलकुल सुपरफ्लुअस पोस्ट हैं इसलिये उनको एबालिश कर देना चाहिये।

माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि इस साल रोडवेज को २ करोड़ का शुद्ध लाभ होने वाला है। इस सम्बन्ध में एक बात मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं--जैसा कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी और ए० जी० ने भी कहा था कि एकाउन्ट में सिंगल एंट्री की जगह डबल एंट्री सिस्टम होना चाहिये। यह भी ठीक है और एक ऐसी चीज है जो होनी चाहिये और अगर डबल एंट्री एकाउन्ट्स को देखा जाय तो इतना शुद्ध लाभ दिखाई नहीं देगा। हो सकता है कि मंत्री जी २ करोड़ का शुद्ध लाभ दिखाते हों।

सरकार ने एक पुस्तिका दी है, इसमें कब से कब तक कितना लाभ है, वह दिया है। सन् १९४७-४८ में जब रोडवेज पहले चली तो यह था ४,५५,३३२ रुपया और अब है २ करोड़ रुपया। इन १० साल में जो पूरा लाभ है वह है ५,१०,७५,०९३ रुपया जो इस रोडवेज के उद्योग से सरकार को हुआ है, यह शुद्ध लाभ है। जो डिप्रिसियेशन फंड में जमा करते हैं या जो केपिटल आउट-ले का सूद है उसको निकाल कर यह शुद्ध लाभ हुआ है। इस तरह से जितनी पूंजी लगाई गई थी वह सब कमा ली गई। इसके लिये तो हर ड्राइवर और कन्डक्टर एक-एक गाड़ी मुफ्त ही मांगे, तो भी अनुचित नहीं कम से कम उनको कारपोरेशन बना कर शेयर ही दे दें। मेरा मतलब यह नहीं है कि वे लोग अपने घर गाड़ियां लेकर चले जायं बल्कि मेरा मतलब यह है कि जो प्रदेश के साढ़े १२ हजार लोगों की मेहनत की कमाई है उसमें से उनको भी कुछ दिया जाय। यहां के रोडवेज अधिकारी और माननीय मंत्री जी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने कर्मचारियों को बोनस देकर लाभ का हिस्सा दिया है लेकिन हमारे यहां एक पैसा भी उनको बोनस नहीं दिया गया। मेरी मांग है कि यहां भी उनको बोनस दिया जाय और इसके साथ-साथ एक बात की और भी व्यवस्था होनी चाहिये कि उनका भी दूसरे लोगों की तरह प्राविडेंड फंड एकाउन्ट होना चाहिये, आज तक उनका कोई प्राविडेंट फंड एकाउन्ट नहीं है। पहले केवल कुछ स्थायी लोगों का कटता था लेकिन अब नोटिस पहुंचा है कि वह आइन्दा न काटा जाय क्योंकि जब तक पोस्ट पेनशनेबिल होने की गारन्टी न हो तब तक वह नहीं कट सकता। न उनका कोई कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंड फंड ही कटता है। तो वे रिटायर होकर आखिर में अपने घर क्या लेकर जायं? वे आखिर में टी० बी० लेकर जाते हैं। दस करोड़ मील का माइलेज हुआ है, जो आदमी ७०-८० मील चलाते थे वह अब १५० मील और १५२ मील चलाते हैं लेकिन उनके वेतन में कमी हो गई है। वह लोग १६-१६ घंटे ड्यूटी करते हैं। बार-बार सदन में कहा गया कि ड्राइवर्स की स्टीयरिंग ड्यूटी नहीं बल्कि स्प्रेड आवर ड्यूटी मानना चाहिये, लेकिन विभाग कहता है कि ड्राइवर जिस समय खाली रहते हैं वह समय नहीं माना जायगा लेकिन अगर उस समय भी एक पुरजा भी एञ्जिन का इधर से उधर हो जायगा तो जिम्मेदारी उनकी और अगर खोया जाय तो उसके वेतन से पैसे कट जाते हैं। इस बात को असेस कर लिया जाय। एक एक ड्राइवर १६ घंटे की ड्यूटी देता है और १५०-१५४ मील चलता है और आखिर में लेकर जाता है टी० बी०। उनके लिये कोई दवादारू की व्यवस्था नहीं है, अगर वह छुट्टी लेकर जाता भी है तो सिविल अस्पताल में उसको १७-१८ नम्बर का मिक्सचर या पानी दे दिया जाता है। यह तो उनकी बात है। तो मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम उस लाभ में से उन्हें भी हिस्सा देना चाहिये उनके प्राविडेंट फंड, ग्रेचुइटी और पेंशन देने की व्यवस्था मंत्री जी को करनी चाहिये।

अब मैं सड़कों के राष्ट्रीयकरण के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। बड़ी चर्चा की गई, काफी माइलेज लिया गया। मगर मैं बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जहां सबसे कम राष्ट्रीयकरण हुआ है। कालपी झांसी बांदी--करवी 'ए' क्लास रोड्स हैं मगर उनका राष्ट्रीयकरण

नहीं हुआ। लखनऊ से बाराबंकी तक रोडवेज की गाड़ियां चलती हैं, गोरखपुर से फैजाबाद तक रोडवेज की गाड़ियां चलती हैं मगर फैजाबाद और बाराबंकी की सड़क का राष्ट्रीयकरण नहीं होता, वहां उस पर रोडवेज की गाड़ियां नहीं चलती हैं बल्कि किसी जनरल मैनेजर की प्राइवेट बस चलती हैं। हजारों रुपया सर्वे वगैरा पर उस सड़क के लिये खर्च हुआ ....

श्री उपाध्यक्ष—आप इस किस्म की आपत्ति न करें तो अच्छा है।

श्री उग्रसेन—ठीक है, श्रीमन, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। मगर फैजाबाद और बाराबंकी रोड का राष्ट्रीयकरण नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि बुन्देलखंड में सड़कों का राष्ट्रीयकरण हो और फैजाबाद-बाराबंकी सड़क का भी राष्ट्रीयकरण हो।

अस्थायी तरीके से कुमाऊं रीजन बनाया गया था जिसके बारे में विभाग की तरफ से और सदन में भी कहा गया कि उस रीजन को स्थायी कर दिया जायगा। लेकिन उस तरफ अभी तक कुछ नहीं हुआ। नतीजा यह होता है कि कुमाऊं रीजन के कर्मचारियों को बड़ी तकलीफ होती है, उनके कागज पत्र बरेली से deal होते हैं जिससे बड़ी कठिनाई होती है। इसलिये मैं चाहूंगा कि कुमाऊं को आठवां रीजन शीघ्र ही बना देना चाहिये और जबकि सीमा क्षेत्र का झगड़ा चल रहा है सरकार ने वहां तीन तीन नये जिले भी बना दिये हैं, चीनी हमले का अंदेशा सदा है। ऐसी परिस्थिति में उसको अलग स्थायी रीजन बना देना चाहिये।

अब मैं रोडवेज की गाड़ियों के खरीद के बारे में कहना चाहता हूं। गाड़ियां खरीदी जाती हैं और कहा जाता है बड़ी तरक्की हो रही है और तरह तरह के माडेल रिकमेंड होते हैं। एक बड़ी कठिनाई पड़ती है, जो पुराने माडेल की गाड़ियां ली गईं उनके स्पेयर पार्ट्स लेने में बड़ी दिक्कत पड़ती है। अगर कोई योजना गाड़ी खरीदने की हो जिसके आधार पर सिस्टेमेटिक ढंग से गाड़ियां खरीदी जायं तो अच्छा रहे। लेकिन ऐसी कोई योजना नहीं है जिसका नतीजा यह होता है कि पुरानी गाड़ियों की स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते हैं और पुरानी गाड़ियों के पार्ट्स के लिये बड़ी कठिनाई होती है, सेन्ट्रल वर्कशाप का खर्चा बढ़ जाता है।

कर्मचारियों के लिये कितने मकान बने, इस सम्बन्ध में मैं सरकार द्वारा दी गई पुस्तक में से दो लाइन पढ़ना चाहता हूं। "रोडवेज में कर्मचारियों के लिये क्वार्टर्स की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया। अप्रैल, १९५९ से दिसम्बर, १९५९ तक की अवधि में गाजीपुर, आगरा और इलाहाबाद में फोरमैन के लिए तीन क्वार्टर बनाये गए।" इन क्वार्टर्स की हालत मैं जानता हूं कि गाजीपुर में नहीं बन रहा है। १०,००,००० रु० की एक योजना प्रदेश के रोडवेज विभाग की ओर से बनी थी कर्मचारियों के आवास के लिये मगर आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विभाग में साढ़े बारह हजार कर्मचारियों में से एक भी कर्मचारी के लिये मकान की व्यवस्था है। कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है। जनता की क्या हालत है? यह आप सोच सकते हैं कि स्टेशनों पर वेटिंग रूम्स का पता नहीं। स्त्रियों के वेटिंग रूम की हर स्टेशन पर कमी है। जो स्टेशन बने हुए हैं उनके नक्शे बड़े खराब हैं। एक बी० टी० सी० आर० बिल्डिंग पर बनाने में बंगालिंग का चार्ज था लेकिन जिन महाशय ने बनवाई उनको तरक्की पर भेज दिया गया। गोरखपुर और देवरिया के बस स्टेशन की हालत यह है कि न शौचालय की और न पाखाने की व्यवस्था है। यात्री भीगते रहते हैं फैजाबाद स्टेशन पर पानी का अभाव रहता है। क्लेक्टर ने दूकानें भी हटवा दी हैं, स्टेशनों के नक्शे गलत हैं। बिल्डिंग्स बन भी नहीं रही हैं। जिसके कारण उनका रुपया लैप्स हो रहा है।

इसी तरह से हिन्द फलाइंग क्लब है। ३६–३७ से यह फार्मल तरीके से चल रहा है और इसे ४ लाख ५० हजार की अनुदान मिलती है। इसमें ट्रेनिंग दी जाती है और कहा

[श्री उग्रसेन]

गया कि मेरठ में इससे दवाइयां छिड़की गईं। वह केवल दिल बहलाव का क्लब है। किसानों के लड़कों को फैसीलिटी दी जाती तो प्रदेश का कुछ भला होता लेकिन बड़े सेठों तथा राजा महाराजा के लड़के उसमें ट्रेनिंग पाते हैं। वे गोमती में बोट क्लब में न गये, हिन्द फ्लाइंग क्लब में चले गये। अगर उसका सर्वहाराकरण कर दिया जाय तब तो उससे आम जनता को फायदा हो सकता है और तब मुझे इस अनुदान में दिये जाने में भी कोई एतराज न हो।

पहले कारों की चेकिंग के सम्बन्ध में डी० एस० पी० और आर० टी० ओ० जाते थे, जिससे दोनों में टक्कर होती थी और भ्रष्टाचार नहीं हो पाता था लेकिन अब आर० टी० ओ० और ए० आर० टी० ओ० के स्क्वायड कर दिये हैं और एक तरह से अब विभाग का कम्पेक्ट होगा जिससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा।

लखनऊ रीजन के जनरल मैनेजर ने १०,००० रु० एक फर्जी कम्पनी को दे दिया। स्टोर का सामान आया ही नहीं। जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है गोरखपुर रीजन में ८,५०० रुपये का गबन हुआ। ३१ तारीख को माहवारी वेरीफिकेशन न होकर पहली तारीख को होता था। जिससे वह कई महीने डिटेक्ट नहीं हुआ। कैश बुक पर केवल कैशियर के दस्तखत होते थे, न एकाउंट आफिसर के दस्तखत थे और न जनरल मैनेजर के दस्तखत थे। इसी तरह से बरेली में १०, १२ हजार का गबन था। कानपुर के सेंट्रल वर्कशाप में जो भ्रष्टाचार है उसके सम्बन्ध में एक महाशय ने १०० पेज का हाई कोर्ट इलाहाबाद में एफीडेविट दे रखा है। चारबाग स्टेशन लखनऊ से ५ मन की तिजौरी उठा ली गई और ५ हजार रुपये उसमें से निकाल लिये गये।

इसलिये मेरे इन सुझावों पर ध्यान दिया जाय कि रोडवेज कर्मचारियों के लिये पे कमेटी बैठाई जाय, उनको बोनस दिया जाय। केसेज की सुनवायी के लिये एक इंडीपेंडेंट ट्रिब्युनल बना दिया जाय। जो आदमी डिसमिस करे वही अपील की सुनवाई न करे। रोडवेज की वर्कशाप में फैक्टरी ऐक्ट लागू किया जाय। जब माननीय मंत्री जी काफी रुपया इस विभाग से कमा रहे हैं तो जो यात्री चलते हैं उनके किराये में भी कमी होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव को रखता हूं।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परिवहन मंत्री ने जो अनुदान आज प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये तथा मेरे मित्र उग्रसेन जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। विरोध का कारण यह है कि भाई ने अपने मधुर भाषण में जिन बातों को बतलाया और परिवहन विभाग में जिनको शामिल करने के लिये सुझाव दिये उनको देखने से मालूम होता है कि कम से कम उनके लिए लाखों व करोड़ों रुपये की बढ़ोतरी की आवश्यकता होगी लेकिन प्रस्ताव में उन्होंने रखा है कि सब काट कर एक रुपया कर दिया जाय। इसी से मैं समझता हूं कि इस बे बुनियाद बात का विरोध होना ही चाहिये।

जहां तक इस विभाग का सम्बन्ध है, मेरा निवेदन है कि सन् ४७ से लेकर आज तक इस राज्य में इस विभाग ने जो काम किया, जो जनता की सेवायें कीं उनसे गांव तथा शहर के रहने वालों को इतना भरोसा अवश्य ही हो गया है कि उनको जहां जाना हो अपने गंतव्य स्थान पर वे ठीक ढंग से जा सकते हैं। रेलवे इससे बहुत पहले से चल रही है। लोगों की रेलवे के प्रति ऐसी भावना नहीं रह गई; यह परिवहन विभाग की सेवा का असर है।

माननीय उग्रसेन जी ने जिन बातों का यहां उल्लेख किया उनमें से दो एक बातें उन्होंने ऐसी कहीं कि यदि केवल उनको देखा जाय तो यह मालूम होगा कि परिवहन विभाग इस राज्य का सेवक नहीं बल्कि भ्रष्टाचार, खोखलापन और अरक्षण का जाल सा है। उन्होंने कहा कि ड्राइवर, कंडक्टर, और क्लीनर की तनख्वाहों में कमी बेशी है, एक ही तरह का काम करने वालों के वेतन दो तरह का है। सम्भवतः उन्होंने इस बात को नहीं जाना कि जिस समय रोडवेज विभाग इस राज्य में शुरू किया गया था उस समय इस बात का खयाल नहीं किया गया था कि किस योग्यता के आदमी किस जगह पर रखे जायें। भरती हो रही थी, बहुत से लोग उसमें

भरती हुये और जो तनख्वाह उस समय निश्चित की गयी उस पर सब लोग काम करने लगे। कुछ दिनों बाद जब यह आवश्यक समझा गया कि कुछ शिक्षा की सीमा होनी चाहिये और हाई स्कूल से कम के आदमी फलां-फलां जगह पर न रखे जायें उस समय कुछ उनका वेतन भी तय किया गया था और उसी आधार पर यह वेतन-क्रम बना कि इसमें कुछ विभिन्नता रखी जाय। परन्तु जो कर्मचारी उसमें वेतन पाते हैं वे स्वयं विभिन्नता महसूस नहीं करते। उनको मील के हिसाब से भत्ता मिलता है और अपने कामकी पूरी मजदूरी मिलती है। यह उन कर्मचारियों ने स्वयं ही, जब विभाग के अधिकारियों द्वारा पूछा गया था कि आपको इस वेतन-क्रम में रहना है या सरकारी आदेश के मुताबिक फलां समय से सर्विस छोड़ना है, तय किया था कि हम जिस आधार पर चल रहे हैं उसमें इस भत्ते के मुताबिक काम करने में हमें कोई एतराज नहीं है। वस्तुतः उसमें कोई पक्षपातपूर्ण बात नहीं है।

एक बात और उन्होंने कही कि जनरल मैनेजर का पद जो ६–७ रीजन्स में रखा गया है उसे समाप्त कर दिया जाय। इस बात का उत्तर देना मैं कोई आवश्यक नहीं समझता क्योंकि इसके पहले उनकी पार्टी का यह भी सुझाव है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ही पद समाप्त कर दिया जाय और ऐसा खयाल है कि कुछ समय अगर इसी प्रकार सोशलिस्ट पार्टी की डेमौक्रेसी पनपती रही तो थोड़े दिनों बाद यह भी कहा जायगा कि किसी प्रकार का नियन्त्रण न रखा जाय सब ऐसे ही काम होने दिया जाय।

श्री उग्रसेन—ऐसा नहीं है।

श्री केशव पांडेय—अगर ऐसा नहीं है तो तमाम बातों को पूछने की जिम्मेदारी एक व्यक्ति पर रखने के माने यह हैं कि किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति को रखना पड़ेगा चाहे उसका नाम आप कुछ भी क्यों न रखें। अगर यह नहीं होना चाहिये तो सोशलिस्ट पार्टी में भी जनरल सेक्रेटरी या प्रेसीडेंट रखने की जरुरत नहीं है, सब मंत्री हो जायें और सारा विधान अपने आप बन जाय। लेकिन अच्छा है, अभी हमारे मुल्क को भाई उग्रसेन जी के कथनानुसार काफी दिनों में देखने को मिलेगा।

दूसरी बात भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में उन्होंने कही। मैं समझता हूं कि माननीय उग्रसेन जी का बहुत नजदीकी होने के नाते शायद मैं यह कह सकता हूं कि सम्भवतः उन्हों ने इस बात को कभी देखने की चेष्टा नहीं की। भ्रष्टाचार का समूल उन्मूलन रोडवेज विभाग से हो गया है ऐसा मैं कहता हूं। वरना यह कहा जाता था कि टिकट लेते समय या गाड़ियों में चलने वालों को किसी और जगह अधिक पैसा देना पड़ता था। लोग कुछ दिन पहले यह कहा करते थे और हम लोग भी देखा करते थे और ऐसा हो गया था। इस पर इस विभाग का ध्यान दिलाया गया तो विभाग ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अब नहीं कहा जा सकता है कि वहां पर भ्रष्टाचार होता है। लेकिन जो लोग हमारी बात को मानना ही नहीं चाहते हैं उनके लिये तो हमारे पास कोई दलील नहीं है। जैसे कि गांव में कहा जाता है कि पंचायत सब मानेंगे लेकिन कीला यहीं गड़ेगा, इसी तरह से उधर से आवाज आई —"गलत"। जब हमारी बात को सुनने के लिये उधर से दरवाजा बन्द है तो हम भी कुछ कहने के लिये असमर्थ हैं।

आमदनी के सम्बन्ध में माननीय उग्रसेन जी ने स्वयं आंकड़े पेश किये हैं कि १९४७ से अब तक दो करोड़ से ऊपर की इस विभाग को आमदनी हो चुकी है। अभी राज्य की पूरी सड़कें नहीं ली जा सकी हैं। ज्यों ज्यों हमारे साधन बढ़ते रहेंगे त्यों-त्यों हमारी सड़कें भी अच्छी होती रहेंगी। जैसे-जैसे लोगों की मांग बढ़ेगी वैसे-वैसे और सड़कें भी ली जायेंगी। रोडवेज

[श्री केशव पांडे]

को इतनी आमदनी होने के बाद यह कहा जाय कि इसको कुछ जगह दान में दे दी जाय तो ठीक नहीं है । जब तक हमारा शरीर काम करता रहता है तब तक तो ठीक है लेकिन उसके समाप्त होने के समय जो कहा जाता है उसको मैं यहां कहना नहीं चाहता हूं ।

माननीय उग्रसेन जी ने कहा है कि एक कुमाऊं रीजन खोला जाय । हम लोग भी इस बात के समर्थक हैं । वहां पर एक रीजन खोल कर एक जनरल मैनेजर रखा जाय और अन्य रीजनों के समान उसको खोलकर पनपाने की चेष्टा करनी चाहिये । मैं समझता हूं कि जो पुस्तिका इस विभाग को मिली है उसके पढ़ने में माननीय उग्रसेन जी थोड़ा समय लगायेंगे जैसे कि वह और बातों में अपना समय देते हैं । और उन कर्मचारियों को छोड़ कर जो बरखास्त होकर बावैला मचाया करते हैं वह अन्य लोगों से बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि वह परिवहन विभाग से संतुष्ट होंगे और मुझे आशा है कि उनका योग इस विभाग को मिलेगा और राज्य के अन्दर वह उत्तरोत्तर तरक्की करता रहेगा ।

कुछ जगह नहीं ली जा सकती हैं । उनके लिये हम लोग सुझाव देते हैं । उसके आधार पर इस विभाग का काम और आगे बढ़ सकता है । प्रयाग में कुम्भ का मेला लगा था जिसके बारे में राज्य का हर मनुष्य जो अखबार पढ़ता है या वहां गया था या जिसने लौटने वालों से मुलाकात की होगी तो उसे मालूम हुआ होगा कि इस विभाग ने वहां बड़ा भारी काम किया और इसी तरह से अगर यह काम करता रहेगा तो यह प्रभावशाली विभाग होगा । मैं मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं । कभी कभी सुना करते हैं, और लोग कहा करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस विभाग को ले लेने की इच्छा रखती है । मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस राज्य की जनता यह नहीं चाहती है कि इस विभाग को लेकर रेलवे की तरह से कर दिया जाय । आज वहां पर लाखों की चोरी बन्द नहीं हो पाती है । इस विभाग को और प्रभावकारी बनाना है तो इसी राज्य में उसको पनपने का मौका दिया जाय ।

मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं . . . .

श्री उपाध्यक्ष---समय समाप्त ।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उग्रसेन द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

कहा गया कि रोडवेज विभाग में तरक्की हुई । इसको हम मानने के लिए तैयार हैं कि तरक्की हुई । लेकिन साथ ही साथ वहां की कुछ तकलीफों की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस विभाग के कर्मचारियों की तनख्वाहें १९४७ में, जबकि यह विभाग बनाया गया था, जो रखी गयी थीं वही आज भी मौजूद हैं । दूसरे उनके लिए न कोई अभी तक मैनुअल बनायी गयी और न कोई पे कमेटी बनायी गयी कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए इनकी तनख्वाहें क्या होनी चाहिए । आज की महंगाई देखते हुए और इन कर्मचारियों की परेशानी देखते हुए यह विचारणीय हो गया है कि इस विभाग के लिए, चाहे सारे विभागों के लिए, एक पे कमेटी बैठायी जाय । किसी व्यवस्था के चलाने के लिए, उसके पथ-प्रदर्शन के लिए मैनुअल बनाने की भी जरूरत है ।

दूसरे, इस संस्था के बारे में अभी तक यह नहीं घोषित किया गया कि यह संस्था व्यापारिक है या राजकीय है । हमको जहां तक याद है, हमारे माननीय मंत्री जी ने एक-आध बार इस बारे में कहा था कि यह व्यापारिक संस्था है । लेकिन इसके संबंध में अब तक कोई आदेश सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया कि यह व्यापारिक संस्था है । मैं जानना चाहूंगा कि जो बोनस दूसरी व्यापारिक संस्थाओं में दिया जाता है, आखिर इन कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया जाता । माननीय परिवहन मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में अपने बजट भाषण में कोई जिक्र नहीं किया । इन कर्मचारियों को यह शिकायत है कि अच्छे काम करने में कर्मचारियों को बजाय इनाम देने के गलत इल्जाम से मुअत्तल किया जाता है जबकि मध्य प्रदेश में घाटा होने

पर भी कर्मचारियों को बोनस देने की व्यवस्था की गयी है लेकिन हमारे यहां लाभ होने पर भी बोनस नहीं दिया जाता। जहां तक महंगाई भत्ता का प्रश्न है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट में सेंट्रल बेसिस पर महंगाई का भत्ता दिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में महंगाई भत्ते की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। नीचे के कर्मचारियों के लिए पांच रुपये और ढाई रुपये की वृद्धि महंगाई के लिए जो व्यवस्था पिछले बजटों में की गयी है, आज की महंगाई को देखते हुए हम उसको अपर्याप्त समझते हैं।

(इस समय १ बज कर १३ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचन राम गुप्त, पीठासीन हुए।)

इन कर्मचारियों के रहने की कोई आज तक व्यवस्था नहीं हो सकी। हम देखते हैं कि रोडवेज के ड्राइवरों, कंडक्टरों के लिए ड्यूटी से लौटने के बाद रहने के लिए स्थान मौजूद नहीं है। मैं जिस जिला गोरखपुर से आता हूं वहां की बात कहना चाहता हूं। वहां एक विश्रामगृह किसी प्रकार बना हुआ है। उसमें बजाय उनके यानी बस कर्मचारियों को ठहरने के दूसरे लोग उसमें ठहरते हैं और ठहराये जाने के विरोध पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया। यह सिर्फ गोरखपुर की ही बात नहीं है। जहां तक आवास के न होने का सवाल है, वह सारे प्रदेश का सवाल है और हमको यह देखकर बहुत दुख होता है कि जिस डिपार्टमेंट में इतनी आमदनी हो उसके कर्मचारियों के लिए आज तक रहने की कोई व्यवस्था न की जाय। दूसरी तरफ, श्रीमन्, यह भी देखने को मिलता है कि कंडक्टर्स और ड्राइवर्स को तो यूनिफार्म वगैरह दिये जाते हैं लेकिन जो सामान्य कर्मचारी हैं, दूसरे कर्मचारी हैं उनको कोई यूनिफार्म वगैरह देने की व्यवस्था नहीं है। (व्यवधान) जैसे वहां पर नीचे के जो कर्मचारी हैं मेहतर और चपरासी वगैरह या और इस प्रकार के लोग जो हैं उनको आज तक कोई यूनिफार्म वगैरह नहीं दिया जाता है। (व्यवधान)

एक सदस्य––आप कभी स्टेशन गये भी हैं ?

श्री अमरनाथ––जरा सुनिये तो, आप। आप ही गये हैं स्टेशन तक ? मैं जानता हूं उनको नहीं मिलता है। पता नहीं किस कारण से नहीं मिलता है। हमें दुख है इस बात का।

श्री अधिष्ठाता––माननीय सदस्य कृपया आपस में बातें न करें।

श्री अमरनाथ––दूसरी बात, श्रीमन्, जहां तक उनकी विभागीय पदोन्नति का प्रश्न है, ७५ प्रतिशत से उनकी पदोन्नति कम नहीं होनी चाहिए। यह देखा गया है––पदोन्नति करते वक्त में, स्थायी करते वक्त में, वहां पर पक्षपात किया जाता है, जिनको स्थायी नहीं होना चाहिए, जिनकी पदोन्नति नहीं होनी चाहिए, दूसरे के बनिस्बत जो योग्य नहीं होते हैं, जो उनके बनिस्बत काम में कुशल नहीं होते हैं उनकी पदोन्नति की जाती है, उनका स्थायीकरण किया जाता है। मगर जिन लोगों को उसके योग्य समझा जाता है और जिनकी पदोन्नति जरूरी है उनकी पदोन्नति नहीं की जाती है।

इसके बाद, श्रीमन्, मैं दूसरी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। अभी तक इस प्रदेश में इस विभाग के बारे में कोई पेंशन देने की व्यवस्था नहीं की गई है उन कर्मचारियों को और उन्हें यह भी नहीं पता है कि उनको ५८ साल के बाद कोई पेंशन मिलेगी या नहीं। दूसरे, इस बात का भी अभाव हमको खटकता है कि जैसे और विभागों में देखें, लेबर वगैरह में, तो वहां पर इनके झगड़ों का फैसला करने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट बनाया गया है और उसके आधार पर वहां पर न्यायाधिकरण की नियुक्ति की गयी है, उस

[श्री अमरनाथ]

तरह से इस विभाग के अन्दर इनके झगड़ों के फैसले के लिए किसी भी न्यायाधिकरण की व्यवस्था नहीं की गई है। हम माननीय मंत्री महोदय से इस बात को जानना चाहेंगे कि क्यों नहीं व्यवस्था की गई और हम यह भी देखते हैं कि जो अधिकारी इन पर मुकदमें चलाते हैं, और जो इन पर अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है, उसका फैसला वही व्यक्ति करते हैं कि जो उनके ऊपर अनुशासन की कार्यवाही या किसी प्रकार की गलतियों पर सजा देने के अधिकारी हैं, करते हैं। ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इनके लिए भी एक न्यायाधिकरण की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए एक अलग कानून बनना चाहिए जिससे ऐसी अदालतें स्थापित हो सकें और उचित फैसला कर सकें।

अब मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि बहुत सी जगहों पर बसों के चलाने की बहुत सख्त जरूरत है और उसके लिए कुछ मांगें भी की गई थीं। खास तौर से हमने गोरखपुर से परतावल बाजार होते हुए घुघली और वहां से सिसवा बाजार और निचलौल ठूठीबारी तक बस चलाने की मांग की थी लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन देकर भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की, खेद के साथ कहना पड़ता है।

सर्विस देने में इस विभाग में जिस प्रकार का पक्षपात किया गया है इसके ऊपर मैं कुछ विशेष कहना नहीं चाहता हूं। केवल संकेत के तौर पर कहना चाहता हूं कि इस तरह पक्षपात की भावना इस विभाग में नहीं होनी चाहिये। हम लोग इस बात को मानते हैं कि इस विभाग में दूसरे विभागों की तरह से भ्रष्टाचार और बुराइयां नहीं हैं। यह ईमानदार विभाग है और इसमें ईमानदारी से काम होता है लेकिन मैं चाहूंगा कि जहां पर जिसको सर्विस देने की बात हो वहां पर पक्षपात नहीं होना चाहिये। माननीय मंत्री महोदय स्वयं इस बात पर ध्यान देने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता--समय समाप्त हो गया।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय उग्रसेन के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसका कारण यह है कि माननीय उग्रसेन जी ने इस विभाग की नीति से किसी प्रकार से कोई मतभेद प्रकट नहीं किया है। केवल दिन प्रति दिन के कार्यों में उनको कुछ त्रुटियां नजर आईं। इस कारणवश उन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है क्योंकि वह विरोधी दल में बैठते हैं। अतः उनको कुछ न कुछ विरोध में कहना ही चाहिये। जब कुछ नहीं मिला तो छोटी-छोटी बातें दिन प्रतिदिन की कार्यगति और कार्यविधि के सिलसिले में कहकर कटौती के प्रस्ताव को रखा। ऐसे विभाग की आलोचना करना उचित नहीं है जो प्रत्यक्ष रूप से न केवल हमारी ओर से बल्कि इस प्रान्त की जनता की ओर से बधाई का पात्र है और जो विभाग विकास कार्यों के लिये इस प्रान्त की सरकार को जनता पर बिना कोई टैक्स लगाये हुये करीब दो करोड़ रुपया देता है। दो करोड़ रुपये की धनराशि जनता के लिये एक विभाग के द्वारा देना, जनता की तरफ से ऐसे विभाग को जितनी भी बधाई दी जाय थोड़ी है। उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने भी यह कहा है कि इस विभाग के अन्दर दूसरे विभागों की अपेक्षा भ्रष्टाचार कम है। माननीय उग्रसेन जी को विचार करना चाहिये था कि इस विभाग के लिये इस कटौती के प्रस्ताव की आवश्यकता है या नहीं। मैं तो यह समझता हूं कि उन्हीं के शब्दों से उनका कटौती का प्रस्ताव अनावश्यक है और उन्हें अपना कटौती का प्रस्ताव पेश नहीं करना चाहिये था। क्योंकि मूल रूप से नीति से उन्हें कोई मतभेद नहीं है। यह हो सकता है कि वह यह कहते कि इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से रोड्स का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये लेकिन वह नीति से सहमत हैं और पूर्णतः सहमत हैं।

अब इस सिलसिले में मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी का ध्यान २, ३ बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं। एक तो यह है कि प्राइवेट बसेज जहां पर चलती हैं वहां परमिट देते वक्त इस सहकारिता के युग में सहकारी समितियों को परमिट पूर्वतः मिलनी चाहिये जो कि नहीं मिल

रही हैं। यह कहा जा सकता है कि यह अधिकार सीधे सरकार को नहीं है बल्कि उसके लिये हर डिवीजन के स्तर पर कमेटी बनी हुई है लेकिन कमेटी जो है वह सरकार के अन्तर्गत कार्य करती है। यदि सरकार को आवश्यकता हो तो मैं इसके लिये सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सरकार इस प्रकार का अधिनियम या विधेयक लाये और ऐसी व्यवस्था करे कि रोड्स पर गाड़ियां या प्राइवेट कैरियर चलाने के लिये केवल कोआपरेटिव सोसाइटीज को ही अधिकार मिल सकें। व्यक्तियों को इसका अधिकार न दिया जाय और वह इसलिये कि आज जो खराबियां हमारे इन प्राइवेट आपरेटर्स के द्वारा समाज को भुगतनी पड़ती हैं, उनसे समाज बच सके और मेरा यकीन है कि ऐसा करने से समाज को कष्ट नहीं होगा और वे त्रुटियां खत्म हो जायंगी। इसके अतिरिक्त जो हमारा समाजवाद का सिद्धान्त है , वह भी पूरा होगा क्योंकि जो आय होगी वह बहुत से व्यक्तियों में बटेगी बजाय चन्द लोगों की जेबों में जाने के।

इसके अलावा जो गाड़ियों द्वारा दुर्घटनाएं होती हैं, वैसे तो इस विभाग में नहीं आतीं परन्तु दिनों-दिन बढ़ती जा रही हैं और इनको रोकने के लिये सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। इनको रोकने के लिये या तो हमारे इस यातायात विभाग के हाथ में सीधे सीधे अधिकार हो कि जो गाड़ियां नियम भंग करें उनका चालान करने की जिम्मेदारी और अधिकार इस विभाग को हो और इसी विभाग को मुकदमा चलाने का भी अधिकार हो या कोई और उचित प्रबन्ध किया जाय ताकि यह बढ़ते हुए एक्सीडेंट्स रुक सकें जो कि बहुत ही दुखदायी साबित हो रहे हैं।

दूसरी बात जो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं यह है कि दूसरे विभागों के मुकाबले में आपके विभाग में हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के लोगों की नियुक्ति का विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे यह अनुरोध किये बिना नहीं रह सकता कि इस पर आपको और उदारतापूर्वक विशेष ध्यान देना ही चाहिये।

इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री जी से मैं इतना और निवेदन करना आवश्यकीय समझता हूं, और जिसके लिये माननीय उग्रसेन जी ने भी ध्यान दिलाया, कि आप अपने विभाग के नीचे स्तर के कर्मचारियों के लिये आवास की व्यवस्था करें, वह एक साथ संभव नहीं है पर ज्यों-ज्यों आपके साधन आपको मौका दें, करते जायं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय उग्रसेन जी ने बहुत सी ऐसी बातें भी कहीं जिनका कोई आधार नहीं था। उदाहरण के तौर पर, उन्होंने कहा कि गाड़ियों के खरीदने में बहुत भ्रष्टाचार होता है। मैंने तुरन्त ही माननीय मंत्री जी से इसकी जानकारी की कि इसका क्या तरीका है। उन्होंने बतलाया कि हमारी केन्द्रीय सरकार द्वारा जो नियम निर्धारित हैं हम उन्हीं के अनुसार गाड़ियां खरीदते हैं और उसमें हमारे अधिकारियों या विभाग के अन्य कर्मचारियों को कोई मनमानी करने का मौका नहीं मिलता। इसलिये मैं उग्रसेन जी से यह कहना चाहता हूं कि उन्हें इसकी पूरी जानकारी करने के बाद ऐसी बात कहनी चाहिये थी।

इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ वेतनों में आपस में विरोधाभास या असमानता की बात कही। लेकिन वह यह भूल गये कि अभी उन्होंने ही कहा था कि १९४७ से इस विभाग ने एक बस से काम शुरू किया था और अभी यह पूरे तौर पर यह विभाग स्थायी नहीं हो पाया है। धीरे-धीरे प्रगति कर रहा है। अपनी बात कहते समय वह यह भूल जाते हैं कि यदि अधिक काम करने का अवसर कर्मचारियों को आता है तो उसका माइलेज उनको वेतन के साथ मिलता है और यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कर्मचारियों को ज्यादा परेशानी का मौका नहीं है। इसके अलावा, माननीय अधिष्ठाता महोदय, समय कम है, मैं एक ही वाक्य में आपके द्वारा इस विभाग को और इस विभाग के माननीय मंत्री जी को अपनी ओर से बधाई देता हूं क्योंकि जिस प्रकार से

[श्री महीलाल]

यह विभाग अपना कार्य कर रहा है वह जनता के लिये संतोषप्रद है। आशा की जाती है कि दूसरे विभाग भी इस विभाग का अनुकरण करेंगे और जनता के जो आक्षेप हमारे दूसरे विभागों पर होते हैं उनको रोकने का प्रयत्न करेंगे।

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि आज जो अनुदान हमारे सामने प्रस्तुत है उस अनुदान के संबंध में ठीक ढंग से विचार करने के लिये हमें इस विभाग का जो लक्ष्य सन् १९४७ में निर्धारित किया गया था उसको देखना होगा और यदि हम ऐसा समझते हैं कि जो लक्ष्य हमने सन् ४७ में निर्धारित किया था उस लक्ष्य में कोई दोष है तो हमें यह देखना होगा कि वह लक्ष्य कैसे पूरा हो सकेगा, इन बातों पर भी हमें चर्चा करना चाहिये। जहां तक मैं समझता हूं, और यह सर्वमान्य राय है कि, आज इस विभाग से आर्थिक क्षेत्र में काफी लाभ राज्यकोष को पहुंचा है। लेकिन जब हम दूसरी दृष्टि से इस विभाग पर विचार करते हैं, जनता की सुख-सुविधाओं की दृष्टि से इस पर विचार करते हैं, तो हम यह पाते हैं कि जहां इस विभाग से हमारे राज्य को बहुत बड़ी आमदनी हुई है, जहां इस विभाग ने प्रदेश की बहुत बड़ी बेकारी को दूर किया, वहां इस विभाग द्वारा जनता को जितना सुख मिलना चाहिये था, उन कर्मचारियों को जितनी सुविधायें मिलनी चाहिये थीं, उतनी नहीं मिलीं। इस सब का कारण मैं यह समझता हूं कि हमारा रोडवेज विभाग जो एक तरह से इस राज्य का कमाऊ पूत है, उसे अपना बजट बनाने का स्वयं कोई अधिकार नहीं है। यही कारण है कि हम देखते हैं कि मुनाफा तो बढ़ा है लेकिन जनता की सुख-सुविधायें नहीं बढ़ी हैं। मैं किसी की नीयत पर शक नहीं करता।

इस विभाग के लोग अपनी सीमाओं के भीतर अधिक से अधिक सेवा करने के लिये और सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन तब तक यह विभाग ठीक ढंग से जनता की सेवा नहीं कर सकता, जब तक इस विभाग की आमदनी पर उसका पूरा नियन्त्रण नहीं होगा। इसलिये, मान्यवर, मैं आपके द्वारा एक सुझाव देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी के सामने, कि वह सरकार के सामने इस बात की मांग करें कि यह विभाग सही मानी में सेवा करता है। रेलवे का आज स्वतंत्र बजट होता है। रेलवे के यात्रियों द्वारा जो आमदनी होती है, ऐसा नहीं है कि वह और विभागों पर खर्च कर दी जाती हो, लेकिन यहां उल्टा है। आमदनी तो होती है जनता के द्वारा मिलने वाले पैसे से, कर्मचारियों की सेवाओं से, जिनकी भूरि-भूरि प्रशंसा हम सभी करते हैं लेकिन उसका लाभ दूसरे लोग उठाते हैं। इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं कि अन्य विभागों की अपेक्षा इस विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को कम तनख्वाहें मिलती हैं, या उनकी तनख्वाहों में डिस्पैरिटी जगह जगह मिल सकेगी, लेकिन यह सब कुछ तभी दूर हो सकेगा जबकि इस विभाग का अपना कोई स्वतंत्र बजट हो।

मौजूदा ढांचे में मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जहां तक माननीय मंत्री जी ने जूनियर बुकिंग क्लर्क को कुछ सुविधा दी, मुझे ऐसी आशा थी कि कम से कम इस वर्ष मैट्रिक और नान-मैट्रिक जो कंडक्टर्स हैं इनके विभेद को भी समाप्त करने की वह कृपा करेंगे। मैंने ऐसी आशा की थी कि जहां तक मंत्री जी सरकार के सामने अपनी आमदनी के आंकड़े प्रस्तुत करेंगे वहां सदन में जब इस विभाग का बजट प्रस्तुत करेंगे तो हमको यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बढ़ोत्तरी से उन लोगों को कितना लाभ हुआ जो इन बसेज में यात्रा करते हैं। किराये में छूट या उनके विश्राम करने इत्यादि की जो सुविधायें हैं, उनके ऊपर भी कुछ प्रकाश डालें कि यात्रियों को उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या फायदा पहुंचाया।

मैं ऐसा समझता हूं कि आज कोई भी आदमी जो बसेज से यात्रा करता है वह ऐसा मानता कि पुराने ढंग की जो पद्धति थी उससे यह अच्छी पद्धति है, लेकिन एक बड़ा दोष है जिसकी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ओर मैं आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा । आज टिकट की पद्धति कुछ ऐसी गड़बड़ है कि जिसकी वजह से जितना समय किसी यात्रा को पूरा करने में वांछित होता है उससे अधिक समय आज लगता है । इसके ऊपर विभाग को विचार करना चाहिये कि जहां २ घंटे वक्त लगा करता था वहां जाने में ४ घंटे लगते हैं, ऐसा क्यों हुआ ?

विभागीय ईमानदारी लाने के लिये, भ्रष्टाचार रोकने के लिये अनेक ढंग विभाग द्वारा अपनाये गये। रास्ते में छपे हुये टिकट कंडक्टर्स नहीं दे सकते हैं। कंडक्टर को बराबर उस काग़ज़ को जिस पर नम्बर चढ़ता है गाड़ी के आगे रखना पड़ता है—इत्यादि असुविधायें हैं। मैं समझता हूं इसके ऊपर कोई विचार होना चाहिये कि आखिर कैसे यात्रियों का समय बचाया जाय ? क्योंकि हर एक यात्री यही चाहता है कि सुविधा के साथ और समय के भीतर अपनी यात्रा समाप्त कर दे, साथ ही जो इन गाड़ियों में कर्मचारी काम करते हों उनका सद्-व्यवहार उसको प्राप्त हो। निस्संदेह सद्व्यवहार उसको प्राप्त होता और सुख प्राप्त होता है, लेकिन समय के अन्दर हमारी गाड़ियां पहुंच पायें, अभी इसकी कमी है ।

ड्राइवरों के ड्यूटी काल की चर्चा मैं जरूर करना चाहता हूं, इसलिये नहीं, जैसा कि बहुत से भाई समझेंगे कि शायद कोई ट्रेड-यूनियनिज्म की स्पिरिट में ऐसी बात कहता हूं, बल्कि मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आज जो भी ऐक्सिडेंट्स होते हैं उनके पीछे जहां और कारण हैं वहां पर ड्राइवरों का जो काम करने का समय है उसका ज्यादा होना है। कहा जाता है कि स्टियरिंग ड्यूटी ८ घंटे की है, लेकिन वह ऐक्चुअल ड्यूटी कितनी करता है, अगर उसे देखा जाय तो मैं ऐसा मानता हूं कि उसको जो उपलब्ध सुविधाएं हैं या जो उसकी कार्य-क्षमता है उससे उसको अधिक काम करना पड़ता है ।

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि तनख्वाहों में जो इतनी बड़ी विषमता है जिसकी चर्चा कई माननीय सदस्यों ने की इसे इधर और उधर दोनों तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्य कबूल करेंगे कि इस विषमता को समाप्त किया जाय। इस विभाग को जहां एक तरफ इस बात का श्रेय प्राप्त है, लोग ऐसा मानते हैं, कि अन्य विभागों की अपेक्षा इस विभाग में अधिक ईमानदारी है, शिकायतों पर जितनी जल्दी इस विभाग में जांच होती है उतनी शायद ही किसी विभाग में होती हो, इसके साथ-साथ लोग इस बात को भी मानने लगें कि इस विभाग में जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ न्याय होता है और उनकी सुख-सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है।

श्री अधिष्ठाता—समय समाप्त।

***श्री श्यामलाल यादव** (जिला वाराणसी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस विभाग के कार्यकलाप से न केवल हम सदस्यों को ही सन्तोष और गर्व है बल्कि इस प्रदेश की लाखों की संख्या में जनता जो इसकी सेवाओं का उपयोग करती है वह भी नितान्त सुविधा और सुख का अनुभव करती है। यही कारण है कि आज अनेकों स्थानों पर रोडवेज और रेल सर्विस में आपस में कम्पटीशन चल रहा है और उसमें रेल पिछड़ रही है। हमारे जिले में लोग रेल से न चल कर जहां पर कि रोड सर्विस है, बसें चलती हैं, बसों से ही चलते हैं। मुगल सराय और बनारस के बीच में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद है। यही कारण है कि आज रोडवेज के अन्तर्गत ज्यादा सड़कें ली गई हैं, रोडवेज ने अधिक माइलेज कवर की हैं और अधिक बसें बढ़ी हैं। आज केवल यही नहीं है कि इस विभाग में अधिक बसें बढ़ी हैं, नयी सुन्दर बसें आई हैं, यात्रियों की संख्या बढ़ी है बल्कि इसके साथ-साथ इस विभाग ने जो लाभ दिया है उसका उपयोग जनता के विकास के कार्य-क्रम में किया गया है। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्यामलाल यादव]

कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि रेलवे विभाग की तरह से इस विभाग का भी अलग से बजट होना चाहिये। माननीय सदस्य इस बात को अनुभव करेंगे कि रेलवे सैकड़ों वर्षों की पुरानी संस्था है और एक लम्बे अर्से के बाद यह सम्भव हो सका कि उसका अपना अलग बजट बन सका लेकिन यह एक नयी सर्विस है, नया विभाग है। इस विभाग में अभी प्रयोग हो रहे हैं, यह अनुभव प्राप्त कर रहा है, इस विभाग को स्थिरता प्रदान करनी है जिससे भविष्य में इसकी तरक्की हो सके। आज जहां पर सरकारी रोडवेज चलती हैं वहां प्राइवेट आपरेटर्स भी कार्य करते हैं। रेलवेज के सम्बन्ध में जिस प्रकार से उस विभाग को एकाधिपत्य प्राप्त है उस प्रकार से इस विभाग को एकाधिपत्य प्राप्त नहीं है। इस सर्विस में आज प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में कम्पीटीशन चल रहा है। आज इसके सामने बहुत सी समस्यायें हैं। आज मान लीजिये एक विभाग ने एक पूरी रोड को नेशनलाइज नहीं किया, थोड़ा सा एरिया ही नेशनलाइज किया है तो सवाल उठता है कि क्या वहां पर प्राइवेट आपरेटर्स को काम करने का मौका मिलना चाहिये या नहीं। मैं समझता हूं कि जहां पूरी रोड न ली गई हो वहां पर देहाती इलाके और शहर को सम्बद्ध करने वाले जो प्राइवेट आपरेटर्स हों उनको अनुमति मिलनी चाहिये।

जहां तक इस विभाग के कर्मचारियों को तनख्वाह और दूसरी सुविधायें देने का प्रश्न है, उसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। जितनी भी सुविधायें दी जा सकती हों, अवश्य दी जायं। लेकिन जिस प्रकार का यह एक नया विभाग है, हम अनुभव करते हैं कि कर्मचारियों को पर्याप्त सुविधायें दी जा रही हैं। बोनस देने की भी बात कही गई। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो पुस्तक बटी है उसकी ओर ध्यान नहीं दिया है। उसके पृष्ठ ६ पर पुरस्कार देने की व्यवस्था है। पिछले अप्रैल-दिसम्बर में ३।।। करोड़ रुपया कर्मचारियों को पुरस्कार के रूप में बांटा गया था और यह बोनस का ही दूसरा रूप हो सकता है। यह विभाग अभी तक कारपोरेशन के अधीन नहीं है। इसका प्रत्येक कर्मचारी सरकारी कर्मचारी है और जो नियम अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं वही इस विभाग वालों पर भी होते हैं।

माननीय उग्रसेन जी ने कहा कि यह विभाग बिना नियमों के काम कर रहा है। सम्भवतः उन्होंने अतिशयोक्ति की और सही बात नहीं कही। रोडवेज को कई बार हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपनी व्यवस्था कायम रखने के लिये जाना पड़ा। मोटर वेहिकिल्स रूल्स बने हुये हैं और मोटर का चक्का बगैर नियमों के चल ही नहीं सकता है। यह सही है कि उनकी मैनुअल अलग नहीं है लेकिन सरकारी कर्मचारियों की नियमावली साधारणतः उनके लिये भी लागू होती है।

जो स्क्वाड प्राइवेट गाड़ियों को चेक नहीं करता था, उसे समाप्त करके आर० टी० ओज० को अधिकार देना भी प्रशंसनीय कार्य है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ा। मैं समझता हूं कि उन्हें पुरानी व्यवस्था से मोह है और नयी व्यवस्था से वह घबराते हैं। पुरानी व्यवस्था को इसीलिये समाप्त किया गया कि उसमें गड़बड़ी थी और एनफोर्समेंट अफ़सरों के अधीन, जो पब्लिक सर्विस कमीशन की राय से रखे गये हैं, यह काम आर० टी० ओज० को दिया गया और इस व्यवस्था में कोई भी भ्रष्टाचार हमें तो नहीं दिखाई दिया। इतना मैं जरूर कहूंगा कि आर० टी० ओज० को सर्विस का स्कोप कम है। वे अपने रीजन में ही परिवर्तित होते रहते हैं। अगर मैनेजर्स और इनकी सर्विस अमलगामेट कर दी जावें तो उनकी सेवाओं का अधिक लाभ उठाया जा सकता है।

हमें प्रसन्नता है कि हरिजन भाइयों के लिये १८ प्रतिशत संरक्षण को पूरा करने का हमारे मंत्री जी, सचिव महोदय, आयुक्त महोदय और यह विभाग प्रयत्न कर रहा है। चूंकि यह सर्विस नयी है इसलिये सम्भव है कि १८ प्रतिशत पूरा न हो पाया हो लेकिन हमें आशा है कि यह संरक्षण पूरा हो जायगा। साथ ही साथ, मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी पिछड़ी जातियों को भी उचित स्थान देने की कृपा करें।

हमारे जिले में, बनारस शहर में, सिटी बस सर्विस बड़े ही अच्छे ढंग से और सफलतापूर्वक चल रही है। बनारस से २० मील चन्दौली और मुगलसराय तक वह जनता की सेवा कर रही है। मेरा निवेदन है कि वहां माइलेज बेसिस पर किराया निर्धारित किया जाय। इससे जनता को बहुत सुख होगा और विभाग की कठिनाई भी हल हो जायगी।

बस स्टेशन भी अधिक बनाने की जरूरत है। मुगलसराय में स्थान न मिलने से बस स्टेशन नहीं बन सका है। लेकिन जहां इतनी अधिक बसें चलें वहां जरूर यह काम होना चाहिये।

श्री उग्रसेन जी ने यह भी एक चलती बात कह दी कि मैनेजर का पद समाप्त किया जाय। यह उन्होंने अपने सिद्धान्त के मुताबिक कहा। मेरी राय में मैनेजर का पद रहना चाहिये।

वाराणसी में प्राइवेट आपरेटर्स और रोडवेज की इतनी अधिक सार्विसेज हैं कि उसे एक अलहदा रीजन करार देना चाहिये जिससे काम में सुविधा हो। मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बात को विचारें और कहने की कृपा करें।

मैं यह भी कहे बिना नहीं रह सकता कि इस विभाग के कर्मचारियों में जनता की सेवा का जो भाव है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। अधिकारी न केवल शिकायत को दूर करते हैं बल्कि यह भी प्रयत्न करते हैं कि शिकायत-कर्ता सन्तुष्ट हो जायं।

इन शब्दों के साथ, मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—श्रीमन्, मैं उग्रसेन जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

हमारे प्रान्त में मंत्री जी ने रोडवेज का राष्ट्रीयकरण तो किया और इसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं मगर आज के युग में समाजवादी समाजवाद की ओर जाना है तो उसे राष्ट्रीयकरण नहीं कहा जा सकता, यह तो सरकारीकरण है। मुनाफा होते हुये विकेन्द्रीयकरण या समाजीकरण की ओर जाना नहीं कहा जा सकता। मुनाफ़ा तो बनिया कमाता है। यह सरकार बनिया है।

श्री अधिष्ठाता—यह आप बतावें कि रोडवेज का विकेन्द्रीकरण कैसे हो।

श्री जंगबहादुर वर्मा—बतलाऊंगा। जो ज्यादा मुनाफ़ा दिखाया गया है यह कन्डक्टरों, ड्राइवरों और दूसरे छोटे कर्मचारियों का कमाया हुआ है। मुसाफिरों को सुख-सुविधा देते हैं यही लोग, लेकिन इनकी तनख्वाहों की ओर सरकार तनिक भी ध्यान नहीं देती। तनख्वाहें बढ़ती हैं मैनेजरों की, जनरल मैनेजरों की और दूसरे ऊंचे अधिकारियों की। बड़े अफसर बढ़ाये जाते हैं। अगर कन्डक्टर और ड्राइवर इत्यादि मुसाफिरों को इतनी सुख-सुविधा नहीं देते तो इतनी आमदनी नहीं बढ़ सकती थी। सरकार को चाहिये कि इन छोटे कर्मचारियों का वेतन १०० रुपये से अधिक करे और किसी का हजार से अधिक न हो। लेकिन कन्डक्टर बेचारे को माइलेज का केवल ७ रु० मासिक मिलता है। उसके और ड्राइवर के लिये न मकान की व्यवस्था है, न दवादारू की अलग व्यवस्था है। हमने हैदरगढ़, देवा और फतेहपुर में देखा है कि कुत्ते की तरह से जाड़े के मौसम में गुर्गुटी मार कर ये लोग या तो मोटर के नीचे या किसी के छप्पर में रात बिताते हैं। तमाम तरह का गर्द, धूल वगैरह उनको लगता है और ड्राइवर का तो पेट्रोल की बदबू से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। उनकी जल्दी पेन्शन होनी चाहिये, उनके लिये दवादारू का प्रबन्ध अच्छा और अलग होना चाहिये, जैसे रेलवे में अलग अस्पताल हैं। उनके बच्चों के लिये स्कूल होने चाहियें, जैसे कि रेलवे में हैं। उनकी पत्नी वगैरह को भी फ्री आने-जाने की सुविधा होनी चाहिये।

[श्री जंगबहादुर वर्मा]

इस विभाग में २,९६३ ड्राइवर और २८५१ कन्डक्टर हैं। मैंने प्रश्न किया था कि कितनी संख्या हरिजनों की और कितनी पिछड़ी जाति वालों की है। परन्तु अलग-अलग ब्यौरा उन्होंने नहीं दिया। इसमें बहुत राज छिपाया गया है। १८ प्रतिशत का जो नियम सरकार का बना हुआ है, उसके अनुसार भी बस कंडक्टर्स और ड्राइवर्स नहीं रखे गये। माननीय मंत्री जी हरिजन हैं और हरिजन होते हुए भी वह उस रिपोर्ट को लागू नहीं कर पाये हैं लेकिन अन्य मंत्रियों को देखिये जो ऊंची-ऊंची जातियों के हैं, उनके विभागों में ऊंची जाति के ७५ और ९० प्रतिशत लोग भरे हुए हैं। मालूम ऐसा होता है कि इस विभाग में जो ऊंचे अधिकारी हैं वे ऊंची जाति के हैं और उनके हाथ में वह काम है इसलिये बैकवर्ड क्लास के लोग अधिक नहीं आ पाये हैं। वर्कशाप वगैरा में भी जहां पर पढ़े-लिखे लोग नहीं रखे जाते हैं वहां भी बैकवर्ड क्लास के लोग नहीं रख जाते हैं। अगर आप अपने प्रदेश में समाजवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं तो हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों को उठाना होगा।

कानपुर और बाराबंकी रोडवेज पर वापसी टिकिट दिये जाते हैं। कानपुर में बड़े-बड़े व्यापारी रहते हैं। उनको आठ आना छूट भी दी जाती है। लेकिन गांवों में यह सुविधा नहीं दी जाती है, जहां कि गरीब लोग रहते हैं। न तो वापसी टिकट ही दिये जाते हैं और न यह छूट ही दी जाती है।

जहां पर रेल और बस की होड़ है वहां पर किराया ६ पाई फी मील लिया जाता है और जहां होड़ नहीं है वहां पर साढ़े सात पाई लिया जाता है। क्या सरकार होड़बाजी करके बनियायी व्यवस्था करना चाहती है ? सब स्थानों के लिए एकसां नियम होना चाहिए। लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है।

जांच-पड़ताल के लिए जो इन्सपेक्टर मुकर्रर होते हैं उनकी हालत यह है --मन्त्री महोदय इसकी जांच करा लें, मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूं-- वे बड़े-बड़े अधिकारियों के नातेदार और रिश्तेदारों को इधर-उधर भेजा करते हैं और सरकारी आय का नुकसान करते हैं और अपना टी० ए० चार्ज करते हैं।

कानपुर का बस स्टेशन बहुत ही छोटा है। २०० बसें वहां से रोजाना छूटती हैं। न तो वहां बसों को खड़े होने का ठीक प्रबन्ध है और न सवारियों को ठहरने और ड्राइवरों आदि के रहने का स्थान है। इसका भी मुनासिब इन्तजाम होना जरूरी है।

कन्डक्टर्स जो कि १०५ रुपये पर पहुंच जाते हैं वे क्लर्क बना दिये जाते हैं और उनको वहां ९० रुपया दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाराबंकी से फैजाबाद, बाराबंकी से बहरामघाट और बाराबंकी से हैदरगढ़ जाने वाली सड़कें बहुत अच्छी हालत में हैं लेकिन बहुत दिनों से कहे जाने के बावजूद भी अभी इन पर कोई रोडवेज की बसेज नहीं चलायी गयी हैं। इन सड़कों पर रोडवेज के बड़े अधिकारियों के रिश्तेदारों की प्राइवेट बसेज चल रही हैं। मन्त्री जी इस पर गौर करें। किराया ९ पाई फी मील लिया जाता है। रेट भी एक मुकर्रर नहीं है। हैदरगढ़ से बाराबंकी के १ रु० ६ आना लिये जाते हैं जबकि कोटवा से १४ आना ले लिया जाता है।

गाड़ियों पर जो नम्बर होते हैं वे अंग्रेजी में डाले जाते हैं। टिकटों पर भी अंग्रेजी में नम्बर डालते हैं, जिससे यात्रियों को ढूंढ़ने में असुविधा होती है। वह बस ढूंढ नहीं पाता है और उसकी गाड़ी छूट जाती है। रेल की तरह से यहां पर भी प्रबन्ध होना चाहिए कि लाउड स्पीकर से एलान कराया जाय और टिकिट को रेल की तरह से लौटाने की व्यवस्था की जाय।

गाड़ियों पर जो नम्बर लिखे जाते हैं वे लोकभाषा में होने चाहियें। कई बार ऐसे मौके आये हैं कि ट्रकों द्वारा लोग कुचल डाले गये हैं और वह ट्रक लेकर भाग गया क्योंकि नम्बर अंग्रेजी में होने की वजह से उसे लोग नहीं पढ़ सके। अगर हिन्दी भाषा में नम्बर होंगे तो उसे सभी पढ़ सकेंगे। इस तरह से अक्सर कत्ल होते हैं, लोग शराब पीते हैं, इन सब बातों

को ध्यान में रखते हुये सरकार को इस नियम को लागू कर देना चाहिए जिस से कत्ल आदि न हों। ज्यादातर ऐक्सीडेंट प्राइवेट लारी और ट्रकों द्वारा किये गये हैं। अगर उनके नम्बर हिन्दी में होते तो गांवों की जनता द्वारा उनके पढ़ लिये जाने पर उनका चालान भी हो सकता है। इसलिए नम्बर अंग्रेजी में न होकर हिन्दी में ही होने चाहिए।

श्री अधिष्ठाता––समय समाप्त।

***श्री रणबहादुरसिंह** (जिला बस्ती)––माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे इस चलते हुये महत्वपूर्ण विवाद पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, परिवहन मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया उसको मैंने गौर से सुना और उस पर विचार किया और उसके बाद जो भी माननीय सदस्यों ने अब तक अपने विचार व्यक्त किये हैं उनको सुनने से मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जो यह अनुदान उपस्थित है, कुछ ऐसा है जिस से हर माननीय सदस्य ने जो कुछ भी कहा है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह उनका एक सुझाव है और इस विभाग द्वारा जो कार्य हो रहा है, वह हर तरह से तो नहीं लेकिन काफी तरह से सन्तोषजनक है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे भाई उग्रसेन जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उनका भी जो दृष्टिकोण रहा हो, लेकिन उन्होंने आज बहुत ही रचनात्मक बातें कहने की कोशिश की है। लेकिन जहां तक मैंने यह समझा कि उन्होंने कुछ ऐसा प्रयत्न करने की चेष्टा जरूर की कि दिल में तो कुछ और है और दिमाग को उन्होंने कुछ और तरीके से बनाने की कोशिश की।

जैसा कि मैं जानता हूं, माननीय उग्रसेन जी का सम्बन्ध इस विभाग से बहुत काफी है और मैं भी उसी जिले की ट्रांस्पोर्ट यूनियन में काम करता हूं जहां वे करते हैं। उन्हें जब भी मुझसे मिलने का अवसर मिला है तो उन्होंने यह भाव जरूर व्यक्त किये कि इस विभाग का काम, तथा इस विभाग के मन्त्री तथा मन्त्रालय का काम तुम्हारी सरकार के और विभागों से अच्छा जरूर है। इस तरह की बातें मेरी उनकी कभी-कभी हुआ करती थीं पहले। लेकिन मान्यवर, आप जानते हैं कि डाक्टर के पास एक आला होता है जिस से वह तापमान देखता है। उस आले में कोई गर्मी नहीं होती है। उसी तरह से माननीय उग्रसेन जी के बदन में गर्मी तो थी नहीं लेकिन...

श्री अधिष्ठाता––हमेशा उनके बदन में गर्मी रहती है।

श्री रणबहादुरसिंह––खैर, मैं और बातें न कह कर इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे भाई रामायण राय जी ने जो दृष्टिकोण हाउस के सामने रखा और जिन बातों की तरफ माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट किया वे भी व्यावहारिक हैं।

श्रीमन्, मैं यह जानता हूं कि यह परिवहन विभाग दो भागों में बंटा हुआ है। एक टेक्निकल साइड है और दूसरा रोडवेज है। तो जहां तक टेक्निकल साइड का सम्बन्ध है, उस में आज जो कुछ काम हो रहा है, मैं समझता हूं कि वह बहुत ही सन्तोषजनक है। वर्कशाप में कई ऐसी बातें हैं जिससे हमारा नुकसान भी हो जाता है, तो जो कुछ भी इस में सुधार करने की आवश्यकता है, उस को करना चाहिए। दूसरी तरफ, मान्यवर, जहां तक रोड्स का सम्बन्ध है, इस में कोई सन्देह नहीं कि जैसे आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत हैं उन को देखने से हमें आइने-सा ही मालूम होता कि सन् १९४७ में हमारे पास कितने मील सड़कें थीं और आज कितने मील हैं। तो इस परिवहन विभाग ने जैसी अपनी योग्यता, सुनियोजित व्यवस्था और ईमानदारी का परिचय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रणबहादुर सिंह]

दिया है, इसमें सन्देह नहीं कि वे कर्मचारी जो रोडवेज ड्यूटी में हैं—चाहे कन्डक्टर्स हों, चाहे बुकिंग क्लर्क्स हों, चाहे उच्च अधिकारी हों, वे सभी प्रशंसा के पात्र हैं। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि यह विभाग अपनी ईमानदारी के कारण जनता में काफी लोकप्रिय है।

मैं माननीय उग्रसेन जी की इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि विभाग में भ्रष्टाचार है, जहां उन्होंने कहा कि स्थायीकरण होना चाहिए स्टाफ का, या कोई मैनुअल होना चाहिए वह ठीक है। एक भाई ने यह भी कहा कि समय की बचत होनी चाहिए, शायद रामायण राय जी ने कहा, निस्सन्देह मन्त्री जी को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अब जो व्यवस्था है उस में घड़ी लगी रहती है, माइलेज का हिसाब रहता है, ड्राइवर उस के बाहर नहीं जा सकता। समय की बचत की बात ठीक है, जैसे किसी बस का डिपार्चर साढ़े ४ बजे है लेकिन कन्डक्टर चेक करने आता है तो उसे २०–२२ मिनट लग जाते हैं वह समय बचाना चाहिए। जब टिकट इश्यू हो उसी समय चेकिंग हो जानी चाहिए और इस तरह से गाड़ी लेट न होनी चाहिए। दूसरे चालान शीट लाकर में रखी जाती है। किसी भी प्रदेश में कहीं भी यह लाकर का प्रयोग नहीं किया गया है। इस से बहुत लाभ हुआ है, मैंने इस की पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश भी की है। इस से मालूम होता है कि मन्त्री जी का इरादा साफ है और वह विभाग से भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं। जो ९० प्रतिशत करप्शन था वह इस लाकर के प्रयोग से दूर हो गया। मेरा मकान ट्रांस्पोर्ट बुकिंग आफिस से थोड़ा दूर पड़ता है लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूं कि किसी भी दिन, मुझे यात्रा करने का काफी अवसर मिलता है लेकिन मैंने किसी भी कन्डक्टर को बिना टिकट यात्रा करते हुये नहीं पाया, इस का सब से बड़ा कारण यही लाकर है, अगर कोई बिना टिकट सवारी बिठा भी ले, तो चालान शीट लाकर से निकालने में और उस में नम्बर भरने में काफी समय लग जाता है, दो चार मिनट लग जाते हैं और टिकट नहीं बनाये जा सकते और डर रहता है कि चेकिंग न हो जाय। इसलिए यह लाकर सिस्टम बहुत अच्छा है।

वेतनक्रम की असमानता के विषय में माननीय उग्रसेन ने कहा, निस्सन्देह इस ओर मन्त्री जी को ध्यान देना चाहिए कि एक ही तरह का काम अगर कोई कर्मचारी करते हैं तो उन के वेतन में अन्तर नहीं होना चाहिए बल्कि उस में समानता होनी चाहिए। दूसरे ड्राइवर्स का माइलेज बहुत कम है और नाइट–हाल्ट का एक रुपया बहुत कम है। आप जानते हैं कि जब भी कोई सफर में जाता है तो परदेश में खाने पर दुगना व्यय हो जाता है इस वास्ते यह दस आने और १२ आने का नाइट–हाल्ट एलाउन्स बहुत कम है। दूसरी तरफ यात्रियों की सुविधा के बारे में भी ध्यान दिया जाय जैसे टिकट अगर इश्यू हो जायं और किसी कारणवश बस में यात्री न बैठ पायें तो उन के टिकट की वापसी की सुविधा रेल के अनुसार होनी चाहिए, टिकट बेकार नहीं होना चाहिए। वह टिकट रेलवे की तरह १ आना या २ आना कम करके वापस हो जाना चाहिए या दूसरी गाड़ी से यात्री को जाने की सुविधा होनी चाहिए।

ट्रकों के जो आंकड़े दिये गये हैं उन से मालूम होता है कि १९४७ में जितनी ट्रकें थीं उन की संख्या आज काफी कम हो गयी है और दूसरी तरफ प्राइवेट ओनर्स इस बिजिनेस पर हावी होते चले जा रहे हैं, यहां तक कि रेलवे विभाग को भी काफी परेशान करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ट्रकों की संख्या बढ़नी चाहिए और उनका माइलेज भी बढ़ना चाहिए। फैजाबाद की सड़क का भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यह बात सही है कि जिस प्रकार से इस विभाग में घूसखोरी को रोका गया है उस प्रकार से अगर अन्य विभागों में भी भ्रष्टाचार कम हुआ होता तो शायद प्रदेश की व्यवस्था दूसरी ही होती। लेकिन इस विभाग के अलावा कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसने भ्रष्टाचार पर काबू पाया हो। इसके साथ-साथ मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि यह विभाग अपने प्रदेश का नया विभाग है और इस में कम से कम समाजवादी व्यवस्था झलकनी चाहिए। अफसोस है कि उस दिशा में कोई पुरजोर कदम नहीं उठाया गया। समाजवादी व्यवस्था में

आमदनी का अन्तर १ और १० से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। लेकिन नीचे के कर्मचारी और विभाग के बड़े से बड़े कर्मचारी के वेतन में बहुत बड़ा फर्क पाया जाता है। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि यह विभाग भी समाजवादी व्यवस्था की ओर जा रहा है। मैं चाहूंगा कि एक विभाग में तो कम से कम सरकार की ओर से ऐसा होना चाहिए जिस से झलके कि एक छोटा कर्मचारी भी अपने बच्चों को सारी सुख-सुविधा पहुंचाने में समर्थ है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं चाहूंगा कि १०० रुपये से कम किसी की तनख्वाह नहीं होनी चाहिए।

कन्डक्टर्स की बात माननीय उग्रसेन जी ने कही बहुत तफसील में, लेकिन एक बात मुझे बहुत खटकती है और वह यह है कि कुछ ऐडीशनल कन्डक्टर्स रखे जाते हैं और उन की हालत यह है कि सालों साल काम मिलता है, लेकिन हर साल एक दिन के लिए उनको नौकरी से अलग कर दिया जाता है। यह प्रथा खराब है। जिस आदमी को लगातार काम मिलता है उस को स्थायी करना चाहिये और एक दिन के लिये भी साल में उस को अलग नहीं करना चाहिये।

रेलवे का जो कर्मचारी है अगर वह अपने घर जाता है छुट्टी में तो उसको पास मिलता है, अपने बच्चों को भी साथ ले जा सकता है। लेकिन इस विभाग के कर्मचारियों को पास नहीं मिलता। उच्च प्रधिकारी की इच्छा पर है कि वह चाहे तो पास दे दे लेकिन सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं है कि अगर कोई कर्मचारी छुट्टी पर जाय तो उसको पास दिया जाय। इस की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये।

सबसे बड़ी बात किसी विभाग या संस्था में यह होनी चाहिये कि जो कार्यकर्ता हैं वे उस चीज को अपनी चीज समझें, उसकी आमदनी को अपनी आमदनी समझें। उस काम को जब कार्यकर्ता अपना काम समझता है तो उसको उससे मुहब्बत होती है। जब २ करोड़ की आमदनी हो और कंडक्टर को पास न मिले घर जाने के लिए, यह ताज्जुब की बात है। १५० मील से ऊपर की यात्रा करके कंडक्टर एवं ड्राइवर लखनऊ से आजमगढ़ जाता है तो आप सोच सकते हैं कि कंडक्टर तथा ड्राइवर की क्या हालत होगी? क्या उसके बैठने या सोने के लिये जगह मिलती है? नहीं मिलती है। लगातार साढ़े ९ घंटे तक गाड़ी को एक नजर से ड्राइव करते जाइये तो ड्राइवर के हाथ से गाड़ी इधर से उधर हो सकती है। ड्राइवर से इतना ज्यादा काम लिया जाता है कि बसें आपस में टकराती हैं और फिर काफी नुकसान होता है। इसलिये सरकार को ध्यान देना चाहिये कि काम के घंटे कम किये जायं। आप देखें कि ५, ६ घंटे हम बैठते हैं। सचिवालय के बड़े-बड़े कर्मचारी ५, ६ घंटे बैठते हैं और अध्यापक भी ५, ६ घंटे काम करते हैं, लेकिन बस का ड्राइवर ९,१० घंटे बस चलाये। यह बहुत ही अनुचित है जब कि हम यह मुकाबला करते हैं कि जो पैसा हम उसे देते हैं वह काम के घंटों के मुकाबले में बहुत ही कम है।

एक बात रोडवेज में भी हम देख रहे हैं कि रेलवे की तरह उनमें भी यात्रियों की तादाद बढ़ती जा रही है। जो बस ४० की है उसमें ५० तक बैठते हैं। बहुत से स्थानों पर देखा गया है कि लंबा सफर होता है लेकिन बस बीच में खराब हो जाती है। कभी टायर खराब हो गया, कभी पंचर हो गया और उसका कारण है ज्यादा भार ढोना। इसलिये यात्रियों की संख्या जो निश्चित है उससे अधिक यात्री नहीं ढोये जाने चाहिये। अगर आवश्यकता ज्यादा है तो ज्यादा गाड़ियां बढ़ायी जायें और जैसे रेलवे के थर्ड क्लास होते हैं वैसी ही रोडवेज की बसों की हालत नहीं होनी चाहिये। प्राइवेट लारी और सरकारी बसों में यही अन्तर है जिसकी वजह से जनता इस विभाग का समर्थन करती है और तारीफ करती है। वह अन्तर हरगिज नहीं मिटना चाहिये।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

जब इस विभाग से करोड़ों रुपये की आमदनी सरकार को है और सदन के बहुत से लोग इसकी तारीफ करने में अघाते नहीं तो जो माननीय सदस्य चाहते हैं कि उनके यहां बस चलायी जाय, तो उसमें सरकार को हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। फिर जो प्राइवेट बसें हैं वह भी ज्यादा मुनाफा लेकर अपनी जेब भरती हैं तो सरकर को कोताही नहीं करनी चाहिये और जनता की मांग की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये और आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिये।

मैं समझता हूं कि पर्मिट देने में भी गड़बड़ी होती है इसकी जानकारी बहुत से माननीय सदस्यों को है। मुझे भी इसकी थोड़ी सी जानकारी है। हमारे यहां आजमगढ़-घोसी से बलिया, जाने के लिये पर्मिट के लिए प्रार्थना पत्र दिए गए हैं। दो साल, तीन साल हुये गजट किया गया। अब बहुत से उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दी हैं। उनमें एक हरिजन कार्यकर्ता भी हैं। दो साल, तीन साल हो गए, कई बार कमेटी बैठी लेकिन उनकी दरख्वास्त पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उस मार्ग पर दरख्वास्त देने वाले बहुत बड़े बड़े आदमी हैं जिनके पास १०, १० बसें हैं जो पहल से चलती हैं। उन हरिजन महाशय की दरख्वास्त पड़ी हुई है और उसकी कोई पूछताछ नहीं हुई। अगर यह सही है तो मैं समझता हूं कि ऐसी शिकायतों को दूर करना चाहिये और ऐसी भावना पैदा करनी चाहिए कि गरीब आदमी के दिल में यह भावना न पैदा हो कि परिवहन विभाग में भी वही दशा है जो पुलिस या और विभागों में है। मैं अदब से कहूंगा कि राष्ट्रीयकरण की नीति सर्वमान्य होनी चाहिये और सभी मार्गों पर राजकीय बसें चलनी चाहिये ताकि उसका लाभ व्यक्तिगत लोगों को न होकर जनता के खजाने में आये।

श्री मुरलीधर (जिला आजमगढ़)--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान पर मत प्रकट करने के लिये आपने मुझे मौका दिया। जैसा कि मंत्री जी ने बताया आज इस विभाग में करीब २,८०० गाड़ियां चल रही हैं और उनकी अच्छी व्यवस्था के कारण ही करीब २ करोड़ रुपये की आमदनी इस विभाग में होती है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि २४ नये रास्ते लिये गये हैं लेकिन यह दुख का विषय है कि फैजाबाद, लखनऊ की इतनी अच्छी सड़क होते हुये भी नहीं ली गई। शायद इसका एक ही कारण है, जैसा कि हाउस में कई बार कहा जा चुका है। कि किसी विशेष अधिकारी का इसमें हाथ है। अतः मैं निवेदन करूंगा कि लखनऊ से फैजाबाद होते हुये आजमगढ़ तक एक बस चलायी जाय।

इसके अलावा मेरा यह कहना है कि आमतौर से बस कंडक्टर को एक यह बड़ी परेशानी होती है कि अगर कोई ढाई टिकट लेकर चलता है, अपना, अपनी स्त्री का और एक बच्चे का तो रेल की तरह आधे टिकट को बैठने के लिये पूरा नहीं समझा जाता बल्कि उसको आधी ही सीट देने की कोशिश की जाती है और आधी सीट किसी दूसरे को दी जाती है। इसके कारण लड़ाई-झगड़े की नौबत आ जाती है जिससे कंडक्टर भी परेशान होता है और इस विभाग के अच्छे इंतजाम की बदनामी भी होती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि कम से कम बैठने के लिये आधा टिकट पूरा ट्रीट किया जाय।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि वैसे तो व्यवस्था है ही कि बस पर प्लेट भी लगी होती है जिससे मालूम हो जाता है कि कौन गाड़ी कहां जा रही है, लेकिन आमतौर से होता यह है कि ग्रामीण भाई भागते हुये आते हैं और किसी गलत गाड़ी में बैठ जाते हैं और बैठने के बाद उनको यह नहीं पता चल पाता कि वह गाड़ी कहां जायगी क्योंकि प्लेट तो बाहर लगी रहती है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि बस के अन्दर भी ड्राइवर की सीट के पीछे लिखा होना चाहिये कि वह गाड़ी कहाँ जायगी, उसका क्या नम्बर है। इसके अलावा अगर गाड़ी छूटने के घंटे आध घंटे के अन्दर कोई आदमी अपना टिकट वापस करता है तो जैसा रेल में है, एक, दो आना काट कर उसका टिकट वापस कर लेना चाहिये। अगर यह सुविधा हो जाय तो आपके विभाग में चार चांद लग जायंगे और यात्रियों को भी बड़ी सुविधा होगी।

इसके अलावा मुझे अपने क्षेत्र आजमगढ़ के बारे में कुछ निवेदन करना है। आजमगढ़ बस स्टेशन एक आमदनी का बस स्टेशन है लेकिन वहां यह पता नहीं चल पाता कि

किस समय कोई गाड़ी जायगी, क्योंकि वहां घड़ी नहीं है। इसलिये वहां एक घड़ी की व्यवस्था होनी चाहिये। इसके अलावा सरांयमीर और फूलपुर टाउन्स में भी एक बुकिंग बस स्टेशन खोला जाय ताकि वहां यात्री शेड में खड़े हो सकें। इससे पैसेन्जर्स को काफी सुविधा मिलेगी। अंत में मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और वह स्वयं उस परिवार के हैं जिनके लिये मैं मांग पेश करने जा रहा हूं। अधिष्ठाता महोदय, वह है १८ प्रतिशत अछूतों के लिये रिजर्वेशन है . . . .

श्री अधिष्ठाता—एक माननीय सदस्य ने उनकी निष्पक्षता पर सर्टिफिकेट दिया है। आप चाहते हैं कि वह पक्षपात करें।

श्री मुरलीधर—अभी तक विभाग द्वारा १८ प्रतिशत की पूर्ति नहीं की जा सकी है। मैं निवेदन करूंगा कि इसकी पूर्ति की जाय और यदि हरिजन नहीं मिलते हों तो बैकवर्ड क्लास के लोगों के द्वारा इसकी पूर्ति की जाय, क्योंकि यह वर्ग भी पिछड़ा हुआ है और आज हमारे समाज में चारों तरफ से इसकी मांग है। बैकवर्ड कमीशन की भी रिपोर्ट है तो इस प्रतिनिधित्व का पूरा-पूरा खयाल रखा जाय। इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने लाकर लगाकर अपने विभाग के भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है। अगर कंडक्टर और ड्राइवर बेईमानी करना चाहें तो भी नहीं कर सकते हैं। हां, आजमगढ़ में बुकिंग क्लर्क है जो ज्यादा पैसे ले लेता है और उसके लिए ए० जी० एम० कुछ नहीं करते हैं। इसका भी उचित प्रबंध होना चाहिए। मुसाफिरों के लिये पेशाबघर तथा पानी की व्यवस्था में जो गड़बड़ी है उसको ठीक किया जाय। इससे इस विभाग की और भी आमदनी बढ़ जायगी। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

साथ ही इस विभाग की जो दो करोड़ रुपये की आमदनी हुई है उससे इस विभाग के कर्मचारियों की तनख्वाहों में इजाफा किया जाय, उनको बोनस दिया जाय और उनके लिये आवास गृह बनाये जायं। आज जो फैक्टरी कानपुर में है उसको फैक्टरी ऐक्ट के अन्दर लाया जाय और उनके लोगों को हर तरह की सुविधायें दी जायं। साथ ही जो स्थानीय कारखाने हैं उनके कर्मचारियों के लिये जो मेडिकल एड की कमी है उसके लिये समुचित व्यवस्था की जाय। मुझे आशा है कि मंत्री जी अच्छी बातें चलाकर इस विभाग का और अच्छा इंतजाम करेंगे और अच्छी दवा देकर अपने विभाग के लोगों को स्वस्थ और मजबूत बनायंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, निस्संदेह मैं इस बात को कह सकता हूं कि इस विभाग ने जितनी सेवा इस प्रदेश की जनता की की है उसकी सराहना मैं शब्दों में नहीं कर सकता हूं और प्रदेश की जनता उसको कभी भूल नहीं सकती है। हम आशा करते हैं कि इस विभाग से जनता की आगे और भी सेवा होगी। मान्यवर, मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि इस विभाग के कर्मचारियों ने और मंत्री जी ने जिस लगन और परिश्रम से काम किया है उसके लिये मैं भी उनको बधाई देता हूं।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ मैं दो तीन बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। सबसे पहली बात, जैसा कि माननीय रामायण राय जी ने कहा, यह कहना चाहता हूं कि इस विभाग का स्वतंत्र बजट होना चाहिये क्योंकि इस विभाग से करोड़ों रुपये की आमदनी होती है लेकिन यह विभाग स्वतंत्र नहीं है। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि इस विभाग ने करोड़ों रुपये सार्वजनिक निर्माण विभाग को सड़कें बनाने के लिये दिया। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। इस विभाग

[श्री ऊदल]

का अलग अस्तित्व होना चाहिये। उसको यह पूरा-पूरा अधिकार होना चाहिये कि यह अपनी आमदनी खर्च कर सके।

मैंने एक बात ड्राइवरों के संबंध में कई बार माननीय मंत्री जी से कही और एक प्रश्न भी किया जिसके जवाब में माननीय मंत्री जी ने बताया कि नये ड्राइवरों को माइलेज ज्यादा मिलता है। उनको माइलेज जो मिलता है बारह-चौदह आने १०० मील पर मिलता है। यह जो नये और पुराने ड्राइवरों के लिये दो ग्रेड बने हुये हैं यह एक विषमता है। अगर आप चाहते हैं कि विषमता खत्म हो तो पुराने ड्राइवरों के स्केल को रखिये और माइलेज खत्म कीजिये। इससे वह ज्यादा दक्षता से काम करेंगे।

दूसरे, बुकिंग क्लर्क को अधिक सुविधा मिलनी चाहिये। ढाई पये के स्थान पर जो सालाना पांच पये बढ़ाया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं।

मैं एक बात यह करना चाहता हूं कि ए० टी० आई० जो हैं, जिनके कारण कंडक्टर किसी आदमी को फर्जी बैठा कर नहीं ले जा सकता है, जो उनको पकड़ते हैं, उनकी तनख्वाह बहुत कम है। इसलिये ए० टी० आई० की तनख्वाह बढ़ाने की आवश्यकता है। विभाग और मंत्री महोदय इसके ऊपर सोचें।

इसके अतिरिक्त ट्रकों की संख्या विभाग में कम होती जा रही है और प्राइवेट पार्टियों के ठेलों की संख्या बहुत बढ़ रही है जिससे इस विभाग को जो इनकम हो सकती थी वह नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं कि यह विभाग माल के यातायात की प्रणाली की तरफ ज्यादा ध्यान दे और उसमें बढ़ोतरी करे। प्राइवेट ठेलों की वजह से दुर्घटनायें भी बहुत होती हैं। दुर्घटनाओं के संबंध में मैंने एक पत्र भी माननीय मंत्री जी को दिया था, पांच-छः महीना पहले मैंने सवाल भी किया था। भारत सरकार ने मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में २ फरवरी, १९५६ को एक संशोधन किया और उन्होंने सभी राज्यों को लिखा कि अपने अपने यहां रूल्स बना लीजिये, और मोटर वालों को हिदायत कीजिये कि वह अपनी मोटर गाड़ियों का बीमा करवा लें, ताकि अगर दुर्घटना होती है तो उससे मुआवजा दिलाया जा सके। एक क्लेम्स ट्रिब्यूनल के लिये भी उन्होंने लिखा था, जो दुर्घटना के फलस्वरूप क्लेम्स की जांच करे। लेकिन इस पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया। मैं इसको बहुत जोरदार शब्दों में मांग करता हूं क्योंकि जो मुझे जवाब दिया गया था वह संतोषजनक नहीं है। इसलिये रूल्स बना कर क्लेम्स ट्रिब्यूनल की स्थापना की जावे।

एक बात और कहना चाहता हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने यह राय जाहिर की कि बहुत से स्थानों पर मुसाफिरों के रहने के लिये तथा टट्टी और पेशाब के लिये....

श्री अधिष्ठाता—जो बात और माननीय सदस्यों ने कही है उसको नहीं दोहराना चाहिये।

श्री ऊदल—यही तो असली बात है। इसी तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसकी तरफ ध्यान दें।

एक बात की तरफ और माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि आज बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो कि डामर की नहीं बनी हुई हैं। उन पर बसें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं जैसे जौनपुर से औराई तक जो सड़क है वह आज भी डामर की नहीं है। मैं उस पर चल कर देख चुका हूं। नतीजा उसका यह होगा कि बसें जो ऐसी सड़कों पर चलती हैं, वह बहुत जल्दी खराब हो जायंगी। तो इसके लिये भी डिपार्टमेंट को देखना चाहिये और सड़कें जहां ज्यादा खराब हैं उसके लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिखना चाहिये कि वह उसे ठीक करें।

एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में जैसे कि रोडवेज की जो सर्विस है बनारस से मुगलसराय तक उसमें इतनी भीड़ होती है कि जिसका कुछ ठिकाना नहीं। वह उसी तरह से भीड़ होती है जैसे कि कानपुर से लखनऊ तक होती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि लखनऊ से कानपुर तक किराया रेलवे से १ रुपया १० आना है और रोडवेज से १ रुपया ८ आना है। तो मैं चाहता हूं कि अगर इस विभाग को ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बनाना चाहते हैं तो जैसा कि और माननीय सदस्यों ने भी कहा, ६ पाई फी मील के हिसाब से किराये को रखने के लिये माननीय मंत्री जी सोचें। आज देखते हैं कि लोग बनारस से मुगलसराय और मुगलसराय से बनारस रेल से नहीं जाते, सभी लोग रोडवेज से ही जाना पसन्द करते हैं वह इसीलिये कि उसका किराया कम पड़ता है। इसलिये जनता को जरूर किराये में कुछ छूट मिलनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी स्वयं और विभाग इस पर विचार करें और किराया उसी हिसाब से छः पाई फी मील से रखें ताकि जनता को अधिक से अधिक फायदा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आखिर में फिर विभाग को और माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विभाग से करप्शन को खत्म कर दिया।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज के अनुदान पर जो आपने मुझे आज्ञा दी है बोलने की उसके लिये मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। जो माननीय परिवहन मंत्री ने अनुदान प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। भाई उग्रसेन जी ने अनुदान पर जो एक रुपये की बात कही वह एक हंसी की बात रही। जब उन्हें इस विभाग से काफी लगाव है और उन्होंने देखा कि इस विभाग में न भ्रष्टाचार है, न बेईमानी है और न कोई इस किस्म की बात है, तब उन्होंने एक दूसरा पैंतरा बदला और वह पैंतरा बदला इसलिये कि कर्मचारियों को खुश करें और उस कर्मचारी को खुश करें जिसके कि वह आज कर्त्ता धर्त्ता हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह विभाग जब से चालू हुआ तब से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता जा रहा है। एक बात मुझे और कहनी है और वह यह कि जहां उग्रसेन जी इस विभाग के कर्मचारियों की बात करते हैं वहां अपने हरवाहे की बात भी कभी कहीं उन्होंने की, और समाजवाद की बात करते हैं। आप वह समाजवाद लाना चाहते हैं जो समाजवाद जर्मनी में हिटलर लाया था.....

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न मेरा सुन लिया जाय। आप इस बात पर व्यवस्था दें कि माननीय सदस्य जो विषय पर बोलते बोलते दूसरे हमारे किसी वक्तव्य की बात कर रहे हैं कि यह नहीं कहा, इस तरह जो हमला वह कर रहे हैं यह क्या उचित है?

श्री अधिष्ठाता—हमला क्या कर रहे हैं वह तो कह रहे हैं कि माननीय सदस्य समाजवादी हैं, कृपया इस पर भी ध्यान दें।

श्री उग्रसेन—क्या यह उचित है?

श्री अधिष्ठाता—जी हां। उचित है।

श्री गंगाप्रसाद—माननीय अधिष्ठाता महोदय, भाई उग्रसेन जी चौंकते क्यों हैं। समाजवाद की व्याख्या आपने शुरू की और ड्राइवरों और कंडक्टरों को लेकर नये समाजवाद की व्याख्या की लेकिन मैं हिन्दुस्तानी और गांधी जी के दर्शन के अनुसार समाजवाद की व्याख्या कर रहा हूं न कि जर्मनी के हिटलर के समाजवाद की व्याख्या।

श्री अधिष्ठाता—माननीय गंगाप्रसाद जी, नाराज न हों।

श्री गंगाप्रसाद—नाराज मैं नहीं हूं। मैं तो कहना चाहता हूं कि समाजवाद अगर लाना है और देश के अन्दर एक समानता का रूप लाना है तो पहले उन बेचारों को देखेंगे जो कलेक्टरी के ड्राइवर हैं, जो कलेक्टरी के चपरासी हैं, जो नहर विभाग के ड्राइवर और चपरासी हैं, जो प्लानिंग के ड्राइवर हैं, वह भी तो २४ घंटे काम करते हैं। आज जब वह इस बात को उठाते हैं कि रोडवेज विभाग ने २ करोड़ रुपया पैदा किया तो उनकी भी तरफ उन्हें देखना चाहिये और इनको तो जो ६० पया और ४५ रुपया पाते हैं माईलेज भी मिलता है, लेकिन उन बेचारों को क्या मिलता है ?

मुझे एक बात और कहना है। अभी हमारे भाई अमरनाथ जी ने एक बात उठाई कि ड्राइवरों के लिये आवास होने चाहिये। यह विभाग धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। उनके लिये आवास का प्रबन्ध होगा। प्राविडेंट फंड और पेंशन का भी उनके लिये प्रबन्ध होगा और इस तरह की सारी सुविधा उनको मिलेगी लेकिन ये सब समय से ही उनको मिलेगी। इस बात का उनको इतमीनान रखना चाहिये।

उग्रसेन जी मैनुअल की शिकायत करते हैं और इसके लिये मंत्री जी की आलोचना करते हैं, लेकिन उनको मालूम होना चाहिये कि मैनुअल बन रहा है। वह इस बात को जानते हैं, लेकिन वह धीरे-धीरे बन रहा है, ज्यों-ज्यों देश के अन्दर विकास होगा त्यों त्यों उसी तरह की बातें होती जायंगी। मैनुअल बनेगा और बिना मैनुअल के कोई कार्य नहीं हो रहा है, अब भी उसी के आधार पर कार्य हो रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग के अन्दर कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। इस विभाग के जो बस स्टेशन हैं उन पर आज सफाई नहीं है और इसके साथ-साथ औरतों के लिये खासकर कोई जगह बैठने के लिये नहीं होती है। गोंडा से लकड़मन्डी वाले रास्ते पर खासतौर से यह परेशानी रहती है। जब वहां पर मेला लगता है तो इतनी धक्का मुक्की होती है कि लोगों को बहुत कष्ट होता है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे मेले के अवसर पर पुलिस का या आपके विभाग का गार्ड का प्रबन्ध होना चाहिये या कोई स्वयंसेवक वहां पर रहें जिससे वहां पर टिकटों का काफी सुचारु रूप से प्रबन्ध हो सके। देवी पाटन का मेला प्रदेश का बहुत प्रसिद्ध होता है। वहां के लिये बलरामपुर से बस चलती है। अगर बलरामपुर से देवीपाटन तक बस चलाई जाय तो सरकार को काफी आमदनी हो सकती है और जनता के आने जाने में बहुत सुविधा हो सकती है। जिस तरह से अभी कुछ माननीय सदस्यों ने लखनऊ से आजमगढ़ बस सर्विस की मांग की है उसी तरह से मैं भी माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि लखनऊ से गोरखपुर तक बस चलाई जाय। वहां पर बरसात को छोड़कर बस चल सकती है। करीब आठ महीने वहां पर बस चल सकती है, क्योंकि बरसात के दिनों में घाघरा पर पुल न होने की वजह से उस पार जाना कठिन है।

उग्रसेन जी एक तरफ कहते हैं कि जनरल मैनेजर का पद समाप्त कर दिया जाय, क्योंकि इसमें ज्यादा खर्च होता है। उनका खर्च करीब एक लाख उन्होंने बताया, लेकिन दूसरी तरफ वह कहते हैं कि एक अलग से कुमायूं डिवीजन की स्थापना कर दी जाय। तो क्या एक अलग डिवीजन के स्थापित करने से खर्चा नहीं बढ़ेगा ? एक तरफ तो आप उस पद को समाप्त करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ डिवीजन को खोलने की बात करते हैं तो यह एक विरोधाभास की बातें हैं। मैं समझता हूं यह ठीक है कि जिस तरह से काम चल रहा है उस तरह से चलने दिया जाय।

एक बात यह भी कहना है कि मेले के अवसर पर टिकट ले लिये जाते हैं और बस स्टेशन पर इतनी धक्का मुक्की होती है कि लोगों को बस नहीं मिल पाती है। ऐसे अवसर पर दूसरी बस का प्रबन्ध किया जाना उचित है और नहीं तो फिर रेलवे की तरह से एक या दो आना काटकर उनके टिकट के वापस होने का इन्तजाम होना चाहिए। अभी होली के अवसर पर १३ तारीख को गोंडा में करीब २०० आदमी कलेक्टरी के, प्लानिंग के और दूसरे विभागों के अपने अपने घरों को

जाने के लिये इकट्ठा हुये । उतरौला के लिये ७।। बजे बस छूटती है लेकिन उनको बस नहीं मिली और वह बराबर खड़े रहे । ५० आदमियों ने लिखकर दिया कि उनके लिये स्पेशल बस का इंतजाम किया जाय लेकिन जो वहां पर इंचार्ज थे वह तब तक नहीं आये थे । एक दूसरे साहब की ड्यूटी थी वह भी नहीं आये थे । उनकी वहां पर बड़ी कहासुनी हो गई और तमाम झगड़े के बाद १०।। बजे उनको बस दी गई और तब वह घर जा सके । इसलिये छुट्टी के अवसर पर जब आप उनको डबल तनख्वाह देते हैं तो यह हिदायत उनको जरूर होनी चाहिये कि जो इंचार्ज हों वे वहां आयें और देखें । इसके साथ ही साथ मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जनरल मैनेजर की ड्यूटी यह भी हो कि वह यदाकदा हर स्टेशनों पर जाकर जांच करे और शिकायती पत्र जो आते हैं उनको देखे और उन पर तुरन्त कार्यवाही करे ।

*श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे वक्त दिया ।

श्री अधिष्ठाता—आप को तो हमेशा वक्त मिलता है ।

श्री शिवप्रसाद नागर—शुक्रिया । सब से पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस रोडवेज की जितनी प्रशंसा इधर से और उधर से की गयी है उसमें थोड़ा हिस्सा मैं भी बंटाना चाहता हूं । जो बातें और लोगों ने कह दी हैं, आप की आज्ञा है कि वे न कही जायं, इसलिये मैं दूसरी बातें ही कहूंगा ।

सब से बड़ी प्रशंसा मैं यह करुंगा कि इस सरकार के किसी भी मंत्री के किसी भी विभाग में अगर कुनबा-परवरी नहीं बरती गयी है तो सिर्फ यह विभाग है । दूसरी बात यह कि, रोडवेज में जो सारे प्रदेश की यह धारणा बन गयी है कि भ्रष्टाचार नहीं है तो उसका कारण यह है कि जो एक कम्प्लेंट बुक रख दी गयी है उसका उपयोग होता है । उस पर इंक्वायरी होती है और ऐक्शन लिया जाता है और केवल यही कारण है कि यहां भ्रष्टाचार की गुंजायश नहीं है । अगर इसका अनुसरण दूसरे मुहकमे करें, दूसरे मंत्री लोग करें तो शायद यह भ्रष्टाचार दूसरे मुहकमों में भी खत्म हो जायगा ।

इसके अतिरिक्त मैं कुछ लोगों की प्रशंसा किये बगैर नहीं रह सकता हालांकि बात व्यक्तिगत है । मैंने सुना है, मेरी मुलाकात नहीं हुई, लखनऊ के जनरल मैनेजर अपनी तनख्वाह में से कुछ भाग सरकार को प्रदान करते हैं, पूरी तनख्वाह नहीं लेते या लेते हैं तो शायद एलाउन्स दे देते हैं । अगर वह ऐसा करते हैं तो प्रशंसा के पात्र हैं और एक दिन की बात है, मैं लखनऊ आ रहा था लखीमपुर से, तो रास्ते में मैंने उनकी मोटर खड़ी देखी । मैंने देखा कि उन्होंने मोटरें रोकीं और उनको चेक किया । अगर ऊपर के अफसर ऐसा काम करते हैं तो वह मेरा यकीन है कि भ्रष्टाचार नहीं रह सकता ।

लेकिन एक बात है । जब मोर नाचता है और अपने परों को देखता है रंग-बिरंगे, तो फूला नहीं समाता, लेकिन जब अपने पैरों को देखता है तो बड़ा पछताता है और सब रंग भंग हो जाता है । एक तरफ तो हम देखते हैं कि रोडवेज ऐसा विभाग है कि उत्तर प्रदेश कौन कहे, सारे देश में एक फख्र का बायस है, लेकिन दूसरी तरफ आर० टी० ओ० का दफ्तर है जिसके भ्रष्टाचार को देख कर शर्म से गरदन झुक जाती है । आर० टी० ओ० के दफ्तर में जो क्लर्क मौजूद हैं वे जब से वह आफिस कायम हैं तब से वहीं हैं । ऐसे गड़े हुए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शिवप्रसाद नागर]

हैं कि जैसे उस आफिस का उनके नाम बयनामा हो गया हो, या उनका बिजनेस हो, उनकी दूकान हो और वे उसे छोड़ नहीं सकते, चिमगादड़ों की तरह से घोंसला बना लिये हैं और इसी वजह से उसमें भ्रष्टाचार पनपता जाता है और वहां की सफाई नहीं होती। जिस घर में झाड़ न लगे, सफाई न हो वहां गंदगी होगी, बीमारियां होंगी, रोग होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, सब कुछ होगा। मैंने एक प्रश्न पूछा था कि वहां ऐसे कितने गजेटेड अफसर हैं कि जो तीन साल से अधिक से वहां हैं, तो जवाब मिला, एक। सैकड़ों के बाद मेरे प्रश्न की बारी थी, सप्लीमेंटरी पूछ नहीं सका कि वह कौन हैं। लेकिन मालूम हुआ कि कोई एक हैं। अगर प्रश्न न पूछा जाय और माननीय मंत्री जी को याद न दिलायी जाय तो हो सकता है कि उनको वहां ६ वर्ष तक भी रहने का मौका मिल जाय। तो जब इस तरह से वे लोग एक जगह अड्डा जमायेंगे तो वहां भ्रष्टाचार होगा और उसे कोई रोक नहीं सकता। एक बात की तरफ और मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मुझे दो मिनट का समय ज्यादा दे दिया जाय जिससे कि मैं अपनी बात पूरी तरह से कह सकूं।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने भी प्रार्थी जब ट्रांसपोर्ट में जाते हैं और जब लौट कर आते हैं तो यही मुझ से कहते हैं "नागर जी, दफ्तर के कर्मचारी हमारे साथ कुत्तों की तरह पेश आते हैं।" जिस प्रकार कुत्तों के साथ व्यवहार होता है उसी तरह यह कर्मचारी उन लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। उनके पास दो-दो चार-चार ट्रकें होती हैं, हजारों, लाखों रुपये की उनकी हैसियत होती है, लेकिन जब वे ट्रांसपोर्ट विभाग में जाते हैं तो उनके साथ कुत्तों की तरह व्यवहार किया जाता है। उनका यह व्यवहार बरदाश्त नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा मैं एक और चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। आपके आर० टी० ओ० का जो रेजीडेंस है उसकी चहार दीवारी खींची गयी है। हमने मकान मालिक से पूछा उसने जवाब दिया कि हमने नहीं खिंचवाई है, बजट में उसका कोई प्राविजन नहीं है, पता नहीं फिर कैसे वह चहारदीवारी बन गयी? बाद को पता लगा कि किसी कांट्रैक्टर ने या किसी परमिट होल्डर ने उसको बनवाया है। मैं पूछना चाहता हूं कि उसका मकान मालिक कौन है और उसको बनवाने वाला कौन है? यह भ्रष्टाचार का यदि द्योतक नहीं है तो और क्या है?

दूसरी बात और मैं कहना चाहता हूं और वह यह है कि उनके यहां एक टेलीफोन आफिस में लगा है और एक टेलीफोन घर पर लगा है। उनके क्वार्टर और आफिस का उतना ही फासला है जितना कि यहां पर आपका और हमारा है। तो इतने फासले पर जब उनका आफिस है तो दूसरे टेलीफोन की क्या जरूरत है?

(इस समय २ बजकर ५१ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

क्या दो-दो टेलीफोनों में पैसा बरबाद नहीं होता है। अगर वह प्राइवेट टेलीफोन भी है तो क्यों है? यह नियम के विरुद्ध है। इसके अलावा आप देखें कि जितनी तनख्वाह माननीय मंत्री जी पाते हैं उतनी तनख्वाह उनको नहीं मिलती है। फिर भी क्या कारण है कि एक कार उन्होंने सन् १९५२ में खरीदी और फिर एक कार अभी कुछ दिन हुए खरीदी है। इस तरह से जब दो-दो कार वे खरीदते हैं तो यह पैसा कहां से आता है? माननीय मंत्री जी अपनी जेब से एक कार नहीं खरीद सकते, वे दो-दो कार रखते हैं। यह सब भ्रष्टाचार का द्योतक नहीं है तो और क्या है?

इसके अलावा आप देखें, श्रीमन्, कि उनके यहां जो फुलवारी लगी रहती है, उसके लिये उनको कोई माली नहीं दिया जाता है। जो चपरासी उनके यहां के होते हैं वही माली का काम भी करते हैं। दिन भर तो उनको दफ्तर में चपरासी का काम करना पड़ता है और बाद को उनको माली का काम करना पड़ता है। इसलिये सरकार को उनको एक माली दे

देना चाहिये ताकि उन गरीब चपरासियों को कुछ आराम मिल सके। सुबह से शाम तक उनको दफ्तर में ही लग जाता है। फिर अगर उनसे घर पर भी यह सब काम लिया जाता है तो यह उनके साथ अन्याय है।

इस तरह से मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि वहां पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, वहां ईमानदार आदमी नहीं हैं। वहां पर ईमानदार आदमी भी हैं। हम उनकी प्रशंसा भी करना चाहते हैं। एक साहब हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता क्या है, उनकी बड़ी तारीफ लोग करते हैं। जब लोग अपनी गाड़ी के फिटनेस के लिये जाते हैं और अगर उनकी गाड़ी किसी तरह अनफिट हो जाती है तो उसके लिये उसको दुख भी होता है। वह केवल एक फटी कमीज पहन कर ही दफ्तर आता है। जो कुछ खाली समय उसको मिलता है उसमें वह दवा बांटता है और जनता की सेवा करता है। काफी पैसा उसका इसमें लग जाता है। तो ऐसे लोग भी हैं जिनकी प्रशंसा करना चाहिये। लेकिन जहां भ्रष्टाचार है वहां आपको देखना चाहिये, उस ओर ध्यान देना चाहिये। आज परमिट जो दिये जाते हैं वह जिले के जितने प्रार्थी होते हैं उनको नहीं दिये जाते हैं क्योंकि उनसे पैसा कम मिलता है, बल्कि दूसरे जिले के लोगों को परमिट ज्यादातर दिये जाते हैं। उनसे ज्यादा फायदा होता है। जिनसे ज्यादा फायदा होता है उनको परमिट दिये जाते हैं जिले वालों को नहीं दिये जाते।

एक बात इसी सम्बन्ध में मैं और कहना चाहता हूं। अभी एरारोट से लखीमपुर रोड के लिये एक व्यक्ति को दो परमिट दिये गये। बाद को उनमें से एक परमिट कैन्सिल कर दिया गया। उसका क्या कारण था? जब बाद को कैन्सिल किया गया तो उसको ईश्यू करने से पहले ही क्यों नहीं सोचा गया? क्यों ईश्यू करने के बाद कैन्सिल किया गया। फिर वह परमिट जो कैन्सिल किया गया वही इलाहाबाद के एक विद्यार्थी को दिया गया। माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायें।

जहांतक चालान होते हैं, आज ए० आर० टी० ओ० चालान करते हैं लखीमपुर, सीतापुर और बाराबंकी की सरहद में और मुकदमा होता है लखनऊ में। संविधान कहता है कि न्याय सस्ता होना चाहिये। सस्ता न्याय देने के लिये आपने न्याय का विकेन्द्रीकरण किया, पंचायतों तक न्याय पहुंचाया। वहां न्याय होता है लेकिन लखीमपुर का चालान और लखनऊ में मुकदमा होता है। क्या लखीमपुर में अदालतें नहीं हैं? जिस जिले की सरहद में जो क्राइम हो उसकी पेशी, उसकी सारी पैरवी वहीं होनी चाहिये।

एक बात और बताऊं, पहले का सिस्टम अब बदल गया है। ए० आर० टी० ओ० अब जांच करते हैं, ट्रैफिक चेक करते हैं। जितना वह काम करते हैं, जितने उन्होंने चालान किये हैं उसके लिये उनकी तारीफ की जायगी कि उन्होंने खूब डटकर मुकाबला किया है भ्रष्टाचारियों का, मगर उसका परिणाम यह हुआ है कि जब जब लोगों के चालान हुए और जो लोग माहवारी पेमेंट करते हैं इस दफ्तर में, उन्होंने जब आकर शिकायत की तो बड़े अफसर के द्वारा वह ए० आर० टी० ओ० कुत्ते की तरह डांटे जाते हैं। क्या यही तरीका है कि अगर कोई पूरी ड्यूटी अंजाम दे तो उस पर हंटर लेकर पिल पड़ना, बजाय इसके कि उसको शाबासी दें और पीठ ठोकें? पीठ ठोने से उसका उत्साह बढ़ता है, मगर यहां जो अच्छा काम करता है उसे निरुत्साहित किया जाता है। इसलिये मैं दरख्वास्त करूंगा कि सरकार इस पर विचार करे।

एक बात और कह दूं, लाल बत्ती जल गयी है। सिटी बस चारबाग स्टेशन के ऊपर जब औरतें और बच्चे उतरे, अच्छे-अच्छे सुन्दर कपड़े पहने हैं, बसस्टेशन पर खड़े हुए तो न छिपने को स्थान, न बैठने को जगह। बारिश होती है तो कंडक्टर के कागज और रजिस्टर भीग जाते हैं। मुसाफिर और कर्मचारी बच नहीं सकते हैं और जब मई जून में वहां खड़े होते हैं तो तगड़ी

[श्री शिवप्रसाद नागर]

धूप होती है और जिस प्रकार से चना भुनता है उसी तरह से कर्मचारी और मुसाफिर भुनते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसके लिये जल्दी ही व्यवस्था होनी चाहिये, क्योंकि महीना बहुत सख्त आने वाला है। आपके घरों और बंगलों में पंखे और खस की टटिट्यां लगी होंगी, मगर कर्मचारियों और मुसाफिरों को रोडवेज के सिटी बस स्टेशन पर जाना पड़ेगा और उन्हें विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि वह इस ओर जल्दी ध्यान दें।

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान इस सदन में परिवहन विभाग से सम्बन्धित प्रस्तुत किया गया है उसमें जो विवाद चल रहा है, मैंने उसे बड़ी गम्भीरता के साथ सुना। कटौती का प्रस्ताव माननीय उग्रसेन जी ने पेश किया। मैं उनकी सराहना करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से कटौती का प्रस्ताव रखा है और जिस भावना से जनतंत्र प्रणाली में शासन को चलाने के लिये उसकी आलोचना आवश्यक होती है उसको सुझाव के रूप में उन्होंने जिस प्रकार से रखा है वह बहुत ही उचित है। जो बातें उन्होंने कहीं उनसे यह स्पष्ट है कि उन्होंने या अन्य माननीय सदस्यों ने जो इधर या उधर बैठे हैं, सभी लोगों ने जो सुझाव रखे, मैं उन सब की सराहना करता हूं और विशेष रूप से माननीय उग्रसेन जी ने जो सुझाव दिये हैं, मैं समझता हूं कि उनका फायदा सरकार उठायेगी और जो कठिनाइयां यात्रियों के लिये हैं या कर्मचारियों के लिये हैं वह उनके सुझावों से दूर होंगी।

मुझे प्रसन्नता है कि इस विभाग के कार्य और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये जो परम्पराएं कायम की गयी हैं या कार्य को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिये जो तरीका अपनाया गया है उससे सभी माननीय सदस्यों को संतोष है। माननीय उग्रसेन जी ने भी यह नहीं कहा कि बसें टाइम पर नहीं चलतीं। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि वहां भ्रष्टाचार है, उन्होंने यह नहीं कहा कि यात्रियों को गाड़ियों में बैठने में कठिनाई होती है। लेकिन जो बातें उन्होंने कहीं, मैं समझता हूं कि कोई भी शासन और विशेष तौर पर वह जो पूर्ण उत्तरदायित्व रखता हो और जनतन्त्र प्रणाली में विश्वास रखता हो, उसके लिये आवश्यक है कि वह ऐसे सुझावों पर अमल करे।

श्रीमन्, शासन चाहता है कि हर बस स्टेशन सुन्दर और व्यवस्थित ढंग से बना हो, वहां पर यात्रियों को बैठने की सुविधा हो, पानी पीने की सुविधा हो और वहां का वातावरण इतना अच्छा हो कि अगर कोई थका मांदा व्यक्ति भी वहां आये तो उसे शान्ति मिले। हम चाहते हैं कि हर स्टेशन पर ड्राइवरों और कन्डक्टरों के रहने की व्यवस्था हो, उनको उचित वेतन मिले, अच्छी वर्दी समय पर मिले। हम चाहते हैं कि अनेक प्रकार की सुविधायें, जो यात्रियों और कर्मचारियों को दी जा सकती हों, दी जांय। उन्होंने बहुत से सुझाव रखे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनके जो बहुत से सुझाव हैं उनमें बहुतों में सम्भवतः उनको जानकारी नहीं है। यह कहना उचित नहीं है कि हमारे यहां कोई नियम नहीं हैं और परिवहन विभाग के कर्मचारियों के वेतन क्रम किसी नियम के अनुसार नहीं है। यह कहना उचित नहीं है। यह सही है कि अभी रोडवेज ऐक्ट और मैनुअल नहीं बने हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस कार्य के लिये एक उच्च अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है जो इस काम को यथाशीघ्र पूरा करने जा रहे हैं। इस समय भी इस विभाग में जो कर्मचारियों के वेतन के स्केल हैं या अन्य सुविधायें देने की जो व्यवस्था है वह, जिस प्रकार से और विभागों में दी जाती हैं, उसी प्रकार से यहां भी दी जाती हैं और इस बात का प्रयास किया जाता है कि हम अधिक से अधिक सुविधा उनको दें।

हमारे अनेक भाइयों ने यह भी कहा कि ड्राइवर्स के ठहरने के लिये कोई व्यवस्था या विश्रामगृह नहीं हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था है कि ड्राइवर अपनी ड्यूटी करने के बाद अपने स्थान पर आ जाय और ड्राइवर और कन्डक्टर दोनों शाम को अपने घरों में रहें, किन्तु जहां पर ऐसा करना सम्भव नहीं है या अधिक ड्यूटी के कारण कहीं ठहरना पड़ता है तो

हमारे अनेक बस स्टेशनों पर इसकी व्यवस्था है। विश्रामगृह बने हुये हैं जहां बिजली के पंखे लगे हैं, चारपाइयां हैं, फ्लश के लैट्रिन्स हैं और अन्य प्रकार की दूसरी सुविधायें हैं। और जहां पर अभी ऐसी सुविधायें नहीं हो सकी हैं वहां हम सुविधायें देना चाहते हैं। जिन कर्मचारियों की बदौलत इस राज्य को इतनी बड़ी आय होती है उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधायें प्रदान करने की नीति है। हमारा यह लक्ष्य है और हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसको पूरा किया जाय लेकिन माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि सरकार के साधन भी सीमित हैं। दो करोड़ रुपये की आय इस विभाग से होती है और दो करोड़ रुपये प्लानिंग कमीशन के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार से चार करोड़ रुपये की धनराशि से इस प्रदेश का विकास का कार्य पूरा किया जाता है। दो करोड़ रुपया जनता पर बिना किसी प्रकार के टैक्स का बोझा पड़े मिलता है। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उनको सुविधायें प्रदान की जायं और उनकी दिक्कतों को दूर किया जाय और प्रत्येक जगह पर सुन्दर बस स्टेशन बने, वहां हर प्रकार की सुविधा हो, फिर भी समय समय पर कुछ न कुछ कठिनाइयां आती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष के बजट में रुपया रखा जाता है और इस बात का प्रयास किया जाता है कि अधिक से अधिक बस स्टेशन बनाये जायं जहांपर यात्रियों और कर्मचारियों को भी हर प्रकार की सुविधा रहे।

बहुत से भाइयों ने राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कहा। मैं उनका बड़ा आभारी हूं जिन्होंने इस सुझाव को रखा क्योंकि राष्ट्रीयकरण की मनोवृत्ति समाजवादी व्यवस्था की ओर ले जाती है और सरकार का यह लक्ष्य है कि जितनी जल्दी हो सके हम अधिक से अधिक मार्गों का राष्ट्रीयकरण करें; किन्तु राष्ट्रीयकरण करने में जो कठिनाइयां आती हैं वह सदस्यों से छिपी नहीं हैं। जिन मार्गों पर प्राइवेट आपरेटर्स चलते हैं उन मार्गों के राष्ट्रीयकरण की बात जब आती है तो उनको दूसरे स्थानों पर हटाना पड़ता है। वह लोग हाई कोर्ट तक जाते हैं, रिट दायर करते हैं। इसमें काफी समय लग जाता है। एक एक मार्ग को जहां आवश्यक समझा गया है, अनेक कठिनाइयों को जानते हुये भी उसके राष्ट्रीयकरण करने का प्रश्न विचाराधीन है। अभी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, इस वित्तीय वर्ष में २४ मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है और यह इच्छा है कि अधिक मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। जैसे जैसे सरकार के पास धन की सुविधा होती जायगी वैसे वैसे मार्गों का राष्ट्रीयकरण होता जायगा। केवल राष्ट्रीयकरण की बात कहने से कुछ नहीं हो सकता। एक मार्ग का ही राष्ट्रीयकरण करने से लाखों रुपये का व्यय हो जाता है। ऐसा भी कहा गया कि इस विभाग की आमदनी को इसी विभाग पर खर्च किया जाय, इसके कर्मचारियों पर भी व्यय किया जाय। यह किसी हद तक तो ठीक हो सकता है, लेकिन जब हम देश के निर्माण के में चल रहे हैं, विकास के लक्ष्य को हमें पूरा करना है तो हमें आय और व्यय के साधनों को व्यवस्थित करना होगा।

यह भी कहा गया कि रेलवे की भांति इस विभाग का बजट अलग से पेश किया जाया करे। यह बात कहने में बड़ी अच्छी मालूम होती है, कुछ अंश तक उचित भी है कि जो आय जिस विभाग की हो वह उसी के विकास में खर्च की जाय, लेकिन अभी थोड़ा समय ही इस विभाग को चलते हुए हुआ है। सन् १९४७ में इस विभाग को शुरू किया गया है और धीरे धीरे जो उन्नति हुई है वह आपने देखी है। हमारा लक्ष्य है यात्रियों को तथा विशिष्ट यात्रियों को और विदेशियों को जो इन बसेज पर यात्रा करते हैं, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखा जाय। पिछले दिनों इस विभाग द्वारा कुम्भ के मेले में व्यवस्था की गयी। विभाग के कर्मचारियों ने अधिक से अधिक तत्परता के साथ अधिक से अधिक सेवा करने का प्रयत्न किया, अधिक से अधिक

[श्री धर्मदत्त वैद्य]

गाड़ी चलाने का प्रयत्न किया गया, जिन स्थानों से संभव हो सका, अधिक से अधिक गाड़ी छोड़ने का प्रयास किया गया। मैं कहता हूं कि इस विभाग का लक्ष्य अधिक से अधिक जनता की सेवा करने का है। इसके अतिरिक्त पानी के प्रबन्ध के बारे में, पेशाबघर के प्रबंध के बारे में या और कोई जनता की कठिनाई के बारे में माननीय सदस्यों के जो सुझाव होते हैं उनको यथा-संभव पूरा करने का हम प्रयत्न करते हैं। अधिकांश स्थान ऐसे हैं कि कठिनाइयों को दूर करने में कुछ कठिनाइयां होती हैं आशा है माननीय सदस्य उन कठिनाइयों को दूर करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे जससे सरकार अपने लक्ष्य को पूरा करने में शीघ्र ही सफल हो सके।

माननीय सदस्यों ने आलोचना की, लेकिन किसी माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया कि कहां पेशाबघर या पानी आदि की व्यवस्था नहीं है या और कोई कमी है, और न उन्होंने मंत्री जी को ही इस संबंध में लिखा। यदि उन्होंने लिखा होता तो उसकी व्यवस्था उसी समय करने का भी प्रयत्न किया गया होता। इसलिये मैं अन्त में आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो सुझाव माननीय उग्रसेन जी तथा दूसरे माननीय सदस्यों ने दिये हैं उनको यथासंभव पूरा किया जायगा, उसमें आपके सहयोग की भी आवश्यकता है। अगर आपका सहयोग मिला तो हमें आशा है कि हम अपने लक्ष्य को शीघ्रता से पूरा करने में समर्थ हो सकेंगे।

*श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनुदान पर जो कटौती का प्रस्ताव माननीय उग्रसेन जी ने पेश किया है, उसका समर्थन करनेके लिये मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, अभी माननीय डिप्टी मिनिस्टर महोदय कह रहे थे कि विरोध बहुत थोड़ा सा हुआ है और अगर उसके लिये माननीय मंत्री जी को किसी ने लिखा होता तो वे सचमुच ही उसकी व्यवस्था कर देते। साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी बहुत प्रसन्नता जाहिर की कि हमारा विभाग काफी मुनाफा कमा रहा है। मान्यवर, सरकार रोडवेज चला कर पहले तो व्यापार करना शुरू कर देती है और कहती है कि उसको लाभ होता है लेकिन सही मानी में लाभ तभी माना जायगा जब कि बराबर के दो चार व्यापारी उसके सामने हों। सरकार राष्ट्रीयकरण करती है और मनमाने किराये की व्यवस्था करती है। अगर सरकार वाकई जानना चाहती है कि किस प्रकार से मुनाफा हो रहा है तो प्राइवेट बसों को भी उसके साथ-साथ चलने की इजाजत दे तब मालूम होगा कि किसमें अधिक आराम मिलता है और किसमें अधिक फायदा होता है। आप देखें कि किराये में कितना अंतर है। कानपुर का यहां से थर्ड क्लास का किराया रेल में सवा रुपया है जब कि बस में थर्ड का डेढ़ रुपया और अपर का सवा दो रुपया है।

एक बात और कही गयी कि इस विभाग में भ्रष्टाचार बिलकुल नहीं है। सही बात यह है कि इस विभाग के भीतर लोगों को इनर वाकेआत में जाने का अवसर ही नहीं मिलता है। इस विभागमें भ्रष्टाचार भी होता है और जो आदमी भ्रष्टाचार को बताता है उसको दंड दिया जाता है। अभी थोड़े दिनों की बात है, एक एकाउन्टेंट था जिन्होंने बहुत सी ऐसी बातों को पकड़ा था, उसको एग्रीकल्चर विभाग में भेज दिया गया।

मेरी समझ में नहीं आता कि सैकड़ों मोटरें इस विभाग द्वारा प्रति वर्ष खरीदी जाती हैं लेकिन क्यों नहीं डायरेक्ट कंपनी से खरीदी जाती हैं। वे खरीदी जाती हैं किसी डीलर के द्वारा और उसमें बहुत सा कमीशन उनको मिलता है। कानपुर रीजन की बात है वहां पर मोटर प्राइवेट कंपनी द्वारा खरीदी जाती थी और कमीशन आता था। जब एकाउन्टेन्ट ने डायरेक्ट लिखा पढ़ी की तो टाटा कम्पनी से ३ हजार रुपया मिला कमीशन का। मेरा सरकार को सुझाव है कि चाहे मोटर हो या कोई मोटर का और सामान हो वह डायरेक्ट कारखाने से परचेज करें। इससे उसको बहुत से रुपये की बचत हो जायगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहले गाड़ियां पेट्रोल से चलती थीं लेकिन अब डीजल से चलती हैं, लेकिन तब जितना किराया था उतना ही किराया अब भी लिया जाता है। उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा है। एक बात और है। सरकार कहती है कि फायदा होता है। एक बात माननीय मंत्री जी मानते हैं कि जिन व्यक्तियों द्वारा फायदा अधिक हुआ है उनको कुछ थोड़ा लाभ पहुंचने दें। माननीय मंत्री जी का यह एक मत है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर यही बात तो वे हृदय से करें। आप देखें कि जो काम करने वाले कंडक्टर इसमें काम करते हैं या बुकिंग क्लर्कस हैं उनके ग्रेड में सरकार ने कितना अन्तर रखा है। वही कंडक्टर जो हाई स्कूल पास हैं उनका ग्रेड कुछ और है और जो हाई स्कूल पास नहीं हैं उनका ग्रेड कुछ और है। मैं नहीं जानता कि क्या हाई स्कूल पास कंडक्टर ज्यादा काम करते हैं और जो नहीं पास हैं वे कुछ कम काम करते हैं। वह तो एक ही तरह का काम है जिसको दोनों करते हैं। इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वे, कंडक्टरों में जो इस तरह का भेदभाव है उसको दूर करने की तरफ तवज्जह दें क्योंकि सब कंडक्टर्स एक ही काम करते हैं।

मान्यवर, सरकार ऐसा काम करती है जिसे यदि कोई प्राइवेट फर्म करती तो न मालूम कितनी मुसीबत उस पर सरकार ढा देती। नौकर रखते हैं, ड्राइवर रखते हैं, कंडक्टर्स रखते हैं और एक साल के लिये उनसे लिखा लेते हैं कि हम जगह देते हैं। माननीय मंत्री जी इसको डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने अभी ऐसा कहा है। एक साल जहां समाप्त हुआ कि आटोमेटिकली उनकी सर्विस समाप्त, और फिर उनका एप्वाइंटमेंट करके उनको एक साल के लिये रख लिया जाता है। उसका कारण यह है कि अगर एक साल के बाद उनको नहीं हटाया जाता तो वह परमानेंट हो जाता है और उसके अनुसार उनको काफी पैसा भी मिलता है। इस तरह से उन पर सरकार का ज्यादा खर्च होता। तो मुनाफा दिखलाने के लिये यह सब किया जाता है। एक तरफ तो तारीफ की जाती है कि हमारे विभाग ने तथा उस विभाग के व्यक्तियों ने बड़ी अच्छी तरह से काम किया जिससे उसकी आमदनी बढ़ी और दूसरी तरफ उनके पेट भी काटते जाते हैं।

अभी कानपुर रीजन के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के सभी रीजन्स के कितने व्यक्तियों को निकाला गया और फिर उनका एप्वाइंटमेंट हुआ तथा बीच की ३,४ दिन की तनख्वाह उनको नहीं दी गयी। जब इस सम्बन्ध में यहां प्रश्न रखा गया तथा सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाया गया कि वही आदमी जो पहले काम करते थे उन्हीं को फिर से रखा गया है तो बाद में यहां से आदेश दे दिये गये कि १ अप्रैल से ४ तारीख तक की तनख्वाह उनको दे दी जाय। और वह दे दी गयी है। तो उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से मेरी यह मांग है कि वह इस प्रकार से अपने विभाग का फायदा दिखावें लेकिन गरीब मजदूरों का पेट न काटें और उनको कंफर्म करें। मेरी बातचीत एक अधिकारी से हुई तो मालूम हुआ कि इस तरह की धौंस भी दी जाती है कि कंडक्टरों और ड्राइवरों को हटा कर हम नये आदमी रख लेंगे। तो मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस विभाग के बड़े-बड़े अधिकारियों का भले ही कुछ फायदा हो लेकिन जिन गरीब कंडक्टरों और ड्राइवरों की छाती पर चढ़ कर सरकार अपनी आमदनी करती है उनके लिये वह ठीक प्रकार से कोई उचित व्यवस्था नहीं कर पाती है।

सरकार कहती है कि उनके रहने की व्यवस्था हमने कर दी है और जहां नहीं है वहां के लिये एलाउंस देते हैं, लेकिन भत्ता तो आप वहां भी देते हैं जहां कि रेस्ट हाउस हैं। आज हालत यह है कि इस सर्दी में भी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स छतों पर रहते हैं और इस तरह से अपना दिन

[श्री भुवनेशभूषण शर्मा]

व्यतीत करते हैं। इसलिये सरकार को चाहिये कि वह उनके लिये हर जगह रहने की व्यवस्था करे, उनकी सर्विस परमानेंट हो और जो भेदभाव कंडक्टरों के अन्दर हाई स्कूल पास और न पास का है उसको भी वह दूर करे। आज जितनी आमदनी विभाग को होती है, उसमें से थोड़ा रुपया इन लोगों को भी दे जिससे इनका स्टैंडर्ड बढ़े, अगर सरकार चाहती है कि उसके कर्मचारी कोड़े के नाम पर काम करने के बजाय ईमानदारी से तथा अपनी आत्मा से काम करें। मुसाफिरों के आराम के लिये भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। एक बात और है कि अभी बुकिंग स्टेशन्स वगैरह का प्रबन्ध ठीक नहीं है। कानपुर में कलेक्टरगंज में नहर के किनारे पर रोडवेज का आफिस है वहां पर सड़क के किनारे बुकिंग के लिये हजारों आदमियों की भीड़ रहती है और ट्रैफिक तक होल्ड हो जाता है, नहर को पाटने की भी कोई व्यवस्था सरकार कर रही हो तो करे, लेकिन अगर नहीं है तो गवर्नमेंन्ट को चाहिये कि वहां से वह आफिस ही हटा दे। आज वहां एक्सीडेंट होते हैं और लोग परेशान होते हैं, अगर गाड़ी छूट जाती है तो लोगों को स्थान ठहरने को नहीं मिलता। इसलिये मंत्री जी कृपा कर के वहां की शीघ्र कोई व्यवस्था करें और मुसाफिरों की सुविधा का अधिक ध्यान रखें। धूप से और लू से हिफाजत के लिये कोई सुविधा वहां नहीं है। पीने के पानी और ठहरने का प्रबन्ध ठीक से होना जरूरी है, पाखाने वगैरह का भी प्रबन्ध नहीं है। मंत्री जी मुसाफिरों की इन सुविधाओं की तरफ भी ध्यान दें, केवल पैदा करने में ही न लगे रहें।

श्री जगदीश शरणअग्रवाल (जिला बरेली)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के युग में जब प्रोग्रेसिव नेशनेलाइजेशन या उत्तरोत्तर राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त को हम स्वीकार कर चुके हैं उसमें प्रस्तुत अनुदान का एक विशेष महत्व है, जब हम अपनी स्टेट अन्डर-टेकिंग्ज या राज्य द्वारा संचालित कार्यों को एक आलोचना की दृष्टि से देखते हैं जो कि हमारा अधिकार भी है, तो मेरा ऐसा विचार है, कि किसी राज्य की अन्डरटेकिंग्ज को जांचने के लिये ३ कसौटियां हो सकती हैं। एक तो यह कि उस अन्डरटेकिंग ने अपने पैर पर खड़े होकर अपना कैसा स्थान बनाया है और उसने राष्ट्र की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिये क्या कन्ट्रीब्यूशन दिया है। दूसरे यह कि उस में लगे हुये जो कर्मचारी हैं उन का स्तर कैसा रहा, उनके लिये क्या विशेष सुविधायें दी जा सकीं या नहीं दी जा सकीं, और कदाचित् तीसरा यह कि जनता को उसके द्वारा क्या लाभ या सुविधा मिली। यदि हम इन तीन कसौटियों से इस रोडवेज विभाग को देखें तो मैं समझता हूं कि हम फेल नहीं हुये, जैसा कि माननीय भुवनेशभूषण जी कह रहे थे हम इस नतीजे पर आते हैं कि हमारी यह अन्डरटेकिंग किन्हीं भी दूसरी अन्डरटेकिंग्ज से अधिक सफल हुई है।

मेरे मित्र प्राफिट की बात कह रहे थे। सन् १९४८-४९ में ५.८१ प्रतिशत प्राफिट रोडवेज का था और यही लाभ दिसम्बर, १९५९ तक ८.९० प्रतिशत हो गया। सन् १९४६-४७ कोई दूर की बात नहीं है उस के पहले हम प्राइवेट अन्डरटेकिंग्ज को अपने यहां देख चुके हैं, कितना किराया लिया जाता था, कितनी असुविधा मुसाफिरों को होती थी और वह लोग कितना दुरुपयोग अपने अधिकारों का करते थे। उसके बाद हमने इस व्यवस्था को भी देखा और उसकी सफलता का प्रमाण है कि आप देखते हैं कि जनता की तरफ से कितनी मांग रूट्स के लिये है। सम्भव है कि हमारे कुछ मित्रों को इससे कष्ट पहुंचा हो और वह इस को अच्छा न समझते हों या अपने किन्हीं हितों की भी बात हो सकती है, लेकिन जनता की बराबर मांग रही है कि ज्यादा से ज्यादा रूट्स को नेशनेलाइज किया जाय और उनको रोडवेज के अन्तर्गत लिया जाय। इससे अच्छा और प्रमाण क्या हो सकता है। मैं जानता हूं कि मेरे मित्र इसमें विशेष दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन और कितने भी हमारे मित्र बोले उन्होंने एक स्वर से समर्थन किया है।

दूसरी कसौटी यह हो सकती है कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी दशा क्या हम सुधार सके सन् १९४७ के पहले जो प्राइवेट बसेज के कर्मचारियों की दशा थी उसके मुकाबले में ? मैं

समझता हूं कि निष्पक्ष व्यक्ति इसी निष्कर्ष पर आयेगा कि प्राइवेट व्यवसाय कितनी सुविधा देता था और आज भी जो दे रहा है उससे कहीं ज्यादा सुविधायें रोडवेज दे रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि रोडवेज में अगर ड्राइवर की जगह खाली हो और प्राइवेट आदमी के यहां वेकेंसी हो तो रोडवेज की जगह के लिये पहले प्रार्थना-पत्र आते हैं। यह इस बात का सबूत है कि सर्विस में सुविधायें तथा स्टेबिलिटी रोडवेज में ज्यादा है। प्रस्तुत अनुदान में प्रस्तुत वर्ष में इस बात की ओर प्रयत्न किया गया है कि जो हमारे निम्न स्तर के कर्मचारी हैं जिनका ग्रेड ४०-८० रुपये था उसको खत्मकर के ६०-१०० रुपये का ग्रेड किया जा रहा है। मैं इस कदम के लिये सरकार को बधाई देता हूं। मेरी तो निश्चित धारणा है कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति की १०० रुपये से कम तनख्वाह नहीं होनी चाहिये। लेकिन वास्तविकता यह है कि साधनों की कमी मजबूर करती है और उस लक्ष्य के नजदीक पहुंचने में हमें देर लग सकती है। तो उस लक्ष्य की तरफ एक निश्चित कदम बढ़ाया गया है इसके लिये सरकार को बधाई देता हूं और मैं समझता हूं कि आगे ज्यों ज्यों सुविधायें बढ़ती जायंगी हम कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर सकेंगे।

तीसरी कसौटी यह हो सकती है कि जनता को कितनी सुविधा मिली है। अगर इस कसौटी पर हम रखें तो आज निश्चित तौर से बहुत आगे बढ़ चुके हैं और जो पहले व्यवस्था थी उससे आज की व्यवस्था में जमीन आसमान का अन्तर हो चुका है। मैं यह नहीं कहता कि इसमें और ज्यादा सुविधा देने की गुंजायश नहीं है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे दूसरी सुविधायें देने की ओर ध्यान दें। उनकी ओर इस अनुदान में संकेत है जैसे ठंडे पानी के कूलर्स लगाना, शेड्स लगाना, सीटिंग अरेंजमेन्ट करना आदि। तो यह भी एक अच्छा कदम है। इसके बाद में इतना कहूंगा कि उस अच्छाई का ही यह परिणाम है कि इस बजट का यह पहला अनुदान है कि जिसकी एक स्वर से प्रशंसा की गई।

अब मैं ऐक्सीडेंट्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पिछले सालों में जो दुर्घटनायें हुई हैं बसेज और ट्रक्स से उनको रोकने के लिये जो साधन हो सकते हैं उसका सारा उत्तरदायित्व रोडवेज विभाग को अपने ऊपर लेना चाहिये। शहरों में रोड सेंस और रोड साइंस के लिये अगर विशेष व्यय भी करना पड़े तो उसको किया जाय।

दूसरी बात यह कहनी है कि नगरों में कुछ टैक्सीज की सुविधा होनी चाहिये। जो 'ए' क्लास टैक्सीज नगरों में रखी जाती हैं उनका प्रयोग या तो मंत्रिगण या उच्चाधिकारी करते हों लेकिन जनसाधारण को उससे पूरा लाभ नहीं मिलता है। उसके लिये छोटी टैक्सी या जीप्स की सुविधा होनी चाहिये। जब हम देखते हैं कि रोडवेज में फ़ायदा है तो यह सुविधा जो जन-साधारण को पहुंचायी जा सकती है साधारण खर्चे और कोशिश से तो इसकी ओर ध्यान जरूर दिया जाना चाहिये। आखिरी बात यह निवेदन करूंगा कि कुछ ऐसी प्रवृत्ति हो रही है कि टेक्निकल अनएम्पलायमेंट बढ़ता जा रहा है। हम यह भूल जाते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशन में से जो लड़के निकलें उनको पूरा एम्पलायमेंट मिले। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उनके जो वर्कशाप्स हैं उनमें जो ट्रेनीज हों उनके लिये एम्पलायमेंट की तरफ ध्यान रखा जाय और ऐसा न हो कि जो वहां ट्रेनीज हों उनको भी अनएम्पलायमेंट का शिकार होना पड़े, क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है कि टेक्निकल अनएम्पलायमेंट से फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा पैदा होता है नौजवानों में। बी० ए० पास, अनएम्पलायड हैं तो बर्दाश्त कर सकता है क्योंकि उसके लिये कई दरवाजे खुले हैं लेकिन एक विशेष लाइन में जाने के बाद, ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद, एक व्यक्ति अनएम्पलायड रहता है तो उसे बहुत निराशा होती है। मैं यह चाहूंगा कि ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट तो कम से कम इस प्रकार के अनएम्पलायमेंट को बढ़ाने में सहायक न हो। उसे दूर करने का पूरा यत्न करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का हृदय से समर्थन करता हूं।

*आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—मान्यवर, मैं दो तीन सुझाव सरकार के सामने रखना चाहता हूं और यह आशा करता हूं कि उन पर विचार किया जायगा। जहां तक विभागीय आलोचना का सम्बन्ध है माननीय उग्रसेन जी ने जो आलोचना की है, विशेषकर कर्मचारी विभाग की समस्या को लेते हुये सरकार का जो ध्यान आकृष्ट किया है, मैं पूर्णतया उनका समर्थन करता हूं और यह उचित समझता हूं कि उनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये था। इसके अलावा यह बात भी बिलकुल उचित है कि विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो सुख सुविधा तथा सहूलियतें देने का तरीका सरकार की तरफ से अपनाया गया है वह अधिकांशतः प्रशंसनीय है और जो आगे भी कदम है सरकार का उन सुविधाओं को बढ़ाये जाने में उसका भी मैं स्वागत करता हूं, परन्तु मैं जनता के दृष्टिकोण से भी दो एक बातें सरकार के सामने रखना चाहता हूं।

पहली बात यह है कि प्राइवेट बसें जो पश्चिमी यू० पी० में चलती हैं उनकी तथा रोडवेज की एफिशियेंसी में बड़ा फर्क है। पहले भी प्राइवेट बसों में बड़ी अव्यवस्था थी, कार्यकुशलता का अभाव था और एक तरह से असहनीय था। परन्तु जब से रोडवेज की बसें चालू हुईं और उनमें जनता की सुख सुविधा के अलावा कर्मचारियों के लिये भी सहूलियतें बढ़ाने का तरीका अख्तियार किया गया तो उसका अधिकाधिक प्राइवेट बसों ने कम्पीटीशन किया। मैं व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव करता हूं कि पश्चिमी यू० पी० में यह स्थिति है कि यदि आमने सामने प्राइवेट बस हो और सरकारी बस चालू हो तो उस होड़ में सरकारी बस की स्थिति कठिन नजर आयेगी, इसकी कुछ वजूहात हैं।

इसकी एक वजह यह है कि रोडवेज के कर्मचारियों में एक ऐसी उदासीनता है यात्रियों के प्रति कि कभी कभी तो वह असहनीय हो जाती है। प्राइवेट बसों के कर्मचारी इसके विपरीत यात्रियों के प्रति बहुत ज्यादा उत्सुकता रखते हैं और उनको अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। दूसरे रोडवेज की गति बहुत कम है। सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक १०० मील का सफर है। प्राइवेट बसों की एफ़िशियेंसी को देखते हुए सरकारी रोडवेज की एफिशियेंसी बहुत गिरी हुई है और मेरठ, मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर के बीच में गति इनकी इतनी धीमी होती है कि इन बसों को कहीं भी रोका जा सकता है, यहां तक कि जंगल में भी रोका जा सकता है। लेकिन यह १०० मील का सफर बहुत आसानी से प्राइवेट बसें ५ घंटे की अवधि में पूरा कर लेती हैं। इसके मुकाबले में जब कि रोडवेज की बसें अपने नियमों के अनुसार बहुत लम्बी दूरी के बाद रुकती हैं, जहां कहीं पैसेन्जर उनको रोक नहीं सकते लेकिन फिर भी उनकी गति बहुत कम है। तो इस कमी को दूर करने के लिये सरकार की ओर से प्रयत्न होना चाहिये।

जहां तक अन्य सुझावों की बात है, माननीय उग्रसेन जी ने बड़े तफसील के साथ उनको रखा। इस विभाग में भी पूरी शासन व्यवस्था इतनी टाप हैवी हो गयी है और ऊपर के मंहगे और भारी भरकम अफसर इस महकमे में इतनी बड़ी तादाद में रख दिये गये हैं कि उनकी उतनी यूटिलिटी नहीं है। इसी तरह से जनरल मैनेजर, उसके नीचे असिस्टेंट जनरल मैनेजर और फिर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की जो एक कड़ी जोड़ी गयी है उसमें मैं संदेह में हूं कि इसका जितना बड़ा खर्च है उससे उतनी मात्रा में रिटर्न्स भी आते होंगे। इस लिये मैं इस मांग का समर्थन करता हूं कि टाप हैवी मशीनरी में कमी होनी चाहिये और थोड़े अधिकारी रखे जाने चाहिये।

तीसरी बात यह है कि मैं यद्यपि इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस महकमे का अपना न्यारा बजट हो जैसा कि रेलवे में होता है क्योंकि रेलवे की तो अपनी रेलवे लाइन होती है, वे रेलवे लाइन बिछाते हैं और अपने पास से सब पैसे की पूर्ति करते हैं मगर रोडवेज विभाग की वह स्थिति नहीं है। यहां सड़कें दूसरा महकमा बनाता है, उसमें जनता का पैसा लगता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर एक महकमे को इतनी बड़ी धनराशि व्यय के लिये दी जाय तो उससे एकोनामी में बैलेन्स लूज़ होने का डर है। लेकिन फिर भी माननीय सदस्यों ने जो यह सुझाव रखा उसका मन्शा यही था कि आमदनी लेने के लिये तो फाइनेन्स डिपार्टमेंट बहुत व्यग्रता प्रदर्शित करता है लेकिन इस महकमे से जो आमदनी होती है उसका जनता और कर्मचारियों की सेवा और इस महकमे की उन्नति के लिये उचित मात्रा में अंश देने के लिये कंजूसी प्रदर्शित करता है।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार का ध्यान इस स्थिति की ओर आकर्षित करता हूं कि रोडवेज के नियमों में सुधार होना चाहिये और परिवहन विभाग के ऐक्ट में तरमीम होनी चाहिये क्योंकि जो दुर्घटनायें होती हैं जिन में सैकड़ों आदमी इस प्रदेश के मारे जाते हैं उनमें बिरले ही किसी ड्राइवर को उसकी ग़लती के अनुसार सज़ा होती हो वरना सज़ा होना मुश्किल है क्योंकि नियम ही ऐसे बने हुये हैं। इसलिये उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके अलावा यह एक पिछड़ा प्रदेश होने के कारण यन्त्रों से अच्छी तरह परिचित न होने की वजह से जितनी लापरवाही बरती जाती है मोटर कर्मचारियों की तरफ़ से उसमें कानून में इतनी शिथिलता रखी गयी है कि किसी भी कर्मचारी का उस दुर्घटना के कारण अदालत से दण्डित होना बहुत मुश्किल है। यह सुझाव मैं आप के जरिये देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय हरीसिंह। अब मैं ५–५ मिनट का समय दूंगा क्योंकि काफी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं और समय कम है।

***श्री हरीसिंह** (जिला मेरठ)—उपाध्यक्ष महोदय, जब मेरा नम्बर आया तो ५ मिनट रह गया। इससे तो न बोलना ही अच्छा है क्योंकि ५ मिनट तो बातें करने में ही खत्म हो जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय हरीसिंह पर मुझे विश्वास है कि ५ मिनट में काफी काम की बातें वह कह सकते हैं।

श्री हरीसिंह—आप मुझे १० मिनट और दे देंगे तो १५ मिनट हो जायंगे, मेरा काम हो जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने परिवहन मन्त्री को इस अनुदान पर हार्दिक बधाई देता हूं और हमारे माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूं। साथ ही मैं उनसे यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि उधर बैठने वाले माननीय सदस्य जो बौछारें करते हैं उनको इधर बैठने वाले सदस्य चुपचाप सहते हैं। तो जब इधर के बैठने वाले सदस्य उत्तर देते हैं—बौछारें तो ये करते नहीं—तो कम से कम उस उत्तर को तो सुनने के लिये उधर के माननीय सदस्य तैयार रहें और खामोशी से सुनें।

जहां तक इस विभाग का संबंध है, यह मानी हुई बात है कि प्रत्येक वर्ष इसकी प्रशंसा होती है। यह एक ऐसा विभाग है जिसकी कोई बुराई नहीं करता बल्कि इसकी प्रशंसा की जाती है क्योंकि इस विभाग के मंत्री जी और कर्मचारी इस योग्य हैं और इतना परिश्रम तथा देखभाल करते हैं कि जनता को कोई कष्ट न हो पाये। जैसे जनता और विभागों से व्याकुल हो जाती है वैसे इस विभाग से नहीं है। इसलिये भी मैं इस विभाग की प्रशंसा करता हूं कि यह गरीब और मजदूरों को रोजी देता है। इस विभाग में कुली भी काफी तनख्वाह पाते हैं। एक आदरणीय सदस्य ने कहा था कि इस विभाग में गबन होता है तो श्रीमन्, यह कौन-सी बड़ी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरी सिंह]

बात कह दी । हम जब खेती करते हैं तो चूहे खा जाते हैं । सरकार की तरफ से चूहे मारने के लिये मदद दी जाती है फिर भी नहीं मार पाते हैं । फिर यह तो एक विभाग है । जो गबन करता है उसको सजा मिलती है । आप जो भ्रष्टाचार की शिकायतें किया करते हैं वह इस विभाग में नहीं हैं । आप जहां बुराइयां करते हैं वहां प्रशंसा की जो बात हो उसे भी तो कह देना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि गरीबों को रोजी मिलती है । श्रीमन्, अगर आप समय दें तो मैं परमिट की बात स्पष्ट कर दूं । जिनको परमिट मिल जाते हैं वह तारीफ करते हैं और जिनको नहीं मिलते वह बुराई करते हैं । मुझे परमिट नहीं लेना है इसलिये मैं ईमानदारी की बात कहता हूं ।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, दस मिनट और दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष---समय बहुत कम है ।

श्री हरीसिंह---श्रीमन्, मुझे बहुत कुछ कहना है । जिस तरह से जगजीवनराम जी ने हरिजनों के रिजर्वेशन को पूरा किया है उसी तरह से मंत्री जी तथा इस विभाग के अधिकारी उसको पूरा करें ।

दूसरी बात यह है कि आप परमिट का किस्सा न रखकर फ्री कर दीजिये वरना जो इस काम को करते हैं उन सब को परमिट मिलने चाहिये । जनता आज स्वार्थ के वशीभूत हो गई है और मना करने पर भी वह रिश्वत दे आती है । एम० एल० एज० को परेशान किया जाता है कि सिफारिश कीजिये । यह दशा हमारी जनता की है । इस समिति में हमारे गेंदासिंह जी हैं, उनको लोग घेरे रहते हैं और हमें भी परेशान करते हैं यह हाल है । कुछ कहने से पहले आप अपने को देखिये ।

तीसरी बात यह है कि छोटे कर्मचारियों को मुस्तकिल कर दिया जाय और उनकी पे ६० रुपये से कम न हो । मैं नहीं चाहता हूं कि जी० एम० को रखा जाय और जो अधिकारी हैं वह ठीक हैं, उसी तरह से रहने चाहिये क्योंकि महकमे को हानि लाभ की उनकी जिम्मेदारी है । वह दिन-रात परिश्रम करते हैं । इसीलिये इसमें करप्शन नहीं है । यदि इस विभाग में भी ऐसे अधिकारी हो जांय जो दफ्तरों में बैठे रहें तो इसमें भी भ्रष्टाचार हो जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष---समय समाप्त ।

श्री हरीसिंह---दो मिनट और दे दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---सात मिनट दे दिये गये हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने की प्रेरणा इसलिये मिली कि उधर के कुछ माननीय सदस्यों ने जो विरदावली गान इस विभाग का किया उससे सत्य छिप गया । जनता को जो सुविधायें हुईं, विभाग को जो नुकसान हुआ तथा देश की और जनता की सम्पत्ति का जो अपव्यय हुआ, ये सारी बातें छिप गईं । इन तमाम बातों की शिकायतें छिप गयीं ।

मैं सबसे पहले इस विभाग की एक किताब बटी है, उसके ऊपर माननीय मंत्री और आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । परिवहन विभाग की स्वयं की कसौटी है सुविधा पूर्ण सत्वर और दक्षतापूर्ण साधनों की व्यवस्था करने का प्रबंध करना । अब इस कसौटी पर कस लें कि यह विभाग कितना सुविधापूर्ण, सत्वर और दक्ष है । अगर हम इस दृष्टि से तमाम विभाग के कार्यकलापों को देखें तो पता चलेगा कि इन तीनों में यह विभाग पूर्णतया असफल है मुझे बड़ा अफसोस होता है उन माननीय सदस्यों पर जिन्होंने इस विभाग के कार्यों पर संतोष

प्रकट किया है क्योंकि हो सकता है कि एम०एल०ए० को सुलभ सुविधाओं के फलस्वरूप वे इस विभाग की सही स्थिति न जान सके हों। जहां तक मुझे ज्ञात है कुछ ऐसे आदेश हैं जिनके द्वारा एम०एल०एज० को कुछ विशेष सुविधायें इस विभाग में प्राप्त हैं, अगर उन सुविधाओं को ध्यान में रख कर विभाग को देखना है, तो सचमुच सही स्थिति का पता नहीं लगेगा। ज्यादातर माननीय सदस्यों ने इसी मापदंड द्वारा पता लगाया है। लेकिन मेरे जैसे आदमी की तरह, जैसे सभी लोग सफर करते हैं, उस तरह से सुविधाओं का पता लगायेंगे और देखेंगे कि जनता को कितना कष्ट है तो सही स्थिति का पता लगेगा। जैसा कि दूसरे सदस्यों ने कहा अगर इसके बराबर कोई तुलनात्मक रूप में बसें चलती होतीं तो सरकार टिकती ही नहीं क्योंकि विनम्रता और सत्वरता का इस विभाग में नितांत अभाव है। पांच घंटे में जगह बजगह उतरते चढ़ते दिल्ली, से देहरादून, सहारनपुर का १०० मील का सफर करते हैं। प्राइवेट बसों द्वारा यहां से कानपुर बस जाती है। पौने तीन घंटे में पैसेंजर बस लखनऊ से कानपुर ४५ मील पहुंच पाती है। क्या सुविधा प्रदेश के लोगों को मिली? सब का समय कीमती होता है। उसका कितना बड़ा अपव्यय किया है इस विभाग ने। सात सात, आठ-आठ घंटे १०० मील के सफर में लगते हैं। लोगों के समय की कोई कीमत ही विभाग नहीं समझता। भैंसा गाड़ी की तरह किसी तरह पैसेंजर को पहुंचा देते हैं और अगर बिगड़ जाती है तो छः घंटे से पहले टिकट का दाम वापस नहीं हो सकता, यह सत्वरता की सुविधा प्राप्त है। छः घंटे के बाद पैसा वापस करने के मतलब यह हैं कि विभाग स्वयं समझता है कि हमारी कमजोरी क्या है। वह समझता है कि छः घंटे में सुविधा प्राप्त करा पायेंगे।

दूसरी तरफ जहां तक शिकायतों का प्रश्न है इस विभाग की हमने एक विशेषता देखी—रेल में अगर कोई शिकायत कर दे तो उसका जवाब आयेगा कि क्या कार्यवाही की गयी लेकिन इस विभाग की कम से कम मैंने १० शिकायतें कीं। मैंने माननीय मंत्री जी को तीन शिकायतों का हवाला दिया इस गुस्से में कि आपके यहां कोई कार्यवाही नहीं होती है। टेलीफोन पर कहा। लिख कर दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, कोई सूचना नहीं मिली। जब आदरणीय सदन के माननीय सदस्य लिख कर देते हैं तो उनके पास भी कोई सूचना नहीं पहुंचती, कम से कम मेरे पास नहीं पहुंची जबकि मैं बराबर ध्यान आकृष्ट करता रहता हूं। पता नहीं इसलिये नहीं भेजते हैं कि इनके पास यह रेकार्ड हो जायगा कि इतनी शिकायतें हुईं। लेकिन मैं तो शिकायतें जमा ही करता जाता हूं। यह विभाग की एफीशियेंसी है, यह सुविधा वह प्रदान करता है।

मैं आपको बताऊं अभी पिछले महीने का किस्सा है। मैं ३ या ४ फरवरी को अपने क्षेत्र में राजपुर गया था। वहां बस स्टेशन पर कुछ लोग खड़े थे। वहां उनको कुछ असुविधा हुई तो उन्होंने शिकायत की किताब को मांगा। वहां पर जो इंचार्ज था उसने किताब को देने से इन्कार कर दिया। जब इस तरह से उन लोगों को शिकायत की किताब नहीं दी जाती तो फिर शिकायत की किताब रखने से क्या फायदा है। मैंने उन इंचार्ज को बुलाया और कहा कि तुमको शिकायत की किताब देनी पड़ेगी, उन्होंने देने से इन्कार किया होता लेकिन जब उसको मालूम हुआ कि मैं फलां आदमी हूं तो उसने दिया। मैंने उस किताब पर यह सब लिख दिया लेकिन उस शिकायत के बारे में मुझे आज तक मालूम नहीं हो सका कि सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की। यह इस विभाग का हाल है। मैं यह समझता हूं कि अगर इस विभाग के लिये प्रशंसा में एक शब्द भी कहा जाय तो यह इस प्रान्त की जनता के साथ ज्यादती होगी, जनता के साथ अन्याय होगा।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

यह जो किताब बटी है उसमें इस बात का उल्लेख नहीं है कि प्रति वर्ष दुर्घटनाओं की क्या संख्या रही, कितने व्यक्ति हताहत हुये, कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ। इसके लिये यहां पर वर्णन होना चाहिये था। उन्होंने इन बातों का यहां पर उल्लेख नहीं किया है इससे यही मालूम होता है कि कितनी इनएफिशियेन्ट तरीके से यह बसें चलती हैं तभी दुर्घटनाओं का भंडाफोड़ नहीं किया इसके अन्दर केवल विरुदावली का गान किया गया है कि इतना मुनाफा हुआ है। जब किसी चीज पर मोनोपोली कर ली गई हो तो उसको हम मुनाफे से नहीं जज करेंगे। उसको हम सुविधा से जज करेंगे कि लोगों को कितनी सुविधा दी गई, लोगों को कितना आराम मिला। जब सदस्यों को इन सब बातों की जानकारी होगी कि कितना लोगों को कष्ट हुआ, और कितना आराम मिला तभी माननीय सदस्योंको जानकारी होगी कि यह विभाग किस प्रकार से, एफिशियेन्ट या इनएफिशियेन्ट तरीके से चल रहा है। इस विभाग को जांचने का यही हमारा आधार हो सकता है। अगर इन बातों को इस पुस्तक में प्रकाशित किया जाता तो हम जान सकते कि यह विभाग किस तरह से काम कर रहा है। मगर उन चीजों को प्रकाशित नहीं किया गया है नहीं तो सरकार के इस विभाग का भंडाफोड़ हो जाता। इससे यह साबित होता है कि सरकारी विभागों में जो इन-एफिशियेन्ट विभाग हैं यह उनमें से एक विभाग है।

सब इस बात को जानते हैं कि इस विभाग के लिये कोई रूल या रेगुलेशन नहीं है। जिस रोड पर अपनी मोटर चलाना चाहते हैं उस पर अपनी मोटर चलाते हैं और उस रूट को ले लेते हैं। जहां पर अधिक आवश्यकता होती है, अधिक जन संचार होता है वहां पर उस रूट को प्रायः नहीं लिया जाता है। हम इस बात को खूब समझते हैं कि किस प्रकार के सुख और सुविधा का खयाल करके सरकार रूट को लेती है। यह बात उचित और आवश्यक है कि ज्यादा से ज्यादा सुविधा सरकार को देनी चाहिये जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बसों में चलें और सरकार को लाभ हो। यद्यपि इसी सम्बन्ध में यहां पर उग्रसेन जी ने जिक्र किया लेकिन मैं उस बातको जोर देकर कहना चाहता हूं कि बुन्देलखंड को देखा जाय, वहां पर इतने लम्बे और आवश्यक रूट हैं लेकिन अभी तक उनको नहीं लिया गया है। वहां पर उनमें सरकारी बसेज नहीं चल रही हैं। वहां पर बड़े जोरदार शब्दों में यह बात सुनने में आई और लोगों ने बतलाया कि जब वहां पर रूट को लेने की बात चली तो लोगों ने २, ३ लाख रुपया रिश्वत में विभाग को दिया। वह रुपया कहां गया किसे दिया गया, यह नहीं कहा जा सकता लेकिन इस तरह से वहां पर कहा जाता है कि प्राइवेट बस वालों ने अपनी जेब से इतना रुपया दिया। अगर सरकार को सुविधा का खयाल है तो वह कालपी से झांसी के रूट पर अपनी बस क्यों नहीं चलाती है? चित्रकूट, करवी से बांदा तक बस चला सकती है, यह भी अच्छे ए क्लास रूट हैं लेकिन सरकार ने इन को नहीं लिया है।

मुझे इस बातकी सूचना है कि एक स्थान पर जनरल मैनेजर की कुछ बातचीत हो गई प्राइवेट बस वालों से कानपुर में गजनेर रूट पर क्योंकि प्राइवेट बस वाले कच्चे रास्ते पर बस चलाते थे। बस वह रास्ता उन पर नहीं रहने दिया और कच्चे रास्ते पर सरकारी बस चला दी और उस रास्ते का राष्ट्रीयकरण कर दिया। किन्तु जो १०० या ५० मील के रास्ते हैं उनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाता है, उनको सरकार प्राइवेट कंट्रोल में दे देती है। जहां पर जनता को सुविधा देना चाहिये था वहां पर उनको सुविधा नहीं दी जा रही है। मैं समझता हूं कि प्रदेश का सर्वे किया जाय और जहां पर अच्छी सड़कें हैं, ए-क्लास रूट हैं उन पर सरकार को अपनी बस चलाने का इन्तजाम करना चाहिये। बुन्देलखंड का उदाहरण मैंने दिया कि वहां पर बस चलाने की जरूरत है किन्तु वहां पर रूट को नहीं लिया जाता है क्योंकि इसमें अफसरों का भी फायदा है और प्राइवेट लोगों को बसेज चलाने का प्रोत्साहन देकर वोट कांग्रेस को मिल जाता है। इस वजह से उन रास्तों का राष्ट्रीयकरण नहीं होता है। इसलिये मैं इसको उचित नहीं समझता हूं कि इस विभाग की प्रशंसा में एक भी शब्द कहा जाय।

इस विभाग का अजीब हाल है। सारे प्रदेश में हिन्दी में काम चल रहा है लेकिन इस विभाग में टिकट जो दिये जाते हैं वह भी अंग्रेजी में दिये जाते हैं। ड्राइवर और कंडेक्टर ज्यादा अंग्रेजी

जानते नहीं हैं लेकिन अफसर लोग अपने हुकुम जो भेजते हैं वह अंग्रेजी में भेजते हैं फलतः अंग्रेजी में रोब दिखाने के लिये कन्डक्टर भी टिकट अंग्रेजी में काटते हैं। यह अफसरशाही नीचे से ऊपर तक है। यह राष्ट्रीयकरण है या नौकरशाही का नंगा नाच जो विभाग में चल रहा है? श्रीमन्, मैंने जिला कानपुर में राजपुर बस स्टेशन पर शिकायती किताब में भी लिखा था, वहां बोर्ड लगे हैं "ड्रिंकिंग वाटर हियर"। बेचारा देहात का आदमी कुछ जानता नहीं, समझता नहीं और पानी के लिये परेशान होता है। अंग्रेजी के साइनबोर्ड से उसका कोई फायदा होता नहीं। मैंने कई बार विभाग के लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया, शिकायत भी लिखी, लेकिन कोई काम ठीक ढंग से नहीं हुआ। टिकट बांटने में केवल गांव का नाम लिखना होता है, वह भी अंग्रेजी में लिखा जाता है इसलिये कि इसमें उनको आब दिखाने का मौका मिलता है। ताज्जुब है कि इस के लिये आज तक कोई आदेश नहीं दिया जा सका।

श्रीमन्, देखा जाय कि इस में अपर क्लास आज भी चल रहा है। प्रदेश में देहातों में ही ज्यादा बसें चलती हैं। सिटी में तो किसी में अपर क्लास नहीं होता, तो कौन-सी ऐसी खास बात देहात के लिये है कि जिस के कारण अपर क्लास को आज मेंटेन किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि पैसा कमाने के लिये ही इसको रखा गया है। इसे रख कर आप समानता कहां लाये? दोनों में एक तरह के गद्दे लगते हैं, एक-सी सुविधा रहती है, फिर क्यों नहीं इस को समाप्त कर एक श्रेणी बना दी जाती? इन बातों के साथ-साथ और बहुत-सी बातें कहनी थीं, लेकिन चूंकि समय कम है इसलिये इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे यहां न ठीक से काम हुआ है और न सुविधा ही मिली है। जनरल मैनेजर, कानपुर को भी मैंने एक दिन कहा था और लिखा था कि सहानुभूतिपूर्वक ध्यान रखना चाहिये मुसाफिरों का। मैं अपना एक उदाहरण दूं। मुझे बुखार था और इसलिये मैंने कंडक्टर से कहा कि मुझे यहीं उतार दीजिये। उसने कहा, नहीं। मैंने कहा कि केवल मैं ही अगले स्टाप पर उतरने वाला हूं अतः आपको एक बार ही बस को रोकना पड़ेगा और उतना ही समय वहां भी लगेगा लेकिन वह मुझे दो मील आगे ले गया। अकेला मैं ही उतरने वाला था और उसे मेरे लिये एकबार बस रोकनी पड़ी, लेकिन उसने वहां मुझे नहीं उतारा। तो इस तरह के व्यवहार से फायदा क्या। सामान्य जन के साथ व्यवहार ऐसा निर्दय होता है। अगर मैं कह देता कि मैं एम०एल०ए० हूं तो शायद उतार देता। लेकिन मैं अपना परिचय इस तरह से कभी देता नहीं। तो इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--श्री एस०जी०दत्त, आप के लिये ५ मिनट हैं।

***श्री एस० जी० दत्त** (जिला कानपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सब्र और मेहनत के बाद यह मौका मिला है। सारे दिन उठक-बैठक करता रहा, सारा खाना हजम हो गया और मिले हैं केवल ५ मिनट। इसमें मैं क्या कहूं, खैर।

मैं इस रोडवेज के अनुदान के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और माननीय उग्रसेन जी के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। माननीय उग्रसेन जी ने एक नया तरीका अख्तियार किया है। जैसी उनकी आदत है, क्रिटिसाइज तो करना ही चाहिये। लेकिन आज उसका ढंग दूसरा है। आज रोडवेज के मजदूरों, कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों के साथ हमदर्दी की बात भी कही गयी। कहां तक यह सच है यह तो मैं नहीं जान सकता, लेकिन हम को भी उन के साथ हमदर्दी है। जो कुछ आप ने फरमाया वह ही हकीकत नहीं है। मैंने सुना कि यह विभाग ऐसा है कि जो बिना किसी कायदे कानून के चल रहा है। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। हर विभाग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री एस० ओ० दत्त]

में कुछ कायदा कानून होता है और आप कैसे कहते हैं कि कोई कायदा कानून नहीं है। एक प्लानिंग है, बसें रन कर रही हैं टाइम से, सब काम अपने कायदे से, अपने समय पर हो रहा है, तनख्वाहें वक्त पर बंट जाती हैं, सब कुछ होता है, और उसके बाद भी आपने यह कैसे कहा, यह मेरी समझ में नहीं आया और शायद आपकी समझ में भी नहीं आया होगा। फिर आपने कहा कि ए०टी०आई० तो हैं लेकिन टी०आई० नहीं हैं। कम से कम ऊपर के अफसर तो हैं। मेरा खयाल यह जरूर है कि टी०आई० जरूर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जब एडमिनिस्ट्रेशन हो तब आफिसरान न हों।

तीसरी बात यह कही गयी कि रीजनल मैनेजर रखने की क्या जरूरत है। अरे भाई! यह तो जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है वह जानता है कि जरूरत है या नहीं। आपको क्या मालूम आपने कभी एडमिनिस्ट्रेशन चलाया हो तो आपको मालूम हो। आप क्या जानें कि एडमिनिस्ट्रेशन किस बला का नाम है।

यह कहा गया कि लखनऊ सब से छोटा रीजन है। मैं कहता हूं लखनऊ मेरठ के बाद सबसे बड़ा रीजन है जो सबसे ज्यादा आमदनी देता है। हमारे साथ माननीय अवस्थी जी आते जाते हैं वे जानते हैं कि कानपुर से लखनऊ तक जो बसें आती हैं वे कितनी भरी हुई होती हैं सवारियों से।

यह कहा गया कि यहां प्रावीडेंट फंड नहीं है। हो सकता है यह ठीक हो। लेकिन ऐसा है (Rome was not built in a day) बच्चा भी नौ महीने बाद पैदा होता है। लेकिन यह सोशलिस्ट पार्टी वाले हथेली पर सर्सों जमाना चाहते हैं। यह कैसे हो सकता है। रेलवे ने कितना टाइम लिया। यह बसें तो सन् १९४८ से चलाई गयीं हैं। तो इसमें भी कुछ समय तो लगेगा ही। आपके सामने कम्युनिस्ट भाइयों ने भी इस विभाग की तारीफ की, दूसरे लोगों ने भी तारीफ की। इस विभाग की सबसे बड़ी तारीफ तो यह है कि जो हमारे नौजवान बी०ए० और इन्टरमीडियेट पास होकर घूमते फिरते थे आज इस विभाग में जज्ब होते जा रहे हैं। इसी रोडवेज के कारण आज कई सड़कें बनायी गयी हैं। मैं ऐसा समझता हूं अगर यह सड़कें इस विभाग को दे दी जायं तो ज्यादा अच्छा इन्तजाम इसका हो सकता है। गाड़ियों की रफ्तार के बारे में कहा गया, ठीक है उसकी रफ्तार बढ़ाना चाहिये।

मैं अब कानपुर के बारे में और कहना चाहता हूं। वहां पर रोडवेज बस सर्विस होनी चाहिये और अगर मुनासिब हो तो यह रिक्शा जो चल रहे हैं उनकी जगह रिक्शा-मोटर चलाई जायं तो बहुत अच्छा होगा। इससे अनइम्प्लायमेंट कुछ होगा लेकिन उसे किसी न किसी तरह हल किया जा सकेगा। इस पर हमें विचार करना चाहिये।

जो यह कहा गया कि ए० टी० आई० की तनख्वाह बढ़नी चाहिये, मैं समझता हूं वह भी आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ेगी। मैं जानता हूं यह विभाग हमारे जिन मंत्री जी के हाथ में है और जिन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास है वे बहुत लायकवर हैं। उनके हाथों में यह विभाग आने से इस विभाग की काफी आमदनी बढ़ी है।

श्री उपाध्यक्ष—समय समाप्त हो गया।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने विधान मंडल की स्थायी समितियों के सदस्यों के लिये तथा ईरान के प्रतिनिधि मंडल और आइजनहोवर के आगमन के समय चाहे जो सुविधायें प्रदान की हों, किन्तु उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिये परिवहन का प्रबंध और उनकी समस्या का हल इस सरकार ने कर लिया हो यह मैं नहीं मानता हूं। और जब मैं उत्तर प्रदेश की बात कहता हूं तो मैं अपने को केवल वहीं तक सीमित रखता हूं जहां कहीं सड़कों का इस विभाग की ओर से राष्ट्रीयकरण किया गया है।

१९६०-६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ७—लेखा शीर्षक १२-मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय, अनुदान संख्या ३१—लेखा शीर्षक ४७-प्रकीर्ण विभाग और ४४—उड्डयन, अनुदान संख्या ५२-लेखा शीर्षक ७०-जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधार पर पूंजी की लागत तथा ८२-राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा

मान्यवर, जो विवरण सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है उसमें यह बताया गया है कि ७,४१८ मील पर २,८०० बसें चलती हैं। अगर यह अनुपात पहले से देखा जाय तो हमको यह मालूम होगा कि जहां पर आज भी प्राइवेट बसेज चलती हैं, उनकी तादाद तथा अनुपात इससे ज्यादा होगा-संभवतः वह दो और ढाई गुना होगा। अब इसके लिये मैं किसी व्यक्ति विशेष को दोषी नहीं मानता, बल्कि सरकार की जो नीति है मैं उसको इसके लिये दोषी ठहराता हूं। सरकार को जिस समय किसी सड़क का राष्ट्रीयकरण करना हो और वहां पर यदि विभाग की ओर से बसें चलाई जायं तो सरकार का कर्त्तव्य है कि जितनी प्राइवेट बसेज उस समय चलती थीं उस रोड पर, उतनी ही सरकारी बसेज चलनी चाहिये। और यदि उतनी बसें नहीं चलती हैं तो उस क्षेत्र के रहने वालों की, उस रीजन के रहने वालों की, उस सड़क से यातायात करने वाले यात्रियों के आने-जाने के लिये जो सुविधायें हैं वह हर दम कम रहेंगी। समय के लिहाज से प्राइवेट बसेज जोकि थाने में दो-दो घंटे रोकी जाती हैं उस समय को यदि निकाल दिया जाय तो सरकारी विभाग की ओर से जो मोटरें चलती हैं उनसे एफिशियेंसी में बहुत आगे हैं। और उसके साथ ही साथ सरकारी बसों में सिक्योरिटी का जो प्रबंध है वह तो सबसे ज्यादा खराब है। जिस समय किसी बस के अन्दर बैठिये तो पढ़ने को मिलेगा कि सामान का जिम्मेदार रोडवेज विभाग नहीं है। दाम पूरे लेंगे, किराया पूरा हासिल करेंगे, लेकिन हमारे बक्से, बिस्तरे की जिम्मेदारी रोडवेज विभाग की नहीं है। हवाई जहाज से सफर करने वालों का सामान लिया जाता है, उसमें लेबिल लगाया जाता है, कंडक्टर उसको सम्भालता है, आदमी के हवाई अड्डे पर उतरने पर उसको सामान वापस किया जाता है। रेलगाड़ी में सफर करने पर मुसाफिर अपना सामान अपने सामने रखे रहता है, लेकिन रोडवेज की बसेज में सामान साथ रखा नहीं जा सकता और ऊपर रखने पर रोडवेज उसकी जिम्मेदारी लेता नहीं है, यह बड़ी दिक्कत की बात है और मैं समझता हूं कि डिपार्टमेन्ट को इस तरफ ध्यान देना चाहिये। इसके लिये सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जिस तरह से हवाई जहाज में सफर करने वालों के सामान पर लेबिल लगाया जाता है, उसका एक आना, एक पैसा, दो पैसा एक्सट्रा चार्ज किया जाय, लेकिन लेबिल लगाये जायं सामान पर और उतरने पर वह सामान वापस किया जाय। आज यदि इस विभाग से पता लगाया जाय तो हर रीजन से दो, चार, दस शिकायतें इस तरह की जरूर आती हैं कि जब बक्स गायब हो जाते हैं, जेवर उठ गया होता है, बिस्तरे और कागजात गायब हो जाते हैं। तो मैं इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा और निवेदन करूंगा कि उस तरफ भी ध्यान देने की कृपा करें।

मान्यवर, किसी विभाग की सफलता इस बात पर नहीं है कि उसने कितना पैसा कमाया, और खास तौर से रोडवेज विभाग जोकि अब एक तरह से औद्योगिक विभाग की तरह से काम कर रहा है, जिसकी मानोपोली, एकाधिकार है उससे कोई प्रतिस्पर्धा करने वाला नहीं है, तो इसकी कसौटी तो केवल सुख-सुविधा यात्रियों को कितनी मिल रही है इस पर करनी चाहिए। आप देखें कि कहीं पर भी बुकिंग स्टेशंस पर वेटिंग रूम्स नहीं हैं। छोटी-छोटी जगहें हैं, यात्री धूप में खड़े हो जाते हैं, लाइन लगाते हैं तब टिकट मिलता है, तब बस पर जाकर बैठ पाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि यात्रियों की सुख-सुविधा को और ज्यादा बढ़ाया जाय। इस विभाग ने एक नियम बना रखा है नियमों के अन्तर्गत, कि कहीं भी जहां प्राइवेट बसेज चलती हैं उनको ५ साल का लाइसेंस दिया जाता है, लेकिन अगर इनकी नियत खराब हुई तो एक ही साल में बसेज चलानी शुरू कर देते हैं। मैं इस सम्बन्ध में मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह शुरू से अपने दिमाग को सही और साफ रखें। विभाग पहले से जान ले कि किस मार्ग का राष्ट्रीयकरण करना है और कहां पर सरकारी बसें चलने वाली हैं। जिस मार्ग का राष्ट्रीयकरण करना हो और अपनी बस चलानी हो वहां पर २-४ साल पहले लाइसेंस

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

देना बन्द कर दें। यह नहीं होना चाहिये कि अगर कोई आदमी थोड़ी-सी पूंजी लगाकर, कर्ज लेकर या कोआपरेटिव ढंग से मोटरों का लाइसेन्स ले और प्राइवेट बस चलाये तो एक साल के बाद सरकार नोटिस दे दे और उसको रोक दें। यह तरीका गलत है, इसको रोकना चाहिये। इसके साथ ही साथ यह डिपार्टमेन्ट टूटने वाला नहीं है, परमानेन्ट डिपार्टमेन्ट है फिर भी आजतक इसमें सर्विस रूल्स नहीं बने हैं। मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह जल्द कर्मचारियों के सेवा नियम बनायें। साल भर पहले उन्होंने आश्वासन दिया था कि सर्विस रूल्स बन रहे हैं लेकिन आज जिस समय सभा सचिव बोलने के लिये खड़े हुये तो उन्होंने बताया कि इसके सम्बन्ध में एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। मैं समझता हूं कि अगर साल भर के बाद यह मालूम हो कि अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई, साल भर के बाद यह मालूम हो कि एक कमेटी बिठा दी गई है और साल भर के बाद यह मालूम हो कि सर्विस रूल्स बनने लगे हैं तो पिछले १२ सालों से तो यह विभाग ऐसे ही चल रहा है और आगे इस प्रकार से कब तक चलता रहेगा, यह कहा नहीं जा सकता।

माननीय दत्त जी ने कानपुर के सिलसिले में अपने विचार व्यक्त करते हुये यह अनुरोध किया कि वहां पर सरकारी बसेज चलाई जायं रिक्शों की जगह पर। अगर बस न चल सकें तो मोटर रिक्शे चलाये जायं, मैं इसका घोर विरोध करता हूं और मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस योजना को कार्यान्वित न करें। इससे वहां पर जो अनइम्पलायमेन्ट फैलेगा उसको किसी प्रकार से हल नहीं किया जा सकेगा और इस समय लोगों को जो रोजी मिल रही है वह रोजी भी उनकी चली जायगी।

श्री उग्रसेन---उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिगतरूप से सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस विवाद में भाग लिया, चाहे इधर के या उधर के, उनका आभारी हूं। एक बात का मुझे अत्यन्त खेद है कि बहुत से माननीय सदस्य, चाहे वह इधर या उधर बैठते हों, यह समझ बैठे हैं कि यदि हम परिवहन विभाग का विरोध करेंगे, उस की खामियों और भ्रष्टाचार को प्रकाश में लायेंगे तो हम माननीय मन्त्री जी का व्यक्तिगत विरोध करेंगे। श्रीमन्, इस बात को देख कर मुझे इनकी बुद्धि पर बड़ा तरस आ रहा है। एक दोहा मुझे याद आ गया:

सचिव, वैद्य, गुरु तीन जो प्रिय बोलहिं भय आस।
राज, धर्म, तनु तीन कर होय बेग ही नाश।

श्रीमन्, हमारे नेता श्री राजनारायण जी ने इस सदन में एक दोहा कहा था, वह संस्कृत में था वह मुझे याद तो नहीं है लेकिन उसका अर्थ यह है कि निर्णय की सभा में या तो जाना ही नहीं चाहिये और अगर जाय तो सच बोलना चाहिये क्योंकि जो सभा सद वहां पर सत्य नहीं बोलता है वह पापी होता है। तो श्रीमन्, जब इस कसौटी पर उस को कसता हूं तो मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है. . . .

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप सीमा का उल्लंघन न करें। अब आप और बात करें, इस सम्बन्ध में बहुत हो गया।

श्री उग्रसेन---अब मैं दूसरी बात ही कह रहा हूं कि महीलाल जी ने कहा कि हमने नीतियों की चर्चा नहीं की। श्रीमन्, सोशलिस्ट पार्टी एक ऐसी संस्था है, वह क्या चाहती है उसकी क्या नीति है उसके बिल्कुल विपरीत सरकार की नीति है। यह रोडवेज का राष्ट्रीयकरण नहीं है, सरकारीकरण है। जिस प्रकार से इंगलैंड में लेबर गवर्नमेंट के जमाने में मैनेजीरियल बेसिस पर राष्ट्रीयकरण किया गया था उस प्रकार का भी यह राष्ट्रीयकरण नहीं है बल्कि बिलकुल यह गवर्नमेंट बेसिस पर सरकारीकरण है। केन्द्र में जो भिन्न भसानी कमेटी बैठी उस की रिपोर्ट पर ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर्स की कान्फ्रेन्स में विचार हुआ लेकिन उस प्रकार की भी कोई चीज नहीं की गई। आज ट्रान्सपोर्ट का काम चलाने के लिये जो काम शुरू किया गया है उसमें उपभोक्ता का कोई स्थान नहीं है। अगर एक ट्रान्सपोर्ट बोर्ड होता, उसमें

उपभोक्ता का एक प्रतिनिधि होता कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि होता और सरकार का एक प्रतिनिधि होता और उसके अनुसार सारे देश के ट्रान्सपोर्ट को चलाया जाता तब कहा जा सकता था कि वितरण और उत्पादन पर समाज का अधिकार है। आज तो जिस प्रकार से कन्सालिडेशन के कमिश्नर हैं उसी प्रकार से ट्रान्सपोर्ट के कमिश्नर हैं। इस विभाग में उसी प्रकार से एक चपरासी को २२·८ रुपये और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को २,५०० मिल रहे हैं। तनख्वाहों में जहां १०० गुने का अन्तर हो क्या उस को समाजीकरण कहा जायगा ?

एक बात मैं किराये के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। किराये के लिये कहा जाता है कि हमारे यहां बहुत लाभ हुआ। माननीय मंत्री जी दूसरे प्रान्तों के आंकड़े देकर हमारा लाभ अधिक भले ही दिखाने का प्रयत्न करें लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिये कि दूसरे प्रान्तों में कम फैलाव है, हमारे यहां ज्यादा है। वहां कम पूंजी लगी हुई है, हमारे यहां ज्यादा है, वहां प्राइवेट आपरेटर्स को कम डिसप्लेस किया गया है, हमारे यहां ज्यादा डिसप्लेस किया गया है। यहां किराये भी कोई कम नहीं हैं। अब एक पाई फ़ी मील भी सरकार कम करने के लिये तैयार नहीं है। फिर, कर्मचारियों को भी कोई सुविधा देने के लिये तैयार नहीं है। हमारे मंत्री जी केन्द्र में तो ट्रांसपोर्ट मंत्री होकर जावेंगे नहीं, क्यों न उन्हें यहीं मुख्य मंत्री बना दिया जाय ? देवरिया के रहने वाले हैं। हमें कोई एतराज नहीं है।

श्रीमन्, सीनियारिटी के फ़िक्सेशन के बारे में अभी तक कोई स्थायी नीति नहीं है। सन् १९५१ का जी० ओ० है कि डेट आफ नियुक्ति से होगा, सन् १९५३ का है कि मेरिट से होगा, सन् ५५ का है कि एप्रूवल की तारीख से होगा, सन् १९५६ का जी० ओ० है कि सीनियारिटी की तरीख से होगा और सन् ५७ का है कि नियुक्ति की तारीख से होगा। ये ५, ५ जी० ओ० हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। प्रदेश के सभी रीजनों में सीनियारीटी का फिक्सेशन ठप्प है। अगर किया जाय तो बड़े डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नीचे आ जावेंगे। रोडवेज के कन्डक्टरों की कोई लिस्ट नहीं है। मैंने अपने यहां के जनरल मैनेजर से कहा कि यह कन्डक्टर तो ५३ से हैं, यह क्यों नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि टाइम-बार्ड हो गया है। कहीं उम्मीदवार भी टाइम-बार्ड होते हैं ?

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---वह डिबेट को वाइन्ड अप कर रहे हैं या नयी बातें पैदा कर रहे हैं ? क्या बात है ?

श्री उपाध्यक्ष---किसी माननीय सदस्य की बातों का जवाब दे रहे होंगे।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। ट्रांसपोर्ट पब्लिक सेक्टर का उद्योग है। कोई श्रम कानून इस पर लागू नहीं हैं। सेंट्रल वर्कशाप में जरूर कुछ कानून लागू हैं वरना कहीं और फ़ैक्ट्री ऐक्ट या पेमेंट आफ़ वेजेज़ ऐक्ट लागू नहीं है। जितने श्रम कानून केन्द्रीय और प्रदेशीय सरकारों ने बनाये हैं वे सब रोडवेज विभाग के कर्मचारियों के लिये लागू होने चाहियें।

हिन्दी के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अंग्रेजी से कितना मोह है इस विभाग को ? एक यहां से सर्क्युलर गया सर्विस मैनेजर्स को। उसमें लिखा है कि एवरी सेकिन्ड ईयर कर्मचारियों को डांगरी दी जाय। मगर अफ़सर लोग कहते हैं कि २ साल के बाद, यानी एवरी थर्ड ईयर। नतीजा यह है कि गोरखपुर वर्कशाप के नीचे के कर्मचारियों को डांगरी मिलनी चाहिये थी दूसरे वर्ष लेकिन वहां जर्सी मिलती है हर तीसरे साल। माननीय वर्मा जी ने कहा कि ड्रिंकिंग वाटर लिखा है। किराये की सूची ७०, ८०फ़ीसदी स्टेशनों पर नहीं हैं जो है भी वह अंग्रेजी में। गोरखपुर रीजन का यह टाइम-टेबिल है, अक्तूबर का छपा है;

[श्री उग्रसेन]

इसमें जितना लिखा है, उसमें से एक भी लागू नहीं है। इस पर कुशी नगर का फोटो छाप दिया जाता है। दो आना इसका दाम है लेकिन वह बदल दिया जाता है और इसमें बदलाव नहीं होता, नया छापा नहीं जाता। इसमें किराये की दर और सूची सब अंग्रेजी में है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रदेश की कितनी जनता अंग्रेजी पढ़ी हुई है ?

जहां तक टाइमिंग का सवाल है, प्राइवेट आपरेटर्स की बसेज पंजाब से जम्मू तक जाती हैं लेकिन वे कितने समय से छूटती हैं। लेकिन यहां अगर किसी दारोगा को जाना हुआ या किसी अधिकारी को जाना हुआ तो ३-३, ४-४ घंटे उनका रुक जाना मामूली-सी बात है। संभ्रांत लोगों के घरों पर बसें जाती हैं। यह क्या बात है ? प्राइवेट आपरेटर्स की बसेज जो पश्चिमी जिलों में चलती हैं वे समय से और नियमानुसार चलती हैं। समय से गड़ियां छूटती हैं और समय से आती हैं।

मैं एक और सुझाव टिकट काटने के सम्बन्ध में देना चाहता हूं। अगर ब्लैंक बुक गायब हो जाती है तो उसका प्रिंटिंग चार्ज कंडक्टर से नहीं लिया जाता है वरन् उससे पूरा पैसा ले लिया जाता है। जिसकी छपाई में मुश्किल से ३ रु० ४ आने खर्च होंगे, उस के लिये उससे ७० और ८० रु० तक लिये जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है ? मैंने बम्बई में देखा है जहां कि स्टेट ट्रांसपोर्ट है, वहां पर कंडक्टरों के पास टिकट काटने के लिये एक छोटी सी टिकट प्रिंटिंग मशीन होती है। मोती लाल अवस्थी जी बतला रहे हैं कि चारबाग में भी ऐसी मशीन है। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कंडक्टर्स को टिकट प्रिंटिंग मशीन दे दी जाय ताकि उसे इस तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े।

एक माननीय सदस्य ने बतलाया कि लॉकर आने से भ्रष्टाचार दूर हो गया है, लेकिन असलियत यह है कि 'लॉकर' ही बतलाता है कि पहले भ्रष्टाचार कितना था अब कितना है। अगर आप रेवेन्यू को ही देखें तो उससे पता चल जायगा कि पहले कितना फरेब होता था और अब कितना होता है। 'लॉकर' तो इस बात को बतलाता है कि अब इन्सान की ईमानदारी के ऊपर भरोसा न कर लोहे के अन्दर किया जाय ? इसी नागरिक के अधिकार भारतीय संविधान के पन्ने बर पन्ने में भरे पड़े हैं। होता यह है कि वह चालान शीट कंडक्टर रखता है, जल्दी में उसको टिकट बनाना पड़ता है और टिकट उसने ठीक बनाया भी लेकिन चालान शीट भरने से रह गया और इसी बीच में ए० टी० आई० साहब आ गये, जो अपना काम नहीं करते हैं तो एक महीने बाद नोटिस मिल जायगी। १९५५ के बाद अब तक गोरखपुर रीजन के ४०० आदमियों को एक महीने की नोटिस दे दी गयी। कोई चार्जशीट नहीं, कोई जवाब नहीं और उनको एक महीने की नोटिस दे दी गई। अगर हाईकोर्ट के अन्दर यह मामला जाय तो संविधान के अनुसार यह बिलकुल अवैधानिक हो जायगा। इसी तरह से जो ७ रीजनल कमेटी बनी हुई हैं वे भी बिलकुल अवैधानिक हैं, उनको तुरन्त भंग कर देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसको मंजूर करेगा।

*डाक्टर सीताराम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जिन लोगों ने इस सदन के डिस्कशन में अपना हिस्सा बटाया। कटमोशन के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि माननीय श्री उग्रसेन ने बतलाया कि इस डिपार्टमेंट का न कोई कायदा है, न कोई कानून है, न कोई मैनुअल है, न कोई सर्विस बुक है और न कोई और चीज है। इस सम्बन्ध में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इस डिपार्टमेंट का कार्य अन्य डिपार्टमेंट्स की तरह ही होता है और यहां उन्हीं सर्विस रूल्स का पालन होता है जिनका कि और डिपार्टमेंट में होता है। मैनुअल का ड्राफ्ट हो रहा है और उसके लिये एक आफिसर की नियुक्ति हो चुकी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक माननीय सदस्य ने प्रदेशीय हिन्द फ्लाइंग क्लब का जिक्र करते हुये बतलाया कि उसमें बहुत बड़े-बड़े आदमियों के बच्चे ही ट्रेनिंग पाते हैं और कोई इसमें नहीं आता है और साथ ही साथ सरकार ने साढ़े ४ लाख रुपये की सब्सिडी उसे पारसाल दे दी। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को यह मालूम होना चाहिये कि यह फ्लाइंग क्लब जो उत्तर प्रदेश का है वह हिन्दुस्तान के सभी फ्लाइंग क्लबों के मुकाबले में नम्बर वन का है। मुझे यह घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है कि यहां के फ्लाइंग क्लब के अधिकारियों को नेपाल सरकार ने भी मांगा है। इसलिये मांगा है कि यहां का कार्य संचालन अच्छा है। इसमें ए० बी० सी० तीन तरह के लाइसेंस पाने के लिये ट्रेनीज ट्रेंड किये जाते हैं। चाहे वे बड़े घर के हों, चाहे छोटे घर के हों, सब को ट्रेनिंग दी जाती है। सन् १९४७ से लेकर १९५८ तक ४४७ आदमियों को पाइलट का लाइसेंस मिला। इनमें ए-श्रेणी के ४१०, ए-वन १५, बी-श्रेणी के ७ और सी-श्रेणी के १५ थे। इसी तरह से इंजीनियरिंग मे ए-श्रेणी के १२, बी-श्रेणी के ३, सी-श्रेणी के १४, डी०-श्रेणी के २ और ई-श्रेणी के ३ को लाइसेंस मिले। इसी तरह से यहां जो लोग पाइलट ट्रेनिंग पा चुकते हैं उन्हें अन्य जगहों में, आल इंडिया एयरलाइन्स कार्पोरेशन में तथा भारत के अन्य फ्लाइंग क्लब्स में काम दिया जाता है। इस लिये यह कहना कि उसको सब्सिडी जो दी जाती है वह वेस्ट की जाती है यह निहायत अनुचित बात है।

अभी माननीय सदस्य ने कहा था कि इस विभाग के आंकड़ों के बढ़ जाने से ही बधाई देना निरर्थक बात है। मैं बधाई की बात नहीं कहता लेकिन मैं दोनों ओर के ही माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि जिन्होंने इस विभाग के विषय में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है।

अभी माननीय उग्रसेन जी और माननीय वर्मा जी ने कहा कि बसों के राष्ट्रीकरण के कारण सरकार को प्राफिट होता है और दूसरों को मौका नहीं दिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के अन्य सूबों में कम बसें चलती हैं और इसलिये उनको लाभ कम है। उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से निहायत अदब के साथ मैं सदन को बताना चाहता हूं कि कई सदस्यों ने बम्बई की दोहाई दी है वहां पर जो नेशनलाइजेशन है, कारपोरेशन है, वहां का कैपिटल भी १९ करोड़ का है लेकिन उनकी आय केवल १ करोड़ ३ लाख की है लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे लिये यह बड़े ही गर्व की बात है कि केन्द्रीय सरकार ने इस बात को समझा है कि इस प्रदेश का परिवहन विभाग देश के समस्त सूबों के ट्रान्सपोर्ट विभाग के मुकाबले में नम्बर वन पर है और यही कारण है कि हमारे यहां के ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर श्री जी० एस० राठौर डेलीगेशन के लीडर बना कर योरोप, अमरीका और जापान आदि देशों में भेजे गये जिन के अन्डर में बड़े-बड़े आई० सी० एस०, आई० ए० एस०, एम० पीज० और जनता के प्रतिनिधि रहे हैं। यदि इस विभाग को कार्यदक्षता, कार्य संचालन और कार्यक्षमता देश के अन्य प्रदेशों से ऊपर न होती तो इस तरह से देश के अन्य प्रदेशों के मुकाबले में हमें यह सौभाग्य प्राप्त न होता।

अभी माननीय वर्मा जी ने कहा कि मसानी कमेटी की रिपोर्ट का पालन नहीं किया गया। मैं निहायत अदब के साथ सदन के सम्मुख कहूंगा कि वही रिपोर्ट है कि जिस के अनुसार इस विभाग का काम चल रहा है उन्हें स्वयं उस रिपोर्ट की बातें ज्ञात नहीं हैं और चले हैं आलोचना करने यू० पी० सरकार की। उनकी दलील बिलकुल थोथी है। जो बातें उस रिपोर्ट में हैं उन के अनुसार ८०-८५ प्रतिशत कार्यवाही इस सूबे की सरकार या यहां का परिवहन आयुक्त पहले से ही कर रहा है। वह रिपोर्ट इस प्रदेश के लिये कोई नया मंत्र नहीं है हम तो उसके अनुसार पहले से ही काम कर रहे हैं।

[डाक्टर सीताराम]

इसके बाद यह भी कहा गया कि पे-कमेटी क्यों नहीं बनाई जाती और ड्राइवर्स व कन्डक्टर्स का वेतन बहुत कम है। उनका कहना है कि किसी हायर जुडीशियल अफसर या किसी हाईकोर्ट के जज के अण्डर में कमेटी बनायी जाय। इस सम्बन्ध में मैं आप की आज्ञा से सदन को बताना चाहता हूं कि जहां तक जी० एम० व ए० जी० एम० का सवाल है या अन्य नीचे के कर्मचारियों का प्रश्न है, देश के समस्त सूबों के मुकाबले में हमारे सभी वर्ग के कर्मचारियों का पे-स्केल अधिक है। यू० पी० सरकार के जो १९४६--४७ के पे-स्केल हैं उन में हमारे गजटेड अफसर क्लास २ वाले २५०---३०० से ८५० रु० तक वेतन पाते हैं जैसे कि डिप्टी कलेक्टर्स व डी-वाई० एस० पी० वगैरह पाते हैं और क्लास १ अफसर जो हैं जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा वे कुछ तो १,००० से १,५०० रु० पाते हैं और कुछ को ६०० से १,५०० रु० तक दिये जाते हैं। इसी तरह से जनरल मैनेजर्स भी आई० सी० एस० और आई० पी० के अलावा दूसरे प्रदेशों से यहां अधिक वेतन पाते हैं। जहां तक ड्राइवरों की पे की बात है पे कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हमारे सूबे में जो वेतन सब विभागों में है उस सब से हमारे ड्राइवरों की पे अधिक है। आप पे कमीशन की रिपोर्ट देखें उस में है।

मेडिकल डिपार्टमेंट के ड्राइवर का पे स्केल ४५---६५ रु० हैड कांस्टेबिल ड्राइवर को ५०---६५ रु०, कांस्टेबिल ड्राइवर ३०---४५ रु०, मद्यनिषेध विभाग, ऐक्साइज और इंडस्ट्रीज विभाग के पुराने ड्राइवर्स को ४५---८० रु० और दूसरा स्केल ४५---६५ रु० है। राशनिंग विभाग में ४५--८० है। यह तो पे कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक है। इसी तरह से हिन्दुस्तान के और सूबों के ड्राइवर्स की तनख्वाह इस प्रकार है। हिमाचल प्रदेश में ६०---८० रु० बम्बई में ५०---८० रु०, पंजाब में दो स्केल हैं एक ५०---८० रु० और दूसरा ८०---१२० रु०, मैसूर में ४०---५० रु०, उड़ीसा में ६०---८० रु० और उत्तर प्रदेश में ४५---६५---३---८० रु० लेकिन भारत के और सूबों में जो माइलेज मिलता है उससे कहीं अधिक हमारे यहां दिया जाता है। हमारे यहां एक ड्राइवर को जिसकी १ साल की नौकरी होती है ५ रु० टेक्निकल एलाउन्स दिया जाता है और एक साल के बाद १० रु० टेक्निकल एलाउन्स दिया जाता है। साथ ही साथ प्लेंस के ड्राइवर्स को डेढ़ पाई फी मील के हिसाब से एलाउन्स दिया जाता है। इसी तरह से हिल्स में अलग है और सिटी बस सर्विस के ड्राइवर्स के लिये अलग है, लेकिन औसत २५ रुपया पड़ता है। तो इस तरह एक ड्राइवर को ४५ रु०, २५ रु० और १० रुपया मिला कर ८० रुपया पड़ता है और आनरेरिया तथा D. A. ले कर एक ड्राइवर को १३० रुपया प्रति माह मिलता है।

अब जरा कंडक्टर की तनख्वाह भी देखी जाय। हिमाचल प्रदेश में ५०---१०० रु० क्योंकि पहाड़ी इलाका है। बम्बई में ४०---७० रु०, पंजाब में ५०---१०० रु०, मैसूर में २५---३५ रु० उड़ीसा में ४५---६५ रु०, हैदराबाद में ५५---६५ रु० और उत्तर प्रदेश में दो स्केल हैं। जो हाई स्कूल पास कंडक्टर्स हैं उनको ६०---१०० रु० और नान मैट्रिक को ४०---७० रु० तो इन की भी पे और सूबों से ज्यादा है। तो सरकार एक विभाग के लिये अलग से पे कमेटी बैठाने की बात नहीं सोच रही है क्योंकि इस विभाग में किसी कर्मचारी की पे, चाहे गजटेड हो या नान-गजटेड, अन्य विभागों के कर्मचारियों से कम नहीं है।

ऊदल जी ने कहा कि ऐक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, उनके लिये क्लेम ट्रिब्यूनल नहीं बनाये जाते हैं। इस संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐक्ट है जिसके सेक्शन ११० (ए) में लिखा है:

"The State Government may by notification in the official gazette constitute one or more accident claim tribunals.....

इसमें "may" शब्द है। कम्पलसरी नहीं है। अगर कहीं ऐक्सीडेंट्स होते हैं तो प्राइवेट लोगों को सुविधा है कि वे सिविल सूट दाखिल करें। इस संबंध में १९५६ का ऐक्ट है, १९३९ का नहीं है। वह अमेंडेड ऐक्ट है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तथा सेक्रेटरी की दो कमेटियां बनी हुई है, जो ऐक्सिडेंट्स होते हैं उनको मुआवजा देने के बारे में वे फैसला करते हैं।

माननीय उग्रसेन जी ने बतलाया कि हमीरपुर और बांदा जिले में सड़कों का राष्ट्रीयकरण नहीं हो रहा है। १९६०–६१ में बुन्देलखंड में तीन मार्गों को लेने की व्यवस्था है। इसके अलावा हमीरपुर में १२ मार्गों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। बांदा तथा हमीरपुर जिलों में १५ मार्गों पर राजकीय गाड़ियां चल रही हैं।

श्री उग्रसेन—जो सड़कें मैंने बतलाई उन पर सरकारी बसें चलेंगी?

डाक्टर सीताराम—मैं सब चीजों पर आ रहा हूं आप सुनते जाइये। जहां तक झांसी और जालौन जिले की बात है उस संबंध में भी भविष्य में व्यवस्था की जायगी।

बोनस के संबंध में माननीय उग्रसेन जी ने कहा कि सरकार रोडवेज के कर्मचारियों को बोनस क्यों नहीं देती, वह बड़ी समाजवादी की हामी है तो मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि जनतंत्र की भावना प्रेरित करने के लिये सरकार वे सब कार्य करेगी जो कार्य कि जनता के हित के लिये वांछनीय है। जहां तक बोनस की बात है सरकार नहीं चाहती कि उसके जो कर्मचारी कार्य नहीं करते उनको बोनस दिया जाय। हम तो काम में विश्वास करते हैं और शायद माननीय सदस्य भी इसमें विश्वास करते होंगे कि जो कमायेगा वह खायेगा और मैं भी इसमें विश्वास करता हूं कि जो अच्छा कार्य करता है उसको प्रोत्साहन दिया जाय। इसीलिये सरकार ने इस साल के बजट में रोडवेज के ५ हजार कर्मचारियों के लिये सवा लाख रुपया आनरेरियम तथा रिवार्ड के रूप में रखा है। बोनस तो यह बात है कि वह हर एक कर्मचारी को दिया जायगा चाहे वह अच्छा काम करता हो या खराब। वह हम नहीं चाहते। जिन सरकारों ने बोनस की प्रथा को अपने यहां कायम किया है वहां अगर कार्य प्रणाली पर प्रकाश डाला जाय तो आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि समाजवाद में अगर निकम्मे आदमियों को खाना दिया जायगा तो समाजवाद नहीं चल सकता। हम काम में विश्वास करते हैं। जो काम करता है उसको आगे बढ़ने का हक है और किसी भी प्रकार से उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। इसीलिये बोनस की प्रथा हमको बिलकुल नहीं जंची और हम उसे मंजूर नहीं करते, बल्कि उसका विरोध करते हैं।

रोडवेज में जी०पी०एफ० नहीं कट रहा है। रोडवेज में सी०पी० एफ० नहीं कट रहा है, इस संबंध में भी शिकायत की गयी। ए०जी० ने इस संबंध में कहा कि जब तक पोस्ट्स पेंशनेबिल न हो जायं तब तक यह न काटा जाय और उस सुझाव का हम स्वागत करते हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जनरल मैनेजर की पोस्ट खत्म कर देनी चाहिये। मैं इससे एग्री नहीं करता क्योंकि जनरल मैनेजर की पोस्ट ऐसी है जो सर्विस मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, सब को कोआर्डिनेट करती है। आप कहें कि सुपीरियर पोस्ट खत्म कर दी जाय जिससे नीचे के आपस में लड़ते रहें यह उचित बात नहीं है।

कुछ माननीय सदस्यों ने और खास कर माननीय जंगबहादुर वर्मा ने कहा कि हरिजनों का रिजर्वेशन पूरा होना चाहिये। इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि ३१ मार्च, १९५७ को हरिजनों का परसेंटेज सर्विसेज में २.७ और १.२ था। सन् १९५७–५८ में कोई ज्यादा तरक्की इसमें नहीं हुई लेकिन सन् १९५८–५९ में जो कंडक्टर्स नियुक्त किये गये उसमें हरिजनों का परसेंटेज १५.८ पूरा हुआ। यानी कुल ६२७ कंडक्टर्स लिये गये जिनमें ९९ हरिजन थे। सन् १९५९–६० में फरवरी तक ९१४ आदमी कुल लिये गये जिनमें से १६३ हरिजन थे। इस तरह से १७.८ परसेंट, यानी करीब करीब १८ फीसदी हरिजनों का रिजरवेशन कंडक्टर्स की पोस्ट में पूरा हो गया। क्लर्कों की पोस्ट का जहां तक संबंध है १९५८–५९ में हरिजनों का परसेंटेज १०.३ था। यह कम जरूर है और इसके लिये अधिकारियों को हिदायत की गयी है

[डाक्टर सीताराम]

और मैं आपके जरिये सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी इस बात के लिये सतत प्रयत्नशील रहते हैं कि हरिजनों का रिजर्वेशन पूरा किया जाय जैसी कि सरकार की नीति है। इसलिये अफसरों पर यह चार्ज लगाना कि वे हरिजनों का रिजर्वेशन पूरा नहीं करते ठीक नहीं है। वे इस संबंध में सतत प्रयत्नशील रहते हैं।

ड्राइवर्स का जहां तक ताल्लुक है, यह पोस्ट बिल्कुल टेक्निकल है। उसके लिये यह नियम है कि कम से कम ५ साल का ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास हो उसी को रखा जायगा। अब इसके अनुसार १०, १५, २०, २५, ५० जितने भी हरिजन वह लावें उनको रख लिया जायगा, उसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है। लेकिन चूंकि ड्राइवर के हाथ में ४५-५० आदमियों की जिन्दगी होती है अगर उसमें निकम्मे आदमी आ जायेंगे तो बड़े खतरे की बात होगी।

एक सदस्य---क्या हरिजन निकम्मे होते हैं ?

डाक्टर सीताराम---मैंने हरिजनों के लिये नहीं कहा। सभी वर्ग के लोग निकम्मे हो सकते हैं। अगर हरिजनों को मौका मिले तो माननीय सदस्य से भी वे आगे निकल जायेंगे समय बड़ी तेजी से बदल रहा है और कांग्रेस के जमाने में तो हरिजन जरूर आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह था कि अगर ड्राइवर की पोस्ट पर उचित योग्यता के आदमियों को नहीं रखा जायगा, चाहे वह किसी वर्ग के हों, तो वह एक खतरे की बात होगी। जहां तक जनप्रिय सरकार का संबंध है काफी सुविधा हरिजनों को दी जा रही है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि लखनऊ-फैजाबाद रोड क्यों नहीं ली गयी। यह भी कहा गया कि इसमें ऊंचे कर्मचारियों का हाथ है, यह कहना गलत चीज है। इसलिये यह रूट नहीं लिया जा सका कि यह काफी लम्बा रूट है और रेलवे के पैरेलल चलता है। लेकिन चूंकि माननीय सदस्य का कहना है कि जनता की भलाई के लिये लेना आवश्यक है क्योंकि आजमगढ़, फैजाबाद, बस्ती, सुल्तानपुर और बाराबंकी वगैरह के काफी आदमी बसेज में बैठेंगे। इसलिये मैंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तथा सचिव से बातचीत की है और हम लोग भी इससे सहमत हैं और छानबीन करके बसेज इस रूट पर चलाने का जल्दी ही प्रयास किया जायगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी रूट लेने के लिये काफी रुपया खर्च करना पड़ता है, बसें खरीदनी पड़ती हैं और स्टाफ रखना पड़ता है। इसके अलावा अपने सीमित साधनों के अन्तर्गत इन रूट्स को लेना पड़ता है यह एक बहुत लम्बा रूट था और इस पर काफी खर्चा करना था इसलिये इस में देरी हुई।

कुछ लोगों ने कहा कि हमारे सूबे में फेयर्स दूसरे सूबों के मुकाबले में ज्यादा है। यह बात नहीं है। मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां फेयर्स ज्यादा नहीं हैं। पंजाब में मैटेल्ड रोड पर अपर क्लास का फेयर मैक्जीमम ११.६६ न०पै० और मिनिमम ९.३३ न०पै० और लोअर क्लास का ८.१७ न०पै० मैक्जीमम और मिनिमम ५.८३ न०पै० है और अनमैटिल्ड रोड पर अपर क्लास का १४.०० न०पै० और मिनिमम १२.८३ न०पै० और लोअर क्लास का १०.५० न०पै० मैक्जीमम और मिनिमम ९.३३ न०पै० है। इसी प्रकार से बम्बई में फेयर दो तरह का है। अपर क्लास का २४.८५ और १९.८ और लोअर का १३.२ और दूसरा ८.२५ न० पै० है। और सूबों में जो है उसके बारे में कहना नहीं चाहता हूं। हमारे सूबे में अपर क्लास का ९.४५ और लोअर क्लास का ७.८८। कुछ जगहों पर जहां रेलवे चलती हैं वहां पर किराया ५ पाई प्रति मील है। अब प्रश्न होगा कि यह क्यों ? यह इसलिये है कि जो यात्री रेल में बैठ जाता है उसको फायदा होता है और जो नहीं बैठ पाता है उसको ले लेने के लिये यह रखा गया है और बसेज इंटीरियर में जाती हैं। इसलिये जनता के लाभ के लिये रेलवे के पैरेलल रूट पर ५ पाई प्रति मील रखा गया है और ऐवरेज ७ पाई प्रति मील है। इससे स्पष्ट है कि हमारे सूबे में दूसरे सूबों के मुकाबले में किराया कम है।

१९६०–६१ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान ४२१ संख्या ७––लेखा शीर्षक १२––मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय, अनुदान संख्या ३१––लेखा शीर्षक ४७– प्रकीर्ण विभाग और ४४–– उड्डयन, अनुदान संख्या ५२– -लेखा शीर्षक ७०– -जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधार पर पूंजी की लागत तथा ८२––राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा

एक चीज यह कही गई कि आर०टी०ओज० में करप्शन है। अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि आर० टी० ओ० कमेटी का सेक्रेटरी होता है। आर०टी०ओ० आठ रोजन्स में हैं। इसका चेयरमैन आई०ए० एस० या आई सी० एस० का कोई सीनियर आफिसर होता है। इसके बाद कलेक्टर होता है, पी०डब्लू०डी० का इंजीनियर होता है और दो सदस्य माननीय सदस्यों में से होते हैं। अब इस कमेटी के लिये यह कहना कि घूस लेकर परमिट दिये जाते हैं। गलत चीज है। माननीय सदस्य इस कमेटी के मेम्बर होते हैं इसलिये उनके सामने यह बात कहना ठीक नहीं है। यह चीज माननीय सदस्यों के विरोध में जायगी। हम माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा रखना चाते हैं और उनकी प्रतिष्ठा है इसलिये अगर मान लीजिये कि वहां पर किसी तरह से किसी को परमिट नहीं मिलता है क्योंकि परमिट छः हैं और दरख्वास्तें हैं एक हजार तो जिसको परमिट नहीं मिलता है वह एस०टी०ए० में अपील कर सकता है, ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है जिसमें माननीय गेंदासिंह, माननीय नेकराम शर्मा जी मेम्बर हैं। उसके ला डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी या डी०एल०आर० चेयरमैन हैं। अगर वहां भी राहत नहीं मिलती है तो हाई कोर्ट में रिट कर सकता है। हाईकोर्ट के बाद वह सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है इसलिए यह शिकायत की आर० टी० ओ० काफी गलत काम करता है, यह बिलकुल थोथी दलील है। उसकी अपील ट्रिब्यूनल में हो सकती है है जिसमें पचास-पचास प्रतिशत कांग्रेस और विरोधी दल के सदस्य हैं।

एक माननीय सदस्य ने बतलाया कि परचेजेज में गड़बड़ी होती है। परचेजेज गवर्नमेंट आफ इंडिया से जो रेट्स निर्धारित है, उनके मुताबिक होती है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट का हाथ नहीं है।

जिन माननीय सदस्यों ने विवाद में भाग लिया है उनके लिये मैं अपना आभार प्रगट करता हूं। सरकार हमेशा इस प्रकार के सुझावों का स्वागत करती है और यथासंभव कोशिश भी करती है कि उन पर अमल हो। मैं खास तौर से श्री जंगबहादुर वर्मा, नागर जी और ऊदल जी का बहुत आभार प्रगट करता हूं। उन्होंने वास्तव में पथ-परिवहन के उपयोगिताओं को समझने का प्रयास किया और यही कारण है कि उन्होंने इसकी प्रशंसा की।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं आशा करूंगा कि माननीय उग्रसेन जी अब भी अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ७ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य––नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

विभाग में अपव्यय तथा अव्यवस्था पर चर्चा तथा इसके विषय में सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७––मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय––लेखा शीर्षक १२––मोटर गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत १,५४,७८,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३१ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

[श्री उपाध्यक्ष]

कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

परिवहन विभाग में "रोडवेज ऐक्ट" की मांग करना तथा हाईकोर्ट स्तर के जज की अध्यक्षता में एक पे कमीशन बैठाने का सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री एस० जी० दत्त---मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि कुछ माननीय सदस्यों को इस हाउस में स्पेशल ग्लासेज की जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

परिवहन विभाग में "रोडवेज ऐक्ट" की मांग करना तथा हाई कोर्ट स्तर के जज की अध्यक्षता में एक पे कमीशन बैठाने का सुझाव देना।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१---परिवहन विभाग---लेखा शीर्षक ४७---प्रकीर्ण विभाग (Miscellaneous departments) और ४४---उड्डयन (Aviation) के अन्तर्गत १३,५८,६८,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान ५२ के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

मोटर गाड़ियों की खरीदारी में भ्रष्टाचार तथा अधिकारियों को अनावश्यक गाड़ियों का दे देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५२---कृषि अभियंत्रण, सरकारी बस सेवाओं, सहायता तथा पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत---लेखा शीर्षक ७०---जन-स्वास्थ्य संबंधी सुधार पर पूंजी की लागत तथा ८२---राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत २,११,८४,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१८ मार्च, १९६०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उतर पीछे पृष्ठ ३२५ पर)

सूची

(१) श्री अतरसिंह, सी० आई० डी० इन्सपेक्टर ने अपनी भर्ती के समय अपने आपको एक श्याम सिंह का, जिससे उनको कोई सम्बन्ध नहीं था, संरक्षक बतलाया ।

(२) उन्होंने अपना कार्य करने का स्थान मैनपुरी में बना रखा था जहां सरकारी कार्य न करके निजी मुकदमों की पैरवी करने के लिये जाया करते थे और सरकार से सफर भत्ता लिया करते थे ।

(३) उन्होंने अवैधानिक रूप से दो लाख से अधिक धन पैदा किया था ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२६ पर)

(१) प्राथमिक स्कूलों की अध्यापिकाओं के लिए २८८ आवास गृहों का निर्माण

उक्त आवास गृहों के निर्माण के लिये कुछ ८,६४,००० रु० का अनावर्तक अनुदान ३,००० रु० प्रति आवास गृह की दर से अन्तरिम जिला परिषदों को दिया गया है । इन गृहों में स्कूलों के लगने की भी जगह होगी ।

(२) जूनियर हाई स्कूलों की अध्यापिकाओं के लिए ७० आवास-गृहों का निर्माण

उक्त आवास गृहों के निर्माण के लिये कुल २,८०,००० रु० का अनावर्तक अनुदान ४,००० रु० प्रति गृह की दर से दिया गया है । प्रत्येक आवास गृह में दो अध्यापिकाओं के रहने की व्यवस्था होगी ।

(३) दाइयों की नियुक्ति

स्कूलों में ४०० अंशकालीन दाइयों की नियुक्ति के लिये ३६,००० रु० का अनावर्तक अनुदान अन्तरिम जिला परिषदों को दिया गया है । इन दाइयों का वेतन १५ रु० प्रति मास है ।

(४) छात्राध्यापिकाओं को बुक ऐण्ड के लिए अनुदान

एच० टी० सी०/जे० टी० सी० के प्रथम वर्ष में पढ़ने वाली ८१० छात्राओं को १०० रु० प्रति छात्रा की दर से संचालक द्वारा बुक एड दिया जाना स्वीकार किया गया है । एच० टी० सी०/जे० टी० सी० के द्वितीय वर्ष में पढ़ने वाली ३८० छात्राओं को इसी प्रकार ५० रु० प्रति छात्रा की दर से बुक एड दिया जाना स्वीकार हुआ है ।

(५) कक्षा ७ से १० तक में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए छात्रवृत्तियां

इस मद में कुल १,२०,००० रु० का व्यय संचालक द्वारा किया जाना स्वीकार हुआ है । छात्र वृत्तियों की धनराशि ३० रु० प्रति मास है । ये छात्रवृत्तियां केवल उन्हीं छात्राओं के लिये स्वीकार की गई हैं जो पढ़ाई समाप्त होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापन कार्य करने का आश्वासन दें ।

नत्थी ‘ग’

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३१ पर)

पिछले पांच वर्षों में बोर्ड की परीक्षाओं में पंजीकृत प्रविष्ट तथा उत्तीर्ण छात्रों की संख्या

वर्ष	हाई स्कूल			इंटरमीडिएट		
	पंजी परीक्षार्थी	प्रविष्ट परीक्षार्थी	उत्तीर्ण परीक्षार्थी	पंजीकृत परीक्षार्थी	प्रविष्ट परीक्षार्थी	उत्तीर्ण परीक्षार्थी
१	२	३	४	५	६	७
१९५५	..	..	२१८८९३	२००५४७	९४१९२	८६९२८	७७०००	४२५५९
१९५६	..	..	१८४०३७	१६९५८६	७७११७	८७८०१	७८०७७	४१४३४
१९५७	..	..	१८६८२८	१७६२०२	७४४२३	८४६९०	७५८०४	३६१६७
१९५८	..	..	१९७२२०	१८६४५०	९८६९३	८२६२७	७४०४१	३५६२२
१९५९	..	..	२०३१३४	१९२४९२	८७२८५	८९८७१	८१०८८	३७३५३

अनुप्रमाणित

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३८ पर)

तहसील		मांग में वार्षिक वृद्धि	मांग में वार्षिक कमी	वार्षिक वास्तविक वृद्धि	वसूल करने योग्य बकाया	बकाया में कमी	कुल वसूल करने योग्य बकाया
१		२	३	४	५	६	७
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
बुरवा	..	४९,२६८.४८	९,५२८.८३	३९,७४१.६५	२,४९,४८०.८६	४७,२७३.६६	२,०२,२०७.२०
उन्नाव	..	४,७१६.३४	४५३.८०	४,२६२.५४	२९,८८०.७९	३,०९६.१८	२६,७८४.६१
हसनगंज	..	३४.५८६.६२	३,९५२.१७	३०,६३४.४५	१,६४,६८०.४६	१९,६०६.४०	१,४५,०७४.०६
सफीपुर	..	७३,४८५.६८	१७,८१३.८०	५५,६७१.८८	३,७४,३३५.६२	९०.५७२.२०	२,८३,७६३.४२
योग	..	१,६२,०५७.१२	३१,७४६.६०	१,३०,३१०.५२	८,१८,३७७.७३	१,६०,५४८.४४	६,५७,८२९.२९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४० पर)

पत्र-संख्या ३१/६०

सोशलिस्ट पार्टी, बरहज,
(देवरिया)
३-२-१९६०

माननीय राजस्व मंत्री,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

प्रिय महोदय,

देवरिया जनपद में बेलडांड, देवरिया रुद्रपुर नगवा, भटभिगारी रोड, पगरा-रामबोला तथा बसया तुर्कयही रोड पर गत १ माह से सहकारी आदेशानुसार टेस्ट वर्क चल रहा था, १०,००० से अधिक मजदूर फेमिन कोड के अनुसार ६, ८ तथा १० आना प्रति दिन मजदूरी पाते थे और नियत मात्रा में मिट्टी काटकर देते थे ।

दिनांक २३ जनवरी को जिलाधीश, देवरिया ने एक आदेश देकर ८ रु० प्रति हजार घनफुट मिट्टी काटने के लिये कहा है । सभी टेस्ट वर्क बन्द हो गये हैं । १०,००० की रोजी छिन रही है । जिलाधीश का आदेश अवैधानिक है । मजदूरों का पुराना पैसा भी नहीं दिया गया है । हाहाकार मचा है । अतः निवेदन है कि आप अविलम्ब हस्तक्षेप कर हजारों अकाल पीड़ितों को भूख से, मरने से बचायें तथा जिलाधीश के उक्त आदेशों को रद्द कर दें । आदेश की प्रतीक्षा में ।

आपका
(ह०) उग्रसेन
सदस्य विधान सभा ।

उत्तर प्रदेश संसदीय

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४२ पर।)

विवरण-पत्र १-१-५९ से २०-२-६० तक तथा १९५८ में जिला फर्रुखाबाद में हुए कत्ल तथा डकैतियों की थानेवार संख्या

क्रम-संख्या	नाम थाना		कत्ल १-१-५९ से २०-२-६० तक	कत्ल १९५८	डकैती १-१-५९ से २०-२-६० तक	डकैती १९५८
१	२		३	४	५	६
१	फर्रुखाबाद	..	४	५	—	—
२	फतेहगढ़	..	१	२	—	१
३	ठठियां	..	४	१	२	२
४	सौरिख	..	२	१	४	२
५	कन्नौज	..	५	१	८	१
६	गुरसहायगंज	..	—	४	१	३
७	कमालगंज	..	५	१	—	१
८	छिबरामऊ	..	३	३	३	३
९	इन्दरगढ़	..	३	४	—	१
१०	राजेपुर	..	३	२	२	१
११	शमशाबाद	..	२	१	३	—
१२	नवाबगंज	..	६	३	४	—
१३	कम्पिल	..	२	—	२	—
१४	मुहम्मदाबाद	..	१	४	६	१
१५	कायमगंज	..	८	६	३	—
	योग	..	४९	३८	३८	१६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४२ पर)

सन् १९५९ में बस्ती जिले के थानों में जो हत्याएं व डकैतियां हुईं उनका विवरण

क्रम-संख्या	थाने का नाम	हत्याओं की संख्या	डकैतियों की संख्या
१	२	३	४
१	रुधोली	२	१
२	परसरामपुर	१	२
३	पैकोलियो	२	१
४	ढेवरुवा	१	—
५	बांसी	१	—
६	छावनी	२	—
७	चिल्हिया	१	—
८	दुवारा	१	—
९	इटवा]	१	—
१०	कलवारी	२	—
११	कोतवाली	१	—
१२	महुली	२	—
१२	सोनहा	५	—
१४	त्रिलोकपुर	१	—
१५	उसका	१	—
	योग	२४	४

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४७ पर)

डकैती एवं कत्ल अगस्त, १९५९ से ६ फरवरी, १९६० तक जिला फर्रुखाबाद—

क्रम-संख्या	नाम थाना	डकैती	कत्ल
१	२	३	४
१	कोतवाली फर्रुखाबाद	—	२
२	कोतवाली फतेहगढ़	—	१
३	इन्दरगढ़	—	३
४	सौरिख	२	१
५	ठठिया	१	२
६	कमालगंज	—	३
७	गुरसहायगंज	—	—
८	छिबरामऊ	१	१
९	कन्नौज	४	१
१०	कायमगंज	२	५
११	राजेपुर	१	२
१२	नवाबगंज	३	२
१३	मुहम्मदाबाद	१	१
१४	शमशाबाद	२	१
१५	कम्पिल	१	—
	योग ..	१८	२५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५० पर)

तालिका 'क'

हिन्दी समिति द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की सूची १९५९

क्रम-संख्या	पुस्तक का नाम		लेखक या अनुवादक का नाम
१	जाति विज्ञान का आधार (अनुवाद)	..	श्री विनोदचन्द्र मिश्र।
२	संस्कृत नाटककार (मौलिक)	..	श्री कान्तिकिशोर भरतिया।
३	राजनय (मौलिक)	..	श्री राघवेन्द्रसिंह।
४	उर्दू हिन्दी शब्द कोष	..	स्व० श्री मुहम्मद मुस्तफा खां।
५	शक्ति वर्तमान और भविष्य (अनुवाद)	..	श्री सत्यप्रकाश गोयल।
६	भरत का संगीत सिद्धान्त (मौलिक)	..	श्री कैलाशचन्द्र देव बृहस्पति।
७	सूक्ति सागर	..	श्री रमाशंकर गुप्त।
८	विमान और वैमानिकी (मौलिक)	..	श्री चमनलाल गुप्त।
९	उद्योग और रसायन	..	डा० गोरखप्रसाद।

अवध विश्वविद्यालय

तालिका 'ख'

पुस्तक प्रकाशन सम्बन्धी अनुदान

लेखक प्रकाशक का नाम	पुस्तकों का नाम	प्रकाशन अनुदान (अनावर्त्तक)
		रु०
१—देशबन्धु पुस्तकालय, मथुरा ..	१—ब्रज की रास लीला २—ब्रज की कला ३—ब्रज की लोक पूजा ४—सूर का वसन्तवर्णन ..	१,०००
२—श्री ब्रजलाल भूषण पांडेय, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग।	भारतीय तत्वचिन्तन ..	७५०
३—श्री भगीरथप्रसाद दीक्षित, डालीगंज, लखनऊ।	"पंच प्रज्ञा" ..	१,२५०
४—इथ्नोग्रैफिक एंड फौक कल्चर सोसाइटी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।	१—एक गांव की रूप रेखा २—फोक सांग्स आफ बुद्धी (मिर्जापुर)	३,०००
५—श्री राजेन्द्रप्रताप, ५२४, प्रहलाद बाटिका, मेरठ।	स्वस्थ व युवा कैसे रहें ..	१,०००
६—श्री उपेन्द्रनाथ अश्क, ५, खुसरूबाग रोड, इलाहाबाद।	संकेत उर्दू (हिन्दी) ..	२,५००
७—श्री विनोदीलाल, शिवे की छावनी, लश्कर (मध्य प्रदेश)।	विज्ञान विनोद, भाग २ ..	२००
८—समाज विज्ञान परिषद्, काशी विद्यापीठ, वाराणसी।	१—भारत में लोक संस्कृत २—वैदिक संस्कृति के तत्व ..	१,७००
९—सैय्यद मुहम्मद मिर्जा, मोहज्जब, लखनऊ।	उर्दू-हिन्दी शब्दों का कोष भाग २ से ४।	२,०००
१०—हिन्दी सभा, सीतापुर ..	श्री कृष्ण बिहारी मिश्र के लेखों के प्रकाशनार्थ।	४,०००
११—श्री भगवानदास अवस्थी, इलाहाबाद	संसार ज्ञान ..	४,०००

अनुपूरक सभा

लेखक प्रकाशक का नाम	पुस्तकों का नाम	प्रकाशक अनुदान (अनावर्त्तक)
		रु०
१२—श्री त्रिवेणीदत्त द्विवेदी, वाराणसी ..	कानूनी शब्दों का अंग्रेजी-हिन्दी कोष।	१,५००
१३—लिंग्विस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया परवदा, पूना।	(अ) वर्ष १९५८-५९ के अनुदान का रिअलाटमेन्ट।	२,०००
	(ब) (1) Supplement to vol. 20 of Indian Linguistics (2) Comparative grammer of Indo Aryan (3) Lushai Grammer	२,०००
१४—श्री वैक्ट राव रैजम, लखनऊ ..	श्री भर्त्तहरि वैराग्य शतक ..	२,५००
१५—वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	संस्कृत शब्द कोष ..	१२,०००
१६—श्री अनन्त कृष्ण शास्त्री, वाराणसी	द्वैत एवं अद्वैत का तुलनात्मक अध्ययन।	१,०००
१७—श्री अमीन सलोनवी ..	जवाहरात (उर्दू) ..	७००
१८—श्री बाबू राव कुमठेकर, नैनीताल	बच्चन साहित्य परिचय ..	२,०००
	योग ..	४५,१००

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५३ पर)

जिला	पुराने नार्मल स्कूलों की संख्या	नवीन नार्मल स्कूलों की संख्या	कुल
१—देहरादून	१	..	१
२—सहारनपुर	१	१	२
३—मुजफ्फरनगर	१	२	३
४—मेरठ	२	२	४
५—बुलन्दशहर	१	१	२
६—अलीगढ़	१	१	२
७—मथुरा	२	१	३
८—मैनपुरी	१	१	२
९—एटा	१	१	२
१०—बरेली	१	१	२
११—बिजनौर	१	१	२
१२—बदायूं	१	..	१
१३—शाहजहांपुर	१	१	२
१४—मुरादाबाद	१	..	१
१५—पीलीभीत	१	१	२
१६—रामपुर	१	..	१
१७—फर्रुखाबाद	१	१	२
१८—इटावा	१	१	२
१९—कानपुर	१	१	२
२०—फतेहपुर	१	१	२
२१—इलाहाबाद	१	१	२
२२—बांदा	१	..	१
२३—हमीरपुर	१	१	२
२४—जालौन	१	१	२
२५—वाराणसी	२	१	३
२६—मिर्जापुर	१	१	२
२७—जौनपुर	१	१	२
२८—गाजीपुर	१	..	१
२९—बलिया	१	..	१
३०—गोरखपुर	१	१	२
३१—देवरिया	१	१	२
३२—बस्ती	१	१	२
३३—आजमगढ़	१	१	२
३४—नैनीताल	२	१	३
३५—अल्मोड़ा	१	..	१

विधान सभा सचिवालय

जिला	पुराने नार्मल स्कूलों की संख्या	नवीन नार्मल स्कूलों की संख्या	कुल
३६—पौड़ी-गढ़वाल	१	१	२
३७—लखनऊ	२	..	२
३८—उन्नाव	१	१	२
३९—रायबरेली	१	१	२
४०—सीतापुर	१	१	२
४१—हरदोई	१	१	२
४२—खीरी	१	१	२
४३—गोंडा	१	१	२
४४—बहराइच	१	१	२
४५—सुल्तानपुर	१	१	२
४६—प्रतापगढ़	१	..	१
४७—टेहरी-गढ़वाल	१	..	१
४८—आगरा	..	१	१
४९—बाराबंकी	..	१	१
५०—फैजाबाद	..	१	१
५१—झांसी	..	१	१
योग ..	५२	४२	९४

बालिकाओं के नार्मल स्कूल

१—मेरठ	१	..	१
२—बुलन्दशहर	१	..	१
३—आगरा	१	..	१
४—बदायूं	१	..	१
५—इलाहाबाद	१	..	१
६—मिर्जापुर	१	..	१
७—गोरखपुर	१	..	१
८—सीतापुर	१	..	१
९—फैजाबाद	१	..	१
१०—उन्नाव	१	..	१
११—अल्मोड़ा	१	..	१
१२—सहारनपुर	..	१	१
१३—कानपुर	..	१	१
१४—वाराणसी	..	१	१
१५—गाजीपुर	..	१	१
१६—बलिया	..	१	१
१७—प्रतापगढ़	..	१	१
योग ..	११	६	१७

विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५४ पर)

तालिका

संबंधित ६ बैठकें निम्नलिखित तारीखों को हुई—

१—तारीख २४-९-१९५५,
२—तारीख ५-७-१९५६,
३—तारीख ३०-९-१९५६,
४—तारीख २७-१२-१९५६,
५—तारीख ७-१०-१९५७,
६—तारीख १७-१-१९६०।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५४ पर)

जिला शाहजहांपुर के अन्तर्गत थाना सेहरामऊ, जनवरी में सन् १९५८–५९ में हुई डकैती, राहजनी, चोरी और कत्ल की संख्या नीचे दी हुई है

साल			डकैती	राहजनी	चोरी	कत्ल
१९५८	..	..	४	१	२२	..
१९५९	..	..	१	२	४१	२

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५४ पर)

उक्त वारदातों में कितनी घटनाओं का पता चला, कितने मुकदमे चले व कितने अभियुक्तों को सजा हुई, इसका विवरण नीचे दिया गया है

		पता चला	मुकदमें चले	अभियुक्त सजा हुये
डकैती ..	१९५८	३	३	९
	१९५९	१	१	..
राहजनी ..	१९५८	१	१	१
	१९५९	२	२	४
चोरी ..	१९५८	९	९	१३
	१९५९	१७	१७	११
कत्ल ..	१९५८	..	..	..
	१९५९	२	२	..

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६२ पर)

१ जनवरी, १९५८ से सन् १९५९ की अवधि में

			संख्या जिनकी रिपोर्ट हुई	जो नुक्सान हुआ	
				धन व सम्पति	जन
				रु० न० पै०	
पीलीभीत ..	डकैती ..	..	२४	३०,९५१.२५	५
	कत्ल ..	..	२९	— —	३२
नैनीताल ..	डकैती ..	..	१३	३१,०४८.०५	१
	कत्ल ..	..	४२	— —	४७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ८ एल० ए०—१९६०—८४५।